राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ छिहत्तरवां दिवस [संख्या: 24

सोमवार,

17 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर में संचालित मेडिकल मोबाइल वैन

447. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित मेडिकल मोबाइल वैन का संचालन विगत दो माह में भौतिक रूप से नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में गबन को रोकने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अलवर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल मेडिकल वैन का दिसम्बर, 2022 से भौतिक रूप से संचालन नहीं हो रहा है।

इस बाबत अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जांच कमेटी बनाकर सम्बन्धित सेवाप्रदाता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को पर्यवेक्षणीय कार्य में लापरवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सम्बन्धित सेवा प्रदाता फर्म के अनुबन्ध को समाप्त किया जा चुका है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने खण्ड संख्या (1) में बताया कि दिसम्बर, 2022 से मेडिकल वैन का भौतिक रूप से संचालन नहीं हो रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अलवर जिले के 19 ब्लाकों में ये मोबाइल वैन्स गई ही नहीं हैं और फर्जी रूप से बिल बनाकर भुगतान उठाया गया है। इसके लिए जांच कमेटी बनी, आपको जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारियों की लापरवाही रही है। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, इसमें लापरवाही रही है। जिन शर्तों पर उनको मोबाइल यूनिट की सेवाएं देनी चाहिए थीं, वे शर्तें पूरी नहीं कीं। हमने उस फर्म का अनुबन्ध भी समाप्त कर दिया है। हमने अनुबन्ध में दूसरी फर्म को लिया है और वह दूसरी फर्म कोई हंस प्रोप्राइटर है। 20 मोबाइल वैन सेवाएं बिलकुल नि:शुल्क काम करेंगी। उन्हीं का ड्राइवर, उन्हीं की गाड़ी, 20 गाड़ियां सारा काम करेंगी। हमने उनको वर्क आर्डर दे दिये हैं और 10 मोबाइल वैन आज या कल से शुरू हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, उसका जो भुगतान था, उसको हमने रोक दिया है। उसका करीब 3 करोड़ रुपये के आसपास भुगतान था, उसमें से केवल उसको 39 लाख रुपये का पेमेंट किया है और उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मोबाइल वैन की सेवाओं के लिए दूसरी जो फर्म की है, वह नि:शुल्क सेवाएं देगी। उन्हीं की गाड़ी, दवाई, डाक्टर और उन्हीं का सारा स्टाफ रहेगा। उसके हमने आदेश दे दिये हैं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि गलती हुई है तो गलती के लिए जो अधिकारी, कर्मचारी दोषी थे, उनके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी? साथ ही साथ जो 39 लाख रुपये का भुगतान गलत तरीके से किया गया है, गबन का मामला है, तो उसको किस प्रकार से सरकार वापस वसूल करेगी? यह भी माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने करीब एक साल तक गाड़ी चलाई है। उसका 3 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान बनता था। हमने केवल 39 लाख रुपये का भुगतान ही किया है, तो रिकवरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, उन्होंने ठीक से संचालन के लिए उनको ताकीद नहीं किया या संचालन नहीं किया, उनको हम नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष जी, मेरे हाथ में जांच रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, उनका कहने का मतलब केवल यह है कि वैन चली ही नहीं, क्या यह सही है कि वैन चली या नहीं चली?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, वैन चली है। ऐसा नहीं है कि वैन बिलकुल नहीं चली, पर जहां चलानी चाहिए थी, उन्होंने कभी कैम्प निरस्त भी कर दिया, कहीं पर गये भी, वैन चली है। उनकी 7 गाड़ियां, 14 गाड़ियां चली हैं पर यह नहीं कि पूरी तरह से सेवाएं, जो अनुबन्ध की शर्तें थीं उनके अनुसार उन्होंने सेवाएं नहीं दीं, इसलिए उनका अनुबन्ध समाप्त किया गया है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष जी, सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी ने लिखकर दे रखा है कि वैन चली ही नहीं है। अध्यक्ष जी, यह कागज मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने कहा कि इसमें निश्चित तौर पर अधिकारियों की गलती रही है। यह मामला भी दिसम्बर, 2022 का है, तो क्या अब तक आपने किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है क्या?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें सी.एम.एच.ओ. की लापरवाही है, मालूम चलते ही उसको तुरन्त हटा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महादेय, हटाना कोई कार्यवाही नहीं है। इन्हें उसको 16 CCA में नोटिस देना चाहिए। आपने किसी को 16 में या 17 CCA में नोटिस दिया है क्या?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नोटिस देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मैंने सवाल के जवाब में ही कहा है। अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। कैलाशचन्द्र मीणा।

अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत प्रदेश में प्रस्तावित कार्यक्रम

448. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वर्ष 2023 को 'अन्तरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' के रूप में मना रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के लिए क्या-क्या योजनाएं, कार्यक्रम व गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के तहत जनजाति बहुल क्षेत्रों में रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो और कुटकी को शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के लिए क्या-क्या योजनाएं, कार्यक्रम व गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग के पास उक्त अनाजों के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी मात्रा में? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम व गतिविधियों का प्रावधान है:-

1. लघु एवं सीमान्त किसानों को उन्नत किस्मों के बीज नि:शुल्क, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव कीटनाशी किट अनुदानित दर पर वितरण।
2. मिलेट्स की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान।
3. बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्धन, प्रोत्साहन व नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।

(2) जी हां। रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो, कुटकी फसलें मिलेट्स के अन्तर्गत शामिल हैं। इनकी पोषण गुणवता के बारे में जन-जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पास छोटे अनाजों, जैसे रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो, कुटकी का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने छोटे धान रागी, कंगनी, सावां, चीना, कोदो, कुटकी के बारे में पूछा है। इन्होंने इन फसलों को राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन की घोषणा में सम्मिलित किया है, लेकिन इसके बारे में किसी तरह का कोई विवरण नहीं दिया गया है कि बीज उपलब्ध है या नहीं और अब तक इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष: इसमें लिख रखा है कि उपलब्ध नहीं है। खण्ड 3 में लिखा है, उपलब्ध नहीं है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सर, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध तो कराना ही पड़ेगा। यह जनजाति लोगों के लिए बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय मंत्री जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैंने जवाब में ही बताया है कि हमारे पास इनके बीज उपलब्ध नहीं हैं। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद से कुछ बीज विकसित करने के लिए राजस्थान में मांगे हैं और उन्होंने दिये भी हैं। विभाग कोशिश कर रहा है कि उन बीजों को तैयार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह इसके बारे में मुझे कहना है।

वैसे भी मिलेट्स वर्ष 2023 पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमने एक बुकलेट भी विभाग की तरफ से निकाली है। मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि यह बुकलेट आज हम सबको सर्कुलेट कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष लॉबी में। अभी क्वेश्चन ऑवर के बाद में सभी को मिल जायेगी। इसमें हमने पूरी जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय की इस मिशन की घोषणा है 2022-23 की, एक साल पहले की। इन्होंने घोषणा में कहा है कि आप लघु, सीमान्त किसानों को उन्नत किस्म के बीज नि:शुल्क उपलब्ध करवायेंगे। आज एक साल बाद आप कह रहे हैं कि बीज उपलबध नहीं हैं।

दूसरा, आपने कहा कि मिलेट्स की 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का अनुदान, तो आप मुझे बतायेंगे कि कितनी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कितनी-कितनी राशि आपने दे दी? नम्बर एक बात।

वर्ष 2022-23 निकल गया, अब अनुदानित दरों पर इन छोटे किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार की है या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, यह खास तौर पर टी.एस.पी. क्षेत्र का है। जैसा कि मैंने बताया कि टी.एस.पी. क्षेत्र में 99 प्रतिशत बुवाई मक्के की होती है, वहां मिलेट्स का उपयोग कम होता है। ये जो छोटे बीज हैं, इनके बारे में मैंने बताया कि इसके विकसित बीज मंगवाये हैं।

आपने जो इकाइयों की बात की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स की प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए किसी भी जिले से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

सर, कुछ जो अलग प्राइवेट कम्पनियां हैं, किसानों ने नहीं दिये हैं, पर उसके बाद में 20 ऐसी प्रसंस्करण इकाइयों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें मिलेट्स भी शामिल है और अन्य खाद्य सामग्री भी शामिल है, खाद्यान्न के साथ-साथ मिलेट का उपयोग भी कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। इनमें से 11 इकाइयों के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपये की अनुदान सहायता हमने दी है।

प्रश्न संख्या 449

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामलाल मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

रतनगढ़ में स्वीकृत हैण्डपम्प व ट्यूबवैल

450. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प व ट्यूबवैल लगवाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक जिला चूरू में कुल कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल लगाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत कितने हैण्डपम्प व ट्यूबवैल चालू हैं व कितने ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन के अभाव में संचालित नहीं हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी स्वीकृत हैण्डपम्पों व ट्यूबवैल संचालित नहीं करने वाले

(श्री अभिनेश महर्षि)

दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य बजट 2021-2022 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प एवं 10 नलकूप लगवाये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग द्वारा चूरू जिले में 69 नलकूपों एवं 44 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त घोषणा की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में 10 नलकूपों एवं 14 हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की गई, जिनमें से सभी 10 नलकूपों व 09 हैण्डपम्पों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है। कोई भी नलकूप विद्युत सम्बन्ध के अभाव में चालू किया जाना शेष नहीं है। विवरण परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार, विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्वीकृत सभी 10 नलकूपों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है।

स्वीकृत 14 हैण्डपम्पों में से 09 हैण्डपम्पों को निर्मित किया जाकर चालू किया जा चुका है। शेष 05 हैंडपम्पों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिन्हें दिनांक 31.07.2023 तक निर्मित कर चालू किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-ब व स में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह 2021-22 की घोषणा है, 2023-24 में दो वर्ष पूरे हो गये और दो वर्ष पूरे होने के बाद में भी मेरे प्रश्न पूछने के बाद ये जो दस नलकूपों का बिन्दु संख्या 3 में दिया है, ये उसके बाद में अब शुरू किये गये हैं, उसमें बाकी थे। आप जांच करवाइए, मंत्री महोदय।

नम्बर 2 बात, स्वीकृत हैण्डपम्पों में से आपने स्वयं ने कहा है कि नौ हैण्डपम्प निर्मित किये जाकर चालू किये जा चुके हैं, पांच शेष हैं, जिनके ऊपर दो वर्ष बाद में अभी 31.7.2023 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, अभी तक चालू नहीं हुए हैं। मैंने पूछा मेरे मूल प्रश्न में कि क्या इनमें जो देरी हुई है पीने के पानी की व्यवस्था के लिए घोषणा थी, जो इसके अन्दर देरी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? बैठें। आप प्रश्न पूछिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): जो देरी की है उसमें कार्यवाही करेंगे क्या उन अधिकारियों के खिलाफ?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दस नलकूल चालू किये गये, उसका विवरण मैंने दिया है। ये 2023 नहीं, 2022 में चालू हुए और जिन पांच हैण्डपम्पों की आपने बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से इसके अन्दर इतना विलम्ब हुआ जो नहीं होना चाहिये था। पहली बात तो यह है कि इनमें से तीन की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी, दो की ड्रिलिंग चल रही है और 31 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि ये पांचों के पांचों हैण्डपम्प चालू हो जाएं।

दूसरी बात जो आपने कही है अधिकारियों की, तो हमने एस.ई. को नोटिस जारी किया है कि इसके कारण बताये जाएं। अगर कारण संतुष्टिपूर्ण नहीं हुए तो आप निश्चित मानें कि सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

हरमाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय (अजमेर) में नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र की स्थापना

451. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कितने नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्रों की स्थापना की गई है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय हरमाड़ा में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राज्य में गत तीन वर्षों में दलहन/तिलहन की खरीद हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कुल 633 व खाद्य विभाग द्वारा 108 नवीन समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोले गये:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	सहकारिता विभाग	खाद्य विभाग
2020-21	611	51
2021-22	20	03
2022-23	02	54
कुल	**633**	**108**

सहकारिता विभाग द्वारा खोले गये नवीन क्रय केन्द्रों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है व खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों की खरीद हेतु खोले गये नवीन क्रय केन्द्रों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालय हरमाड़ा में संसाधनों के अभाव में सम्बन्धित समिति द्वारा क्रय केन्द्र संचालन हेतु असमर्थता प्रकट किये जाने के कारण सहकारिता विभाग द्वारा खरीद केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मांग अनुसार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के FSD किशनगढ़ को क्रय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है।

खरीद केन्द्र खोलने हेतु संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने एवं जिला प्रशासन व क्रय एजेन्सियों से प्राप्त मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार खरीद केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हरमाड़ा में दस बीघा जमीन विभाग की है, बाउण्ड्रीवाल की हुई है, आफिस बना हुआ है और एक प्लेटफार्म बना हुआ है। अभी प्रशासन महंगाई राहत शिविर में किसानों की बहुत जबरदस्त मांग थी और सहकारी समिति भी सहमत है इस बात को लेकर कि यहां खरीद केन्द्र होना चाहिये और महती आवश्यकता है। नम्बर एक। नम्बर दो, क्या समिति की सहमति प्राप्त करवाने पर खरीद केन्द्र चालू कर दिया जायेगा?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पत्र आया हुआ है क्रय-विक्रय का, जिन्होंने खुद ने असमर्थता जाहिर की, इसलिये नहीं खोला गया और जैसा माननीय सदस्य महोदय ने पूछा कि क्या खोलने का विचार रखते हैं, तो अगले सत्र तक आप फिर मांग कर लेना, फिर खोल देंगे अगले सत्र में।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

452. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना लागू है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विगत चार वर्षों में उक्त योजना के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के कितने पात्रताधारियों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा की पात्रता की जांच कर अपात्र लोगों को सूची से हटाने तथा पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विगत चार वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	कुल परिवार	कुल व्यक्ति
1.	2019	61,570	2,57,634
2.	2020	61,893	2,57,255
3.	2021	61,856	2,41,212
4.	2022	60,510	2,32,530

(2) खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता रखने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाया गया है।

(3) वर्तमान में विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015, 29.09.2017, 02.08.2017 एवं 11.04.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभार्थियों की संख्या आपने मेरे बिन्दु संख्या (1) में बतायी है, क्या कारण रहा कि यह आंकड़ा 2019 में 61 हजार 570 था और 2022 में घट कर 60 हजार 510 हो गया? यह मुझे बताने की कृपा करें कि 61 हजार से सीधा 60 हजार पर आ गया। दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि कुल व्यक्ति का आंकड़ा भी इसमें घटा है, जो 2019 में 25 लाख 7 हजार 634 था वही 23 लाख 2 हजार 530 पर रह गया।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, आपने जो तीसरे बिन्दु में उत्तर मुझे दिया है कि 5.11.2015, 29.9.2017 और 2.8.2017 और 11.4.2022 में आपने विभागीय आदेश के अनुसार जो लाभार्थियों के नाम हटाने की और जोड़ने की अपील प्रक्रियाधीन थी, इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा? क्योंकि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आप बोले ही जा रहे हैं, तीन प्रश्न हो गये। प्लीज। किसी प्रश्न को स्पेसिफिक तो करें।

माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जिन लोगों ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन किया है उनकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। अधिकतर क्षेत्रों में आप जो कम होने की बात कर रही हैं उसका कारण एक ही है, अभी बीच में हमने अभियान चलाया था उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग पात्र नहीं हैं, उन लोगों ने ले लिए थे, उनमें अधिकतर लोगों से हमने वसूली भी की है बहुत बड़ी तादाद में। करोड़ों की तादाद में रुपया लिया गया, इस चक्कर में ये नाम कम हुए हैं। फिर भी आपको लगता है कि इसमें आपके विधान सभा क्षेत्र में कमी है और कोई पात्र लोग रह गये हैं तो आपको उसके लिए एस.डी.एम. से बात करनी चाहिये। फिर भी आपको लगे तो आप मुझे बताना, मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा और कोई पात्र लोग रह गये हैं तो उनको जुड़वाने की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठें आप एक मिनट। इनका प्रश्न है कि 5.11.2015, 2017 एवं 2022, इनमें अपीलें पेण्डिंग हैं क्या?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, अपीलें पेण्डिंग हैं पूरे राजस्थान में। अपीलें कई जगह पेण्डिंग हैं और उनके लिए मैंने अभी मीटिंग ली थी। उसमें आदेश दिये हैं एस.डी.एम्स. को कि जो अपीलें पेण्डिंग हैं, उनमें हमने कुछ जगह छूट भी दी हैं कि उनका सारा जो अपीलें पेण्डिंग हैं और वह मैंने पूरी उसमें दी भी है डिटेल, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। वे अपीलें भी पूरे करने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं, उन अपीलों पर हमारी कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड (3) में एक बात कही है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थी चयनित करने की सीलिंग है। क्या यह सही है कि सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेकर यह घोषणा की थी कि वर्तमान में जो केन्द्र सरकार की 69 प्रतिशत की सीमा है, उसको बढ़ाते हुए सौ प्रतिशत किये जाने के लिए आपने क्या अपने नीतिपत्र जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय लीडर, इर्रेलवेंट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इर्रेलेवेंट कैसे?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, प्लीज। अगला प्रश्न 453।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इर्रेलवेंट कैसे हो गया, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: Don't ask me questions. अध्यक्ष की बात नहीं मानना चाहते हैं? I said, I have conveyed my decision. बैठिए आप।

I will not allow it. I will not allow it. आपका सपोर्ट चाहिये? आपका लीडर इतना कमजोर है? (व्यवधान) आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान) क्या धमका रहे हैं, आप मुझ से कह रहे हैं? आप बैठिए, प्लीज। (व्यवधान) आप मुझे कैसे धमका रहे हैं? आसन पर आरोप नहीं लगाएं, नीचे बैठें आप। (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब, I will not allow it. मैं आसन पर आरोप नहीं सुनूंगा, मैं आसन पर आरोप नहीं सुनूंगा। I will throw him out. आसन

(श्री अध्यक्ष)

पर आरोप नहीं सुनूंगा। I am not cut out for this...(व्यवधान) I will not cut out for this. It is my privilege...(व्यवधान) I am on legs. It is my privilege. You have no right to ask the question to me. I am on legs. I am on legs. जाइए आप (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आपका प्रिविलेज है तो क्या हम यहां घास खोदने आये हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) अगला प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) यह क्या बात है, हम सवाल ही नहीं करेंगे? (व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: करिये आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

मदरसा संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

453. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू) के स्थान पर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार मदरसों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश के मदरसों में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं? उक्त को कितना मानदेय दिया जा रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) मदरसा कर्मियों को अनुबन्ध आधारित नियुक्ति तथा सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक F-17(4)DOP/A2/2014, दिनांक 11.01.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 (Rajasthan Contractual Hiring To Civil Posts Rules, 2022) लागू किये गये हैं, जिन्हें राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा अंगीकार (Adoption) किया जाकर उक्त नियमों के अन्तर्गत मदरसा कर्मियों को दिनांक 11.05.2023 को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। उक्त नियमों के नियम-20 में संविदाकर्मियों को नियमानुसार नियमित किये जाने का प्रावधान है।

(2) प्रदेश के मदरसों में 5,656 पैराटीचर कार्यरत हैं। उन्हें दिये जा रहे मानदेय का विवरण निम्नानुसार है:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

क्र.सं.	पैराटीचर्स का प्रकार	कार्यरत पैराटीचर्स की संख्या	वर्तमान मानदेय
1	शिक्षा अनुदेशक	5,342	16,900/-
2	कम्प्यूटर पैराटीचर्स	314	11,812/-
	कुल	**5,656**	

श्री अध्यक्ष: हाउस नहीं चलाना है? I will not allow it. नहीं चलाना? नहीं चलाना, मत चलाइए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाउस चलाना है? हाउस चलाना है? हाउस नहीं चलाना है, मत चलाइए हाउस को। (व्यवधान) I cannot be dictated. I cannot be dictated. I am saying it again. You cannot dictate me. I am saying it, you cannot dictate me. You have no right to raise any question. I said, हाउस नहीं चलाना है, आपकी प्रिविलेज है, मत चलाइए, मत चलाइए। (व्यवधान) माननीय चन्देलिया जी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): हो गया, थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह। (व्यवधान)

करौली में देवस्थान विभाग के अधीन मंदिर

454. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) (श्री लाखन सिंह (करौली) के स्थान पर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में विभाग के सहयोग से कितने मंदिर संचालित हैं? क्या सरकार उक्त को दिये जाने वाले आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त देवस्थानों की चल-अचल संपत्तियां किराये पर दी जाती हैं? यदि हां, तो विगत पांच साल में देवस्थानवार प्राप्त आय, व्यय तथा बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त की संपत्तियों से प्राप्त आय में गबन करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) करौली जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों की सुरक्षा, संरक्षण, रख-

(देवस्थान मंत्री)

रखाव एवं पूजा-पाठ हेतु समय-समय पर राशि में वृद्धि की जाती है। प्रदेश के मंदिरों की पोशाक, रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य करवाने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 15-5-2023 को स्वीकृति जारी की है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों की सम्पत्तियां किराये पर दी जाती हैं। करौली जिले में 5 मंदिरों की सम्पदा किराये पर है, जिनसे गत 5 वर्ष में किराये की आय, व्यय एवं बकाया का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

ग्रीन टैक्स से प्राप्त आय

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 455, श्री सतीश पूनियां। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों से अंक मिलान के पश्चात् तैयार लेखों के अनुसार विगत 5 वर्षों में सरकार को 2018-19 से 2022-23 तक ग्रीन टैक्स से प्राप्त हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (करोड़ में)**
1	2018-19	173.15
2	2019-20	218.47
3	2020-21	173.84
4	2021-22	222.72
5	2022-23	236.22
योग		**1024.4**

(2) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन

(राज्य मंत्री, परिवहन)

की रिपोर्ट अनुसार जयपुर, जोधपुर दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों की सूची में शामिल हैं, के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 के तहत एकमुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है।) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि., अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आर.ओ.बी./आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष/जिले में प्राप्त ग्रीन टैक्स की राशि अथवा विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की कुल प्राप्त राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 5 वर्षो (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) का विवरण निम्न प्रकार है-

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिकार	969.79 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	1,024.40 करोड़
3.	स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार	1,702.03 करोड़ (माह 12/2022 तक)
	कुल	**3,696.22 करोड़**

गत 5 वर्षो (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान

(राज्य मंत्री, परिवहन)

अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार की उपलब्ध समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं/कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	RSRTC को अनुदान	1,401.13 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	212.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	11.30 करोड़
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	9.03 करोड़
6.	APCBL को अनुदान	9.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	400.60 करोड़
8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु RUIRP I,II Works (सड़क, पार्क, अम्बेडकर भवन, श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक, शौचालय, ड्रेनेज इत्यादि के निर्माण पुनरुद्धार हेतु करवाये गये कार्यों के पेटे जारी)	501.06 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी	76.67 करोड़
10.	MJSA मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जारी	17.20 करोड़
11.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी	22.18 करोड़
	कुल	**2,679.23 करोड़**

(3) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है।) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मेट्रो रेल

(राज्य मंत्री, परिवहन)

कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि., अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आर.ओ.बी./आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष/जिले में प्राप्त ग्रीन टैक्स की राशि अथवा विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की कुल प्राप्त राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) का विवरण निम्न प्रकार है-

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार	969.79 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	1,024.40 करोड़
3.	स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार (माह 12/2022 तक)	1,702.03 करोड़
	कुल	3,696.22 करोड़

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार की उपलब्ध समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं/कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	RSRTC को अनुदान	1401.13 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	212.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	11.30 करोड़
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	9.03 करोड़
6.	APCBL को अनुदान	9.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	400.60 करोड़

(राज्य मंत्री, परिवहन)

8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु, RUIRP I,II Works (सड़क, पार्क अंबेडकर भवन, श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक, शौचालय, ड्रेनेज इत्यादि के निर्माण पुनरुद्धार हेतु करवाये गये कार्यों के पेटे जारी)	501.06 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी	76.67 करोड़
10.	MJSA मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जारी	17.20 करोड़
11.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी	22.18 करोड़
कुल		**2,679.23 करोड़**

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह इतना लंबा उत्तर है, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: इतना लम्बा उत्तर है, कम से कम ब्रीफ में उत्तर लेकर आएं, वह ज्यादा बढ़िया है।

मां-बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगी

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 456, श्री गोपीचंद मीणा। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

माननीय जनजाति मंत्री जी।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): मां-बाड़ी/डे-केयर योजना में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को संविदा कार्मिक का दर्जा देने हेतु योजना मार्गदर्शिका में कोई प्रावधान नहीं है। इनको योजना मार्गदर्शिका अनुसार जनजाति ग्राम विकास समिति के माध्यम से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा सहयोगियों को संविदाकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा सहयोगियों की सेवा योजना में मानदेय आधारित होने से संविदाकर्मी का दर्जा देने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

रायसिंहनगर में लम्बित विद्युत कनेक्शन

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 457, श्री बलवीर सिंह लूथरा। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माह दिसम्बर 2022 के अंत तक बी.पी.एल. घरेलू श्रेणी में कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। कृषि श्रेणी में मांग पत्र जमा वाले सामान्य योजना में सामान्य वर्ग श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी एवं बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना श्रेणी के लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) रूट विवाद व कोर्ट केस में लम्बित आवेदकों को छोड़कर अन्य लम्बित आवेदकों को वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। लम्बित आवेदनों का लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में पोलीटेक्निक कालेज की स्वीकृति

458. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी के लिए पोलीटेक्निक कालेज प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त कालेज की स्वीकृति कब जारी की गई व वर्तमान में उक्त की क्या प्रगति है?

(2) विगत सत्र में उक्त कालेज के लिए प्रवेश किस महाविद्यालय के कैम्पस में करवाये गये हैं एवं वर्तमान में उक्त कालेज कहां संचालित हो रहा है तथा उक्त कालेज को कब तक विधान सभा क्षेत्र पिलानी में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 48.02.0 नवीन राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी के स्थापना की घोषणा की गई। प्रशासनिक विभाग के पत्रांक एफ12(02)त.शि./2019 जयपुर दिनांक 02.07.2021 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई, जो कि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय पिलानी, (झुन्झुनूं) जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने अपने आदेश क्रमांकः प 12(3)()राज/22/3110, दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिड़ावा को आबंटित भूमि में से ग्राम अड़ूका स्थित भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 4.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु.जोहड़ में से 1.65 हैक्टेयर भूमि राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी को निःशुल्क आबंटित की गई है।

उक्त के पश्चात् नगरपालिका विद्या विहार, पिलानी ने अपने पत्रांक 3852-55 दिनांक 17.02.2023 द्वारा निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर को लिखकर ग्राम पिलानी के खसरा नम्बर 969, रकबा 7.4600 गैर मु. आबादी में से 1.799 हैक्टेयर (17,995 वर्गमीटर) भूमि राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी को आबंटन की स्वीकृति हेतु भिजवाया है। प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अर्धशासकीय पत्रांक एफ12(02)तशि/2022, जयपुर दिनांक 30.06.2023 द्वारा जिला कलेक्टर झुन्झुनूं को शीघ्र भूमि आबंटन हेतु लिखा है जो कि परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। भवन निर्माण का तकमीना प्राप्त हो चुका है। वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 9.00 करोड़ के बजट आबंटन की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है, भूमि आबंटन के प्रकरण का शीघ्र निस्तारण होने के पश्चात् आबंटित बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) सत्र 2021-22 से नवीन संस्थान में प्रवेश प्रारम्भ कर कैम्प - राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, झुन्झुनूं में संचालित की जा रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। तदुपरान्त राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, पिलानी को स्वयं के भवन में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और राज्य सरकार द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में पोलीटेक्निक कालेज खोलने और अब तक जो कार्यवाही की गई है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन 2021-22 की घोषणा के उपरान्त भी अभी तक पिलानी में अपना भवन नहीं बन पाया है। इसके लिए क्या जिला कलेक्टर झुन्झुनूं को आपके यहां से निर्देश आयेगा कि जो मामला न्यायालय में लम्बित है, उसमें

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

समय लग सकता है और भवन हमें जल्दी बनाना है, आपने बजट भी आबंटित कर दिया है तो क्या जिला कलेक्टर को आप यह निर्देश प्रदान करेंगे कि अन्य कोई वैकल्पिक भूमि पिलानी में ही हमें दी दी जाए और पिलानी में इसका भवन तैयार हो जाए, ताकि शीघ्रातिशीघ्र, हमारे यहां जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, वे पिलानी पोलीटेक्निक कालेज में अपना अध्ययन शुरू करें। थैंक यू।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय की भावना के अनुरूप आलरेडी एक पत्र लिखा जा चुका है। अभी आपने जो अनुरोध किया, पुन: जैसे ही वैकल्पिक व्यवस्था हो जायेगी और इस व्यवस्था के लिए भूमि का आबंटन करने के लिए कलेक्टर को पुन: पत्र लिख दिया जायेगा और भवन निर्माण का काम शीघ्र शुरू करवाया जायेगा।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू।

मनोहर थाना में संचालित अवैध शराब की दुकानें

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। 459, श्री गोविन्द प्रसाद। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

आबकारी मंत्री जी।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अनुज्ञाधारी मदिरा दुकानें ही संचालित हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में मदिरा की दुकानें रात्रि आठ बजे तक ही संचालित होती हैं।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

सिवाना में नवगठित पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा सुविधा

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 460, श्री हमीर सिंह भायल। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

माननीय पशुपालन मंत्री जी।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 50 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं।

(पशुपालन मंत्री)

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 87 ग्राम पंचायतों में से 50 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं तथा 37 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन हैं।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पशु चिकित्सा संस्थाओं के राजकीय भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

बीसलपुर परियोजना की विस्थापित कालोनियों की सड़कों का पुनर्निर्माण

461. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों हेतु बसाई गई कालोनियों की सड़कों का सन् 1998 में निर्माण के पश्चात् अब तक पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण ज़र्जरावस्था में हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त कालोनियों की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सड़कों को उक्त विभाग को कब तक हस्तांतरित कर पुनर्निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: बहुत आराम से, जल्दी गाड़ी दौड़ाने की जरूरत नहीं है।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। संसाधनों के अभाव में सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका है। बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में 51 पुनर्वास कालोनियों का निर्माण वर्ष 1988 से 2010 मध्य किया जाकर इनमें सड़कें एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी थीं। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना में 51 पुनर्वास कालोनियों में से

(जल संसाधन मंत्री)

45 पुनर्वास कालोनियों को आवश्यक रख-रखाव हेतु पंचायती राज विभाग में हस्तांतरित किये जाने से सड़कों एवं मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव का कार्य वर्तमान में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। शेष 6 पुनर्वास कालोनियों में से 4 में आबादी विकसित नहीं है तथा 2 कालोनियों को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। बीसलपुर बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए बनायी गयी कालोनियों की सम्पर्क सड़कों के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2023 को आयोजित बैठक में उक्त पुनर्वास कालोनियों की सम्पर्क सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि संसाधनों के अभाव में सड़कों का मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा सका है, सर, ये कालोनियां सन् 1984-85 में स्थापित की गयी थीं, जब बीसलपुर बांध का निर्माण हुआ था। जिन लोगों की जमीनें गयी थीं, जो गांव डूब में आये थे, उनको बाहर लाकर बसाया गया था, उनको कालोनी बोलते हैं। सर, आप देखिए 40 साल तक जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हो, रखरखाव नहीं हो, जिन गांवों में सड़कें नहीं हों, उनकी स्थिति कैसी दयनीय होगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। सर, मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है, क्योंकि दो साल तक मैंने सब जगह बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, इर्रिगेशन सेक्रेटरी से बात की और पी.डब्ल्यू.डी. सेक्रेटरी से बात की। इर्रिगेशन सेक्रेटरी तो यह कहते हैं कि, साहब, हमने तो एक बार बना दी है, मेंटिनेंस पी.डब्ल्यू.डी. करेगी। जब मैंने पी.डब्ल्यू.डी. वालों से बात की तो वे कहते हैं कि, साहब, हमको बजट तो दिलवाएं, ट्रांसफर करवाएं। पेपर्स ट्रांसफर होने हैं, इसमें फिजिकल ट्रांसफर कुछ नहीं है। ये दो साल तक यह ट्रांसफर नहीं कर पाये कि इनको पंचायती राज में रखना है या पी.डब्ल्यू.डी. को देना है। तीनों अधिकारी यहां बैठते हैं। चीफ सेक्रेटरी, पी.डब्ल्यू.डी. सेक्रेटरी और इर्रिगेशन सेक्रेटरी। इन तीनों में इतना भी कोर्डिनेशन नहीं है कि एक एजेंसी बना दें। जिसको भी करना है, वह अपना काम करे।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 09.03.2023 की बैठक में यह तय हो चुका है कि इसका पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को हस्तान्तरण किया जायेगा। हम प्रक्रिया को जल्दी से

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

जल्दी प्रारम्भ करके, जो पंचायती राज में पहले चली गयीं और अब जो शेष रह गयीं, उनको हम पी.डब्ल्यू.डी. में हस्तान्तरित कर देंगे।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, 09.03.2023 को भी चार महीने हो गये हैं। इसे पेपर में ही तो करना है। इसमें शीघ्रातिशीघ्र क्या होता है? आप चार महीने में कागज पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, फिर कहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र होगा। समय बताइये कि इस महीने में होगा, 10 दिन में होगा या 15 दिन में होगा। इसमें क्या करना है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे विभाग के अधिकारियों की जल्दी से बैठक बुलाकर इसका निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप यह बताएं कि कोई भी जो परियोजना बनती है, उसमें जो विस्थापित होते हैं, उनमें जो कालोनियां बसती हैं, क्या उनके लिए विभाग की कोई नीति है? यह तो एक उदाहरण है। भविष्य में भी ऐसे बनेंगे, तो उनके लिए विभाग ने कोई बना रखा है कि क्या विस्थापित कालोनी डवलप होने के बाद उनकी सड़क और सब काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वह इनबिल्ट इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट का पार्ट है या इस तरह से यह खुला हुआ है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट है और जो भी परियोजना बनती है, उसको वन-टाइम ही लाभ दिया जाता है। जैसे कालोनियां हैं, ढाई सौ की आबादी होगी तो आटोमैटिक पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को हस्तान्तरित हो जाती हैं, क्योंकि ढाई सौ तक की आबादी तक तो सड़क को पक्का करना अनिवार्य हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। कोई भी इर्रिगेशन की योजना बनेगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो उनको आप कहीं बसायेंगे। बसाने के बाद जो कालोनी बनती है तो उस कालोनी की बिजली, सड़क ये किसमें, या तो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करके करते हैं या उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, जिनके लिए बाद में कोई योजना नहीं बनती। यह उदाहरण चालीस साल का है। भविष्य में, जो योजनाएं बन रही हैं, उनके लिए विभाग में इस अनुभव का लाभ लेकर कुछ योजना बनाने का काम कर रहे हैं क्या?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, इसकी और कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया।

परबतसर में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत राशि

462. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जल जीवन मिशन योजना में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंशदान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना में प्रदेश को अंशदान की कितनी राशि कब-कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में उक्त योजना में कितनी राशि कब-कब जारी की गई तथा अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना की पूंजीगत लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा डी.डी.पी. क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत जनभागिता अंशदान लिया जाना प्रावधित है तथा शेष राशि का आधा-आधा हिस्सा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को दिनांक 30.06.2023 तक राशि रु. 10,109.10 करोड़ प्राप्त हुई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में वर्तमान में अवस्थित कुल 161 ग्रामों में से 110 ग्रामों को जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही घर-घर जल सम्बन्धों द्वारा लाभान्वित किया जा चुका था।

शेष 51 ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत घर-घर जल सम्बन्धों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहत् पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना के अधीन कुछ लाभार्थी परिवारों से अंशदान लिया गया

(श्री रामनिवास गावड़िया)

तथा कुछ परिवारों से नहीं लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज गांवों में अविश्वास का भाव है कि कुछ लोगों से अंशदान की राशि ली गयी और माननीय मंत्री जी ने बजट घोषणा में यह घोषणा की, तो बाकी परिवारों से नहीं लिया गया तो अब गांवों में यह स्थिति बनी हुई है कि जो कनेक्शन पहले हुए या फिर जो अंशदान लिया गया और वर्तमान में जिनसे अंशदान नहीं लिया गया, उनके कनेक्शन अब एक साथ किये जा रहे हैं। हम सब लोगों के सामने यह दुविधा है, हम सब लोग समानता का भाव चाहते हैं। हम मंत्री जी से चाहते हैं कि क्या सरकार उनमें समानता की स्थिति रखना चाहती है? यदि हां, तो जिन परिवारों से अंशदान लिया गया है, उनको कब तक वापस लौटा दिया जायेगा?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार योजना में ग्रामों की पूंजीगत लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत जनभागिता अंशदान लिया जाना प्रावधित था। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में योजनाओं के कार्यादेश होने से लेकर मार्च, 2023 तक उपरोक्त प्रावधान के अनुसार जनभागिता अंशदान लिया जा रहा था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023 की बजट घोषणा में उपरोक्त अंशदान को राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की घोषणा के पश्चात् अंशदान नहीं लिया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में क्रियान्वयन सहायक एजेंसी मैसर्स कृषक सेवा संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रावधान के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2023 के बजट में प्रावधान हुआ, 01 अप्रैल से इसको लागू किया। जिन्होंने 01 अप्रैल से पहले अंशदान दिया है, वह वापस किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 01 अप्रैल, 2023 के बाद से कोई अंशदान नहीं लिया जा रहा है और आगे भी, जब तक कि यह योजना पूरी नहीं होगी, अंशदान नहीं लिया जायेगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नागौर जिले में नहरी पानी की कुल मांग कितनी है? नागौर जिले में नहरी पेयजल योजना से वर्तमान में प्रतिदिन कितना जल वितरण किया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय, सदन की मेज रखें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नागौर जिले की पेयजल की दैनिक मांग 300 एम.एल.डी.

(डा. महेश जोशी)

है, जिसके विरुद्ध औसतन 250 एम.एल.डी. नहरी जल प्रतिदिन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2,535 नलकूपों से लगभग 66 एम.एल.डी. जल उत्पादित कर जिले में वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कुल 306 एम.एल.डी. जल प्रतिदिन दिया जा रहा है।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परबतसर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव जो नावां खंड में, कुचामन खंड में आते हैं, उनमें से परबतसर विधान सभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें अभी वर्तमान में जो घोषणा हुई है, उससे उनको अलग रखा गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उन पंचायतों को भी जल जीवन मिशन योजना के तहत जोड़ना चाहेगी?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में कुल 161 ग्राम हैं, जिसमें से 110 ग्रामों को जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही हर घर नल कनेक्शन थे। बाकी जो 51 ग्राम बचे हैं, उनमें 10 योजनाओं के माध्यम से कनेक्शन दिये जाने हैं। 10 में से 6 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जो 4 योजनाएं प्रगतिरत हैं, अक्टूबर 2023 तक, उनको पूर्ण किया जाना लक्षित है, पूरा कवर परबतसर विधान सभा क्षेत्र हो जाएगा।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): धन्यवाद।

नसीराबाद में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 463, श्री रामस्वरूप लाम्बा। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

सहकारिता मंत्री जी।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 11 अन्य सहकारी समितियों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एवं 01 क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गोदाम विद्यमान है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। दिसम्बर, 2022 तक 01 ग्राम सेवा सहकारी समिति (साम्प्रोदा) में गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो अभी निर्माणाधीन है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में सहकारी समितियों को 4,593.95 मै.टन डी.ए.पी. व 3480.73 मै.टन यूरिया खाद प्रदान की गई जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

सूरतगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लाभार्थी

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। 464, श्री रामप्रताप कासनियां। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

खाद्य मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक 11,398 परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 6,005 अपीलें लम्बित हैं, जिनके नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

जैसलमेर में खुली बोली में मुरब्बों की बिक्री के अनुमोदन के लम्बित प्रकरण

465. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में विभाग में लगभग दस वर्ष पूर्व खुली बोली में मुरब्बों की बिक्री हुई थी तथा किसानों द्वारा प्रथम किस्त की राशि जमा करवाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा उक्त का अनुमोदन लम्बित है? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले किस स्तर पर लम्बित हैं तथा सरकार द्वारा उक्त का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): यह सही नहीं है कि जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में लगभग 10 वर्ष पूर्व खुली बोली में मुरब्बों की बिक्री हुई थी। बल्कि वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक मोहरबंद बोली द्वारा

(उपनिवेशन मंत्री)

मुरब्बों की बिक्री हुई थी। कुल 3,404 प्रकरण आयुक्त उपनिवेशन विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए, जिनमें से 2,523 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में जैसलमेर जिले में 823 प्रकरण लम्बित थे, जिनमें से माननीय न्यायालयों से प्राप्त निर्णयों की पालना एवं आवंटी के स्वयं प्रार्थना-पत्र पर 04 प्रकरणों को निरस्त कर रिफण्ड की कार्यवाही की गई है। शेष 819 प्रकरणों के सम्बन्ध में आयुक्त उपनिवेशन विभाग द्वारा मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया गया है। प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 2006 से 2013 तक मोहरबंद भूमिविहीन लोगों से जो आमंत्रित किये गये, उन्होंने राशि जमा भी करा दी, लगभग 15 वर्ष से भूमिहीन हैं, उनका निस्तारण नहीं किया। भू-माफिया उस पर खेती कर रहे हैं। क्या इनके निस्तारण में इतना समय लगता है, 15 वर्ष? 2,523 का कर दिया है और जो यह आंकड़ा बताया गया 3,404, 4 निरस्त हुए, 2,523 का डिस्पोजल हुआ, तो इसमें शेष भी 877 रहते हैं, तो ये 54 का डिफरेंस है, ये क्या है? इतने वर्ष तक सरकार द्वारा नहीं किया जाना, इसका मतलब भू-माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कब तक कर लेंगे? तीन सरकारें लगभग चली गयीं और चौथी आने को है। अब सरकार कब तक डिस्पोजल करके जिन भूमिहीनों ने पैसे भर रखे हैं, उनका निस्तारण कर देगी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है और उन्होंने नियमानुसार राशि भी जमा कराई है। इनमें 819 प्रकरण तो जैसलमेर के हैं और 62 प्रकरण बीकानेर के हैं। इसमें हमें वित्त विभाग और विधि विभाग दोनों की अलग-अलग राय प्राप्त हुई है। विधि विभाग कह रहा है कि नियमानुसार राशि आप बढ़ा कर ले नहीं सकते और फाइनेंस डिपार्टमेंट की अलग से राय आ रही है। इस प्रकरण को हम विभागीय स्तर पर देख रहे हैं। एक सप्ताह के अन्दर इसका निस्तारण हम कर देंगे। जल्दी से जल्दी किसानों के लिए अगली कार्यवाही करके आयुक्त को निर्देशित किया जाएगा।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: इतना सरल प्रश्न है? 2013 का मामला है। सप्ताह भर में डिस्पोज हो जाएगा, मतलब इतना सिम्पल बता रहे हैं। 2006 से 2013 तक, अब 2023 चल रहा है। सप्ताह भर में डिस्पोज हो जाएगा?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लगभग, इस पर हमने जो कार्यवाही की है, सभी विभागों के साथ हमारी मीटिंग भी हो गयी है। हमारा प्रयास यह है कि सप्ताह के अन्दर इसकी कार्यवाही हो जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनके पैसे ले लिये गये हैं। इतने समय से पैसे पड़े हुए हैं। क्या सरकार 7 दिन में उनको सबको खातेदारी अधिकार दे देगी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के स्तर पर तो निर्णय होना है। मैंने ये कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर जो विचाराधीन है, उसका निर्णय हम सप्ताह में कर देंगे। उसके बाद विभाग के स्तर पर, जो कमिश्नर कार्यालय के स्तर पर या सम्बन्धित उपायुक्त, उपनिवेशन के कार्यालय पर जो कार्यवाही होनी है, उसमें वक्त लगे, वह अलग बात है। हमारे यहां जो विचाराधीन है, उसको हम एक सप्ताह के अन्दर क्लीयर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं?

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं करना चाहूंगा कि 75 परसेंट टोटल प्रकरण हैं, उनका निस्तारण किया जाना और 25 परसेंट के आसपास का बाकी रखना, ये सरकार संशय के घेरे में आती है। पिक एंड चूज क्यों किये गये? जो बचे हुए हैं, एक सिमिलर हैं। राज्य सरकार से दरें अनुमत करायी गयीं। मोहरबंद ली गयीं। लोगों ने पैसे जमा कराये और कई लोगों ने गहने-गांठें बेचकर जमीन के पैसे जमा कराये कि हम खेती करेंगे। वे 15-20 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। उनमें से कुछ चुन-चुन कर किये जा रहे हैं, बाकी शेष पड़े हैं। जो गरीब हैं, एस.सी./एस.टी. के हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास आने-जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है। उनके पेंडिंग रहना, इससे छवि सरकार की जबरदस्त खराब हो रही है और भू-माफिया खुलेआम उन मुरब्बों में खेती कर रहे हैं और वे इस ढंग से फिर कर बातें कर रहे हैं कि कौन करेगा? हम ही करते रहेंगे। सरकार हमारी आई है। मंत्री महोदय ने जो 7 दिन में फरमाया है, अगर 7 दिन में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देरी तो पहले हो ही गई। यह हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, disposal is one thing and possession is another thing. आप क्या डिस्पोजल करके उनको जमीन का अधिकार देने की हैसियत में सात दिन में हैं क्योंकि मैटर 2013 से पेंडिंग

(श्री अध्यक्ष)

है। क्या आप यह कहने की स्थिति में हैं कि डिस्पोजल करके उनको पजेशन मिल जाएगा, क्योंकि वे पैसे जमा करा चुके हैं? क्या आप कहने की स्थिति में हैं कि उनको पजेशन मिल जाएगा?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्रकरण हैं, जैसे 3,404 प्रकरण थे, इनका निर्णय होना था कमिश्नर, बीकानेर के स्तर पर। उन्होंने मार्गदर्शन मांग लिया सरकार से, जबकि कुछ प्रकरणों का, 2,504 प्रकरणों का निस्तारण उन्होंने किया ही है। इसके बाद में जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, उसके बाद में दूसरे जो आबंटन होते हैं, सामान्य आबंटन, विशेष आबंटन, उसमें हमेशा दरें बढ़ती हैं। जो खुली बोली होती है, उसमें दरें बढ़ती नहीं हैं, तो कमिश्नर ने मार्गदर्शन के लिए यहां भेज दिया।

2006 से लगातार यह प्रकरण चल रहा है। मेरे पास तो विभाग आये डेढ़ साल हुआ है। डेढ़ साल में हमने तीन बार सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि राज्य सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय हो जाए। मुख्य मंत्री कार्यालय पर भी यह डिस्कस हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि सरकार के स्तर पर, यहां पर यदि कोई निर्णय कमिश्नर को दिया जाता है, उसके बाद में जो कार्यवाही होती है, वह अलग-अलग स्तर पर है, क्योंकि हमारे तीन अधिकारी अलग-अलग बैठते हैं। उपायुक्त, उपनिवेशन, जैसलमेर अलग कार्यालय है, मोहनगढ़ का ए.सी.सी. कार्यालय अलग है। नाचना का कार्यालय अलग है। बीकानेर का अलग कार्यालय है। ये चार आफिसों के अलग-अलग प्रकरण हैं। यहां से कोई भी मार्गदर्शन जाएगा, निर्णय होकर जाएगा, उसके बाद सम्बन्धित कमिश्नर इन चारों कार्यालयों पर अलग-अलग अपना निर्णय देगा। वहां पर हम तुरन्त रूप से कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: I just want to understand it. सरकार प्रयास करेगी, तो फैसला कौन करेगा? अलग-अलग विभाग के अन्दर ये चीज़ें कोर्डिनेट करनी है तो किसी न किसी को तो आनरशिप लेनी ही पड़ेगी कि इसको डिस्पोज कौन करेगा। 2013 से इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं। जिन प्रकरण पर एक विभाग से दूसरा, उपनिवेशन रेवेन्यू का कर रहा है, रेवेन्यू फाइनेंस का कर रहा है। जो लोग पैसे जमा करा चुके हैं उनको पजेशन नहीं मिल रहा है। कानून कहता है कि आज पजेशन दोगे तो और पैसा मांगोगे तो उन लोगों की

(श्री अध्यक्ष)

क्या गलती है जिन लोगों ने उस समय की डिमाण्ड के आधार पर पैसा जमा करा दिया, उपनिवेशन और जिसके बीच उनको पजेशन नहीं मिला तो यह निस्तारण की जो प्रक्रिया है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पिक एंड चूज में कुछ लोगों को तो दे दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया, तो वे कौन से नियम हैं जिनके अन्दर कुछ को दे दिया और कुछ को नहीं दिया गया, नम्बर एक। नम्बर दो, इसको कोर्डिनेट करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जब उपनिवेश्न विभाग, उनको पजेशन देने की जिम्मेदारी का काम किसका है? अल्टीमेटली उपनिवेशन आपसे लिख ले, आप सरकार को लिख लो, तो उनको एक्चुअल पजेशन कौन देगा?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारियों की लापरवाही रही है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही यह प्रकरण 10-12 साल से चल रहा है। पहली बात, कमिश्नर आफिस को सरकार से मार्गदर्शन देने की जरूरत भी नहीं थी। स्पष्ट नियम है कि कमिश्नर कार्यालय के ऊपर-नीचे जितने भी अधिकारी हैं, वे खुद खुली बोली पर सरकार के नियमों के अनुसार इस पर कार्यवाही कर सकते थे, पर सरकार से उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। आज से 12 साल पहले क्या हुआ, वह तो बहुत लम्बी प्रक्रिया थी। डेढ़ साल के बाद में मैं यह बता सकता हूं कि हमने जो कार्यवाही की है, फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट दोनों से हमने डिस्कस किया है। हम चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर मार्गदर्शन जो भी है, वह हम तुरन्त दे दें, ताकि यहां से जो मार्गदर्शन जाएगा उसके बाद भी सम्बन्धित आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर जो हमारा कार्यालय है, वह सम्बन्धित चार कार्यालय हमारे नीचे बैठते हैं सहायक उपायुक्त और उपायुक्त, उपनिवेशन, उन लोगों को कार्यवाही के लिए सम्बन्धित किसान के साथ वेरिफाई करके, उसमें वक्त लगेगा, वह अलग बात है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार में, जो मार्गदर्शन चाहा गया है, उसको हम सात दिन में निर्णय कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप समझें। मैं फिर आपको कह रहा हूं, उपनिवेशन के कानून बने हुए हैं, उस कानून के अन्तर्गत सरकार के पास मार्गदर्शन पर पिक एंड चूज हो रहा है, तो सरकार को कोई कान्क्रीट निर्णय लेना पड़ेगा, उसी लेवल पर डिस्पोजल हो। यह अधिकार क्यों दे रहे हैं कि हम कुछ को तो दे दें और कुछ के लिए मार्गदर्शन मांगें, जबकि उपनिवेशन के कानून बहुत सिम्पल हैं। उन कानूनों के अन्तर्गत वे ही काम्पीटेंट हैं। अब 13 साल में मार्गदर्शन के

(श्री अध्यक्ष)

आधार पर कुछ लोगों के केस मार्गदर्शन में आ रहे हैं और कुछ लोगों को पजेशन दिया जा रहा है, तो यह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या सरकार उनको डायरेक्शन देगी कि मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, कानून के अन्तर्गत आप डिस्पोज करो, उनकी क्यों पेंडेंसी कर रखी है, क्या इस तरह का विचार रखते हैं? क्योंकि उपनिवेशन के मामले में जो गरीब आदमी है, पैसा जमा करा दिया उसको तो पजेशन मिल नहीं रहा है, जो आदमी एप्रोच कर रहा है, उस आदमी को पजेशन मिल रहा है तो मार्गदर्शन करना एक ऐसा विण्डो मिल गया है जिस मार्गदर्शन के अन्तर्गत जिनको पजेशन नहीं देना है, वह मार्गदर्शन के लिए यहां पर आ गया, जबकि उपनिवेशन के कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के अन्तर्गत कौनसा कानून उनको मार्गदर्शन के लिए आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि लापरवाही रही है, लापरवाही की वजह से ही इतना लम्बा प्रकरण चला है। उसके बाद आपने जो मार्गदर्शन दिया है, उस मार्गदर्शन पर कार्यवाही करके जितना जल्दी किसानों को लाभ दिया जा सकता है, उनको खातेदारी के अधिकार दिये जा सकते हैं, वे अधिकार दिये जाएंगे।

श्रीगंगानगर के परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 466, श्रीमती संतोष। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

परिवहन मंत्री जी।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 41 ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत 2 वर्षों में बीकानेर सम्भाग में निजी बसों को 872 नये परमिट जारी किये गये तथा बसों का संचालन बंद नहीं किया गया।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बीकानेर संभाग में विगत 2 वर्षों में 35 नई बसें संचालित की गयीं तथा 7 मार्गों पर बसों का संचालन बंद किया गया, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में परिवहन

(राज्य मंत्री, परिवहन)

सेवा से वंचित रही लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़े जाने हेतु ग्रामीण परिवहन सेवा का संचालन किये जाने संबंधी घोषणा के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी अद्यतन वस्तुस्थिति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

निजी बस संचालकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत मार्गों पर आवेदन करने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जाते हैं।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सौर ऊर्जा से सिंचाई की योजना

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 467, श्री प्रताप लाल भील (गमेती)। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

जनजाति मंत्री जी।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। सरकार द्वारा TSP क्षेत्र में जनजाति कृषकों को सौर ऊर्जा से सिंचाई हेतु योजना की घोषणा की गई है।

वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा संख्या 304 अन्तर्गत उदयपुर ज़िले में 3 कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर कार्य प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने पर कुल 253 कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कुल कितने कृषक हैं जिनको लाभान्वित करना था? आप बताइए, कुल कितने कृषकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करना था?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): बजट घोषणा।

श्री अध्यक्ष: बजट घोषणा में कितने, कोई टारगेट रख रखा है किसान का या कोई टारगेट नहीं रख रखा था?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): सरकार ने उसमें टोटल 765 काश्तकारों को बजट घोषणा में।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

पाली में लम्बित कृषि कनेक्शन

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 468, श्रीमती शोभा चौहान। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

ऊर्जा मंत्री जी। कितना धीरे बोल सकते हैं आप, टैस्ट है आज।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) पाली ज़िले में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र राशि का निर्धारण वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति-2017 में वर्णित प्रावधानानुसार किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) कृषि कनेक्शन नीति-2017 एवं वितरण निगमों से जारी आर.ई. आदेशों में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात् बूंद-बूंद/ फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति श्रेणी व सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर एवं सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जमा होने पर वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है।

(3) पाली ज़िले में माह जुलाई, 2020 से पूर्व मांग पत्र राशि जमा वाले वर्तमान में लम्बित कृषि आवेदकों का लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

पिण्डवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 469, श्री समाराम गरासिया। (माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

आयुर्वेद मंत्री जी।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के कुल 31 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21 कार्यरत हैं एवं 10 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद निम्न कार्यवाही कर भरे जाने हैं:-

विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 652 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया जा चुका है, अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में 01 चिकित्सालय एवं 27 औषधालय, कुल 28 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं।

(पूर्ण विवरण के लिए कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपने इसमें बताया है कि 31 में 10 पद रिक्त हैं। आप बैठिए पहले आराम से। 10 पद कब से रिक्त हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मैं अलग-अलग बता सकता हूं। पिंडवाड़ा में एक पद 01.01.2021 से रिक्त है, उपलागढ़ में 09.01.2011 से रिक्त है, मुंगथला में रिक्त पद 05.06.2022 से है, गिरवर में 26.08.2022 से है, भैसासिंह में 31.01.2023 से है, ओर में 28.08.2022 से है, एक पद पेशुआ में 25.08.2028 से है, भूला में 01.09.2022 से, वाटेरा में 17.06.2022 से है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी हमने 135 पदों की डी.पी.सी. करके, उसकी परमिशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। हमारी यह प्रक्रिया चल रही है जो करीब-करीब अगस्त तक शायद पूरी हो जायेगी। 787 पदों पर हम भर्ती कर रहे हैं और शायद यह भर्ती अगस्त के महीने तक कम्प्लीट होकर हो जायेगी और उनको भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय: 12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रदेश में बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री राजेन्द्र राठौड़
2. श्री छगनसिंह
3. श्री नारायण सिंह देवल
4. श्री जोराराम कुमावत
5. श्री जोगेश्वर गर्ग
6. श्री हमीर सिंह भायल
7. श्री अर्जुन लाल जीनगर
8. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
9. श्री गोपाल लाल शर्मा
10. श्री सतीश पूनियां
11. श्री धर्मेन्द्र कुमार
12. श्री अमृतलाल मीणा
13. श्री रामप्रताप कासनियां

(श्री अध्यक्ष)

14. श्री बिहारीलाल
15. श्री मदन दिलावर
16. श्री संजय शर्मा
17. श्री सुभाष पूनिया
18. श्री गुरदीप सिंह
19. श्री ज्ञानचंद पारख
20. श्रीमती अनिता भदेल
21. श्री अभिनेश महर्षि
22. श्री रामस्वरूप लाम्बा
23. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल
24. श्री रामलाल शर्मा
25. श्री निर्मल कुमावत
26. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी
27. श्री सुमित गोदारा
28. श्री जगसी राम
29. श्री नरेन्द्र नागर
30. श्री कालूराम
31. श्री बलवीर सिंह लूथरा
32. श्री गोविन्द प्रसाद
33. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
34. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)
35. श्री धर्मनारायण जोशी
36. श्री सुरेश सिंह रावत
37. श्रीमती संतोष
38. श्री फूल सिंह मीणा
39. श्री पब्बाराम
40. श्री वासुदेव देवनानी
41. श्री नारायण बेनीवाल
42. श्री पुखराज एवं
43. श्री बाबुलाल झाडोल।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में टोडी माल स्थित भूमि खसरा नं. 93, 97 एवं 98 का सीमा ज्ञान नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से आसीन्द विधान सभा क्षेत्र की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आसीन्द को यथावत रखने एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का भवन अन्यत्र बनाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से खनिज पाउडर एवं अन्य खनिज प्रसंस्करण उद्योगों पर वार्षिक पंजीयन शुल्क प्रभारित करने और ट्रांजिट पास व्यवस्था के कारण राज्य के उद्यमियों में हो रहे भारी रोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत हुए कार्य के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से मालपुरा उप खण्ड को जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू में अतिवृष्टि से सड़कों एवं नालों के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पाले से वर्ष 2022 की खरीफ की फसल के खराबे का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी लाइसेंसी द्वारा बजरी की अधिक कीमत वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत सैंदड़ा के ग्राम कोटड़ी, जिला पाली की खसरा नं. 273 भूमि को गौशाला के नाम पर आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश की दूरदराज ढाणियों का विद्युतीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्री सतीश पूनियां, श्री बिहारीलाल, श्री संजय शर्मा, श्री रामलाल शर्मा एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत जैपला में तहसीलदार छबड़ा द्वारा पद का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से माह जून, 2023 में आये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से बयाना को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर शहर के ड्रैनेज सिस्टम को ठीक करने एवं जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सिंगल फेज के मोटर पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में खनिज विभाग द्वारा डी.एम.एफ.टी. फण्ड की राशि को क्षेत्र के विकास हेतु खर्च किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यू.आई.टी., उदयपुर के पेरिफेरी क्षेत्र में वर्षों से निवासरत परिवारों के भूखण्डों का नियमन कर पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के पानी का रेगुलेशन 4 में से 2 समूह में परिवर्तन कर किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(11) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ में किसानों को खरीफ सीजन वर्ष 2022 में हुए फसल खराबे का बीमा क्लेम एवं मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा बिजली के बिलों में सरचार्ज बढ़ाने से विद्युत बिलों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बरसाती एवं दूषित जल-भराव की समुचित निकासी की व्यवस्था समुचित करने के सम्बन्ध में।

(14) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी की क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले कई वर्षों से सड़कों का नव-निर्माण नहीं होने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नारायण बेनीवाल।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर मैम्बर हैं। अलाउ नहीं। I will not allow it. आप बैठें। माननीय नारायण बेनीवाल।

माननीय सदस्य, आप एक सीनियर मैम्बर हैं। आप सीनियर मैम्बर हैं। माननीय सदस्या, आप एक सीनियर मैम्बर हैं। प्लीज, आप बैठें। माननीय राठौड़ साहब, प्लीज। आप बैठें। आपको बोलने का मौका देंगे, आप बैठें। आप बैठें। आपको मौका देंगे। माननीय नारायण बेनीवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 50, स्थगन प्रस्ताव के तहत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कानून व्यवस्था को लेकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय पुखराजजी, I will not allow it. आपकी पार्टी का आदमी बोल रहा है, मैं बंद कर दूंगा। प्लीज, आप नीचे बैठें। मिस्टर पुखराज गर्ग, I will deprive you. नारायण बेनीवाल, प्लीज, आप रुकें। मिस्टर पुखराज, क्या आप पार्टी के लीडर हैं? आप यह बंद करें या बाहर निकलें। मैं अलाउ नहीं करूंगा इनको। I will not allow it.

मैम, प्लीज, आप भी बैठें। यह गलत बात है, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह सदन का आखिरी सेशन है और आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। मैं सीनियर लीडर राजेन्द्र राठौड़ को नाराज कर सकता हूं तो क्या आपको नाराज नहीं करूंगा? गलत परम्परा को मैं लागू नहीं करने दूंगा। माननीय नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे विधायकों की पीड़ा है, क्योंकि ये दोनों दलित समाज से आते हैं और जिस तरह से कल राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना जोधपुर के अन्दर हुई, एक दलित नाबालिग के साथ जो सामूहिक गैग रेप की घटना और वह भी सरस्वती के पावन प्रांगण में, जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जो घटना घटित हुई है, हम सबको उसकी कड़े शब्दों में निन्दा भी करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान अपराधों के अन्दर पहले पायदान की ओर निरन्तर अग्रसर है और कानून-व्यवस्था राजस्थान की वेंटिलेटर पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य मंत्रीजी राहत कैम्प के द्वारा लोगों को राहत बांटने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे सिर्फ अपराधियों को राहत मिलना मुझे महसूस हो रही है। मैं तो इतना ही निवेदन आपके माध्यम से इस सदन में बैठे समस्त पार्टियों के लोगों से करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मौके के ऊपर हमें किसी भी विचारधारा को नहीं देखकर हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हम सब मिलकर राजस्थान को एक सुन्दर राजस्थान कैसे बना सकें।

आज जहां पर भी अख़बार का पन्ना सुबह खोलते हैं तो कहीं न कहीं रक्त से भरे हुए फोटो दिखाई देते हैं। कहीं पर कोई सा माफिया, कहीं पर कोई सा माफिया है तो इन माफियाओं के चंगुल में राजस्थान फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी विडम्बना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार का लास्ट का समय है, तीन-चार महीने बाद ही चुनाव हैं तो अधिकतर मंत्रियों का और विधायकों का, मैं यहां पर आरोप तो नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन जब बाड़ ही खेत को खाने लग जायेगी तो उस फसल की रक्षा कौन करेगा? अधिकतर मंत्रियों के, अधिकतर विधायकों के आज इन माफियाओं के साथ नाम अखबारों के अन्दर जग-जाहिर हो रहे हैं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आपसे यह जरूर गुजारिश करूंगा कि इन दो-तीन महीनों के अन्दर जब प्रशासन की, ब्यूरोक्रेसी इस प्रदेश के अन्दर तेजी से हावी होती जा रही है तो कहीं न कहीं हम सबको मिलकर ऐसी व्यवस्था इस राजस्थान के अन्दर बनानी है कि जो अपराध मुक्त की बात हम करते हैं, भय मुक्त समाज की हम बात करते हैं तो अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, इस पर विचार करना चाहिए।

इन गैंग रेप के दोषियों को फांसी की सज़ा हो। हम सब मिलकर कोई अच्छे केस आफिसर स्कीम में लेकर जल्दी से जल्दी इन लोगों को फांसी तक हम कैसे पहुंचा सकें, ताकि प्रदेश के अन्दर यह मैसेज जाए कि सरकार में और सदन में बैठा हर व्यक्ति जो है, वह कहीं न कहीं इसके लिए चिंतित है, संवेदनशील है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सात वर्षीय अबोध बालिका के साथ विद्यालय के कार्मिक के द्वारा जो बलात्कार की घटना घटी है, यह जोधपुर जिले की है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर इस चीज की चिंता करनी है कि हम राजस्थान को अपराध से कैसे बचाएं, अपराधियों से कैसे बचाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। किसी भी प्रदेश की कानून-व्यवस्था उसकी प्रगति और वैभव का कारक होती है। राजस्थान की दुनिया में साख थी, यहां लोग रिहायश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, पर्यटन के लिए आते थे, लेकिन इन पूरे पांच वर्षों में राजस्थान की सरकार जब ढलान पर है तो एक यक्ष प्रश्न कानून-व्यवस्था के तौर पर राजस्थान के जनमानस के सामने खड़ा है, पूरी दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराध के आंकड़ों की शुरुआत करें तो 10 लाख 92 हजार मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं। यह राजस्थान की धरा पर पहली बार हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपराधों की फेहरिस्त इतनी लम्बी है कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो इस बात की पुष्टि करता है कि 17 बलात्कार और 7 हत्याएं प्रतिदिन होती हैं। यह राजस्थान सरकार की कानून-व्यवस्था का आलम है।

(श्री सतीश पूनियां)

छोटे-छोटे आंकड़े हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं देश में एक नम्बर पर हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की 848 घटनाएं होती हैं। आप सामाजिक विकृति मान सकते हैं। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार जनता के लिए, प्रजा के लिए सुरक्षा का भरोसा देती है, लेकिन दृश्य देखिए, किस तरीके से जमवारामगढ़ की एक शिक्षिका को जिन्दा जला दिया जाता है। एक वृद्धा के चांदी के कड़े पैर काट कर ले लिए जाते हैं। जोधपुर की घटना बहुत पुरानी नहीं है, कल की घटना है। हिण्डौन की घटना देख लीजिए, बच्ची के साथ बलात्कार किया, गोली मारी, एसिड डाला और उसको टुकड़े-टुकड़े कर के डाल दिया गया। मुझे लगता है कि लम्बी फेहरिस्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जब सरकार, सरपरस्त, भेदभाव करने लग जाए, मुझे लगता है कि राजस्थान और हिन्दुस्तान के इतिहास में यह सरकार तुष्टिकरण के मामले में भी हमेशा एक नम्बर पर लिखी जायेगी। क्या कारण था कि रामनवमी पर, हिन्दू नववर्ष पर जुलूस पर प्रतिबन्ध लगते हैं और पी.एफ.आई. में हिजाब के मामले में यही सरकार तुष्टिकरण करके उस पर प्रतिबन्ध लगाती है। ऐसी सरकार, जिसमें आदमी न घर में सुरक्षित, न सड़क पर सुरक्षित, न अस्पताल में सुरक्षित, न स्कूल में सुरक्षित। किसी ने सही कहा है और मुझे लगता है कि सरकार ने अपने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया। जनता की सुरक्षा की बजाय सरकार को कुर्सी की सुरक्षा की फिक्र ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो आईना दिखाया, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधी बेखौफ इस तरह की गैंगवार, पुलिस अभिरक्षा में मर्डर, जो भरतपुर के आमोली टोल प्लाजा की घटना है, नागौर कोर्ट में हत्या, जोधपुर में पुलिस अभिरक्षा में हत्या और कल की जोधपुर की लोमहर्षक घटना हुई। करौली में दलित युवती को गैंग रेप के बाद गोली मार कर हत्या और एसिड से उसको जला कर कुएं में फेंकने की घटना हुई। खाजूवाला में रक्षक ही भक्षक बन बैठे और पुलिस ने गैंगरेप करके दलित युवती को मौत के घाट उतार दिया। चोरी की अनेकों घटनाएं, चाहे नोखा हो, चाहे बीकानेर हो, किसी मामले में भी कोई बरामदगी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, श्रीडूंगरगढ़ कस्बे की घटना के बारे में आपको बताना

(श्री बिहारीलाल)

चाहूंगा। 30 जून को 16 वर्षीय छात्रा +++ को स्कूल की एक शिक्षिका +++ भगा कर ले जाती है। यह सनसनीखेज वारदात है। 01 जुलाई को मुकदमा दर्ज होता है और शाम को थाने पर परिजन प्रमुख लोगों के साथ जाते हैं, थाने को बताते हैं और कार्यवाही की मांग करते हैं। पुलिस कार्यवाही का आश्वासन देती है। जब 03 जुलाई तक भी कोई खास कार्यवाही नहीं होती तो थाने पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाता है। 05 जुलाई को पुलिस कहती है कि लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है। परिजन और शहर के प्रमुख लोग पुलिस का धन्यवाद करते हुए शहर में शांतिपूर्ण जुलूस निकालते हुए धरना समाप्त कर देते हैं, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का तरीका देखिए कि छठे दिन 11 जुलाई को 370/23 एफ.आई.आर. दर्ज होती है। 54 लोगों को नामजद किया जाता है। 400 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और जिस लड़की को बहला-फुसला कर भगाया गया, उसकी मां अस्पताल में भर्ती थी, उसको भी मुलजिम बना दिया जाता है और राजकार्य में बाधा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। शहर के सम्भ्रान्त लोगों ने पूरे जिले में सनसनी न फैले, पूरे जिले की कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़े, उसको सहेजने के लिए पूरा प्रयास पुलिस और प्रशासन के बीच किया, लेकिन उनके खिलाफ सात दिन बाद एक मुकदमा दर्ज होता है उनकी आवाज दबाने के लिए। इस तरह से कौन पुलिस और प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित कर पायेगा? उनको दबाने और प्रताड़ित करने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है। 7 पेज की एफ.आई.आर. है। 7 पेज की एफ.आई.आर. में 20 जगह मुस्लिम समाज की धार्मिक भावना को भड़काने का प्रयास किया गया। ऐसा श्रीडूंगरगढ़ में नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो पूरे बीकानेर में आग फैलती, लेकिन साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखते हुए श्रीडूंगरगढ़ की जनता ने बहुत धीरजता का परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने राजनैतिक दबाव में, इस सरकार के दबाव में उनके खिलाफ असत्य मुकदमे दर्ज किये।

आज श्रावण मास का सोमवार है। जो जनता ने ताकत दी है, उस ताकत को लेकर सरकार और पुलिस आज भस्मासुर बनी बैठी है। आज सावन का सोमवार है, हरियाली अमावस्या है, आज शिवजी का वार है। सरकार इस मुकदमे को वापस ले और निर्दोष लोगों को डराने और धमकाने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाये, नहीं तो भस्मासुर वाली ताकत जो आपको मिली है, जनता आपको भस्म करने का काम कर देगी।

(श्री बिहारीलाल)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि 54 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। 400 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मुकदमे को वापस लिया जाए और उनको न्याय दिया जाए। इस प्रकार का प्रयास फिर से नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, 2018 में जब इस सरकार की नींव रखी गयी थी, उस समय थानागाजी सामूहिक बलात्कार काण्ड से इस सरकार के जो कृत्य थे, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था।

यदि मैं बात करूं चौपानकी थाने में हरीश जाटव की, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, जिसकी हत्या हुई और उस हत्या के कारण उसके पिता को भी जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। यदि मैं बात करूं भटपुरा के योगेश जाटव की, उसकी भी मॉब लिंचिंग के कारण हत्या हुई। राजस्थान की पुलिस ने उस मॉब लिंचिंग को दुर्घटना का रूप देने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं भूपसेड़ा की +++ की, जिसकी लाश सरिस्का के जंगल में मिली, अपराधी आज तक नहीं पकड़े गये। यदि मैं बात करूं महनपुर के 14 वर्षीय बालक गिर्राज गुर्जर की, जिसकी हत्या हुई और पहाड़ी में उसकी लाश मिली, लेकिन अपराधी आज तक नहीं पकड़े गये। यदि मैं बात करूं अलाहपुर की उस मूक-बधिर बच्ची की, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और यही राजस्थान की पुलिस उस सामूहिक बलात्कार को दुर्घटना का रूप देती है।

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान में जहां एक ओर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वहीं पूरे राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनका राजस्थान की पुलिस पर कोई शासन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अपराधी अपराध करके बाहर चले जाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय राजस्थान की पुलिस निर्दोष को फंसाने का काम करती है। आज राजस्थान की जनता आपसे संरक्षण मांग रही है, अध्यक्ष महोदय। अपराधियों को पकड़ने का काम राजस्थान पुलिस को करना चाहिए और निर्दोषों को न्याय देने का भी काम राजस्थान की पुलिस करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 50 में बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। यह सही है कि राजस्थान के अन्दर कानून का राज नहीं है, जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हम सबको शर्मसार करती हैं। मासूम बच्चों के साथ दरिन्दगी हो और अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के साथ अत्याचार हो, राजस्थान में यह पहली बार देखने को मिल रहा है। कहते तो यह थे कि 'राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अन्तकाल पछतायेगा, जब प्राण जायेंगे छूट', लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह हो रहा है कि 'सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अन्तकाल पछतायेगा, जब सरकार जायेगी छूट।' इस सरकार के अन्दर बैठे हुए नुमाइन्दे लूट मचाने का काम करें, प्राकृतिक सम्पदाओं की लूट मचाने का काम करें और जब प्रशासनिक अधिकारी उनकी माकूल व्यवस्था के लिए प्रबन्धन करें तो उनके ऊपर हमले करें और सरकार के नुमाइन्दे उनको छुड़ाने का काम करें।

आज प्रदेश के अन्दर खनन माफिया, बजरी माफिया, भू-माफिया और इस तरीके से ड्रग माफिया हावी हैं कि प्रशासन उनको रोक पाने में भी असमर्थ है।

अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं। पहली बार सुना है कि राजस्थान की धरा पर विदेश से कॉल आते हैं। करोड़ों रुपयों की फिरौती की राशि वसूल की जाती है। मजदूर आदमी जिसके पास कॉल आया, वह पुलिस के पास जाने की बजाय अपराधियों को पैसा देना उचित समझता है, क्योंकि पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर सकती। कम से कम वह पैसे देकर तो अपने प्राण बचा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान की सरकार इन तमाम मामलों में असफल हुई है और एक के बाद एक घटना लगातार हुई हैं। कल जिस तरीके से जोधपुर की घटना घटित हुई वह हम सबको शर्मसार करती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस घटना का रूप भी परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि बी.जे.पी. के नेताओं ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की। आज इस सदन को बताएं कि कौनसे बी.जे.पी. के नेता ने उसको

(श्री रामलाल शर्मा)

बचाने की कोशिश की। किस अधिकारी को किसने फोन किया? आप उसकी कॉल डिटेल बताएं। मामला गम्भीर है। अपराधियों को बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सरकार सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस ने आपरेशन लंगड़ा अभियान चलाया था। आपने उसको क्यों बंद कर दिया? आप अपराधियों के ऊपर जब तक अंकुश नहीं लगाओगे जब तक उनके मनोबल को नहीं तोड़ोगे, तब तक अपराध रूकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपराधियों को तत्काल सज़ा देने का काम करें। आप खाजूवाला की घटना ले लो, आप दौसा की घटना ले लो, आप करौली की घटना ले लो, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। आवश्यकता इसी बात की है, अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. हमेशा चाहती है कि दोषियों को दण्ड मिले, हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सज़ा मिले। इस सिद्घांत के ऊपर हम चलते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): पन्द्रहवीं विधान सभा का यह सत्र ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज नीचे बैठें। आपके लीडर खड़े हैं। नीचे बैठें, आपके लीडर बोल रहे हैं। (व्यवधान) प्लीज बैठें, आप समझते नहीं हैं। जब लीडर बोलते हैं, he has not yielded yet. आप बोलें, माननीय राठौड़ साहब। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं तीनों को बाहर निकालूंगा। (व्यवधान) राठौड़ साहब, आप बोलें।

(माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्री पुखराज एवं श्रीमती इन्दिरा देवी द्‌वारा अपनी सीटों से खड़े होकर बैनर प्रदर्शन।)

माननीय पुखराज जी गर्ग, आप बाहर निकलें। आप बाहर जाएं। मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। मुझे बाहर भेजना पड़ेगा। लीडर बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप पहले अपनी जगह पर बैठें। लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं और खड़े हो गये, यह गलत परम्परा है। जब लीडर आफ अपोजिशन बोलते हैं, आप खड़े हो जाते हैं। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा का यह अंतिम सत्र राजस्थान की कानून और व्यवस्था पर चिंता कर रहा है। यह पहला मौका होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दर्जनों माननीय सदस्यों ने कानून-व्यवस्था के लिए विधान सभा की कार्यवाही नियम 50 में स्थगित करने के लिए आपसे प्रार्थना की। राजस्थान की कानून-व्यवस्था बहस का मुददा नहीं रही, क्योंकि पुलिस एक्ट 2003 आया, एन.सी.आर.बी. के अन्दर सब राज्यों के आंकड़े जाने लगे, यह आंकड़े अपने आप राजस्थान की कहानी को बयां करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय बड़ी तकलीफ होती है, जब राजस्थान में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता है। कभी खाजूवाला में रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, कभी दौसा के अन्दर अपहरण करती हुई बेटी के पीछे भागता पिता गोली का शिकार हो जाता है, कभी टोडाभीम के अन्दर वह बेटी उठायी जाती है, मारी जाती है, उसको गोली मारी जाती है, जलाई जाती है और जोधपुर की एक घटना, जिसने हमको शर्मसार किया, पर जोधपुर की घटना को हम छोटे दायरे में देखेंगे, संकीर्णता से देखेंगे, सरकार के गृह मंत्रीजी कुछ और ट्वीट करेंगे तो मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा। यह नित नये माफियाओं के हाथों से पिटती हुई पुलिस, यह पुलिस का टूटता हुआ इकबाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने देखा होगा कि चार दिन पहले पुलिस की अभिरक्षा के अन्दर गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारकर चले जाते हैं। 12 जुलाई को जयपुर से भरतपुर के अन्दर जा रही बस के अन्दर छह हथियारबंद गार्डों के साथ कृपाल जघीना का हत्यारा अपनी पेशी पर आता है और उसके बाद रोडवेज की बस को अमोली टोली, भरतपुर में रोका जाता है, हलैना की पुलिस आगे तैयार मिलती है, पुलिस के हाथ में हथियार हैं और 11 लोग आकर हमला करते हैं। जघन्य अपराध करके, उसको मारकर चले जाते हैं। पुलिस एक बार भी गोली नहीं चलाती है। 15 राउंड फायर होते हैं, कुल 12 पुलिसकर्मियों के पास एस.एल.आर. 100 हैं, परन्तु एक भी कार्यवाही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह देखना पड़ेगा कि इसके पीछे किन-किन का क्या हेतु है? प्रभारी गृह मंत्रीजी, आप बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में आपके उस वक्तव्य ने कि राजस्थान +++ है, राजस्थान में बलात्कार होते हैं, उसने पूरे राजस्थान के अन्दर अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिये। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि बलात्कार के मामले असत्य होते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो कहानी है आज पुलिस की अभिरक्षा के अन्दर पहली मौत नहीं हुई। पुलिस की अभिरक्षा में नागौर के अन्दर संदीप सेठी मारा जाता है, जोधपुर में सुरेश मारा जाता है, उदयपुर का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कन्हैयालाल सुरक्षा की गुहार करता है, उसके बाद भी उसका सिर कलम कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर के मामले की बात कर रहा हूं। आप देखिए वह जो अपराधी मारा जाता है, वह अपनी पेशी में जज को कहता है कि वीडियो कान्फ्रेंस के द्वारा मेरी पेशी कराओ, मेरी जान को खतरा है और आप द्वारा नियुक्त स्पेशल पी.पी., जिसको मंत्री की आला सिफारिश से नियुक्त किया जाता है, वह जो स्पेशल पी.पी. है, वह एक फरमान जारी करता है। वह कारागार के सुपरिन्टेंडेंट को पत्र लिखता है कि कुलदीप और विजयपाल को पेश करो। उसके बाद जो घटना होती है, वह हमारे सामने आती है। इस घटना की स्याही सूखी भी नहीं थी कि रूपवास में 50 वर्ष के हरिजन को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह किस्सा कुर्सी का, इसने लोहागढ़ के फौलाद को पिघला दिया और आज मुख्य मंत्री अपनी फ्लाप योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जन-सम्मान वीडियो कांटेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह जन सम्मान की जगह राजस्थान के अन्दर जो जन-अपमान हो रहा है, जन-अत्याचार हो रहा है, इसका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लीडर का सम्मान कर रहे हो? नीचे बैठो। (व्यवधान) नीचे बैठो। लीडर का सम्मान कर रहे हो? माननीय राठौड़ साहब, यह क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) I will name you. I will name you, मिस्टर दिलावर, बाहर निकलो। I will name you. लीडर खड़े हैं और आप फिर भी खड़े हो गये। आप सीनियर लीडर हैं। आप क्या एग्जाम्पल सैट करना चाहते हो? अपने लीडर की नहीं मानना चाहते हो? लीडर बोल रहे हैं और आप खड़े हो गये। आप इनसे बड़े हो? पार्टी का डिसिप्लिन भी नहीं मानते आप। (व्यवधान) अपने आपको ज्यादा बताना जरूरी है? पब्लिक को मालूम पड़े, आपके पार्टी के लीडर की इज्जत नहीं करना चाहते हो?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): इनकी पीड़ा है।

श्री अध्यक्ष: पीड़ा, तो सबकी पीड़ा है। पीड़ा के लिए बाहर जगह है, यह हाउस नहीं है। माननीय राठौड़ साहब, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, I never expect this. आप बोल रहे हैं, आपकी पार्टी का सीनियर लीडर आपको इंटरवीन कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप बोलें, राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गैंग और गैंगस्टर का हाल आप देखिए। मुझ सहित हमारे रतनगढ़ के विधायक को धमकी दी जाती है, लाडनूं के विधायक से रंगदारी वसूल करने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की कोशिश करते हैं, मुंडावर के विधायक से रंगदारी वसूल कर जाते हैं और यह रामगंज मण्डी से जो माननीय सदस्य आते हैं, एक जिंदा व्यक्ति का मुकदमा 302 का इन पर दायर करता है। यह आई.पी.सी. का राज है या जी.पी.सी. का राज है। यहां इंडियन पीनल कोड नहीं, गहलोत पीनल कोड चलता है, जिसकी अलग-अलग भावना है, जिसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राजस्थान के अवाम को भी हम चेहरा दिखा रहे हैं राजस्थान की सरकार का, यह गैंगस्टरों के बीच में झूलता हुआ राजस्थान, यह दहशतगर्दी की जिन्दगी जीता राजस्थान, यह अबला की इज्जत को लुटता हुआ देखता राजस्थान आज शर्मसार है मैं चाहूंगा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिये। जोधपुर की घटना पर जवाब दीजिए। भरतपुर की घटना पर जवाब दीजिए। हिण्डौन की घटना पर जवाब दीजिए। दौसा की घटना पर जवाब दीजिए। पाक साफ हो तो मंत्रीजी खड़े होकर जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295, श्री प्रताप सिंह।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

माननीय सदस्य, अपनी जगह पर जाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अपनी जगह पर जाएं। माननीय पूनियां जी, अपनी जगह पर जाएं। (व्यवधान) माननीय प्रताप सिंह। (व्यवधान) अपनी जगह पर जाएं। (व्यवधान) माननीय प्रताप सिंहजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

छबड़ा तहसीलदार द्वारा पद का दुरुपयोग

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जैपला में तहसीलदार छबड़ा द्वारा नियत बोली टालने, पद का दुरुपयोग करने एवं अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति पर निवेदन करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (जिला बारां) के अंतर्गत तहसील छबड़ा की ग्राम पंचायत जैपला में मंदिर माफी की जमीन को मुनाफा काश्त पर देने के

(श्री प्रताप सिंह)

लिए दिनांक 12.06.2023 को नीलामी बोली आयोजित की गई थी। नीलामी स्थल पर सम्बन्धित अधिकारी मय पुलिस जाब्ता के साथ ग्राम पंचायत के लोग बोली लगाने के लिए पहुंच गये थे, लेकिन तहसीलदार, छबड़ा ने अचानक बिना किसी कारण बताए बोली को रोक दिया। तहसीलदार ने बोली टाल दी, जबकि जैपला निवासी बोलीदाता श्री संग्राम सिंह, श्री शिवराज सिंह व श्री जैकी राजपूत ने अमानत राशि भी जमा करा दी थी। बोली को दूसरे दिन नियत करने के बावजूद बोलीदाताओं की जमा अमानत राशि के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस प्रकार तहसीलदार व अन्य अधिकारियों ने बोलीदार एवं आमजन की भावना के विपरीत नियम विरुद्ध कार्य किया है। तहसील प्रशासन ने बोली को टालकर अगले दिन मंगलवार को बोली लगाने के लिए कहा, किन्तु आज तक भी बोली नहीं लगाई गई है। इस प्रकार तहसीलदार, छबड़ा ने अनियमितता, नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है एवं प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण बोली को टाला गया है।

आपसे निवेदन है कि तहसीलदार, छबड़ा द्वारा ग्राम पंचायत जैपला में नियत बोली को टालने, अनियमितता, नियमों का उल्लंघन व अपने पद का दुरुपयोग करने की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने का श्रम करावें एवं पुनः नीलामी बोली लगाने के आदेश कराने के निर्देश प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित), श्री नारायण सिंह देवल (अनुपस्थित), श्री अमर सिंह (अनुपस्थित)।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री वासुदेव देवनानी। श्री वासुदेव देवनानी। नहीं बोलना चाहते आप? बोलिए आप। आपको बोलना है तो बोलिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अजमेर शहर के ड्रैनेज सिस्टम एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मानूसन की पहली बरसात ने ही अजमेर शहर और प्रशासन के हाथ-पांव फूला दिये। ड्रैनेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। समय पर नालों की

(श्री वासुदेव देवनानी)

सफाई नहीं होने और बरसाती पानी की निकासी की सुचारु व्यवस्था नहीं होने से शहर की सड़कें दरिया और कालोनियां समंदर बन गयीं। शहरवासी पूरे 5 दिन तक घरों में कैद होने को मजबूर हुए। (व्यवधान) बोलूं क्या?

श्री अध्यक्ष: देवनानी जी बोलें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आनासागर के आसपास की कालोनियों के तो हालात और भी खस्ता थे। जलमग्न सड़कों पर पग-पग पर बने गहरे गड्ढों ने कोढ़ में खाज का काम किया। वाहन चालक तो छोड़िए, पैदल चलने वाले सैकड़ों लोग भी दुर्घटना का शिकार हुए।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

पहली बरसात में ही सड़क निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की पोल खुल गयी। कई जगह सड़कों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी भी पानी के साथ बह गयी। टूटी बेहाल सड़कें आज भी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। शहर में आज भी सीवरेज ओवरफ्लो है। प्रशासन स्मार्ट सिटी योजना के तहत 14 हजार घरों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ने का दावा कर रहा है जबकि हकीकत यह है कि जगह-जगह सीवरेज के चैम्बर टूटे पड़े हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है।

अत: मेरा आग्रह है कि शहर के ड्रैनेज सिस्टम को स्थाई रूप से दुरुस्त करने एवं शहर की बदहाल सड़कों की दुर्दशा सुधारने हेतु तत्काल आवश्यक बजट का आबंटन कर, सम्बन्धित विभागों को शीघ्र इसके लिए पाबन्द करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित), श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर की घटना के बारे में कहना चाहूंगी। कानून-व्यवस्था का नामोनिशान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां, जब्बर सिंह जी बोलें।

अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। बैठें, बैठें। आप बैठें, फिर बाद में बुलायेंगे। आप पहले बैठें। आपसे बात करेंगे। बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, आपसे बात करेंगे। बैठें, प्लीज।

बोलें, जब्बर सिंह जी।

आसीन्द के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में कंवलियास तथा ब्राह्मणों की सरेरी में स्थित पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने तथा भादसी, बरसनी, कटार के सब सेन्टरों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने एवं मरेवड़ा में नवीन सब सेन्टर खोलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है मगर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अरावली की पहाड़ियों में भादसी गांव के साथ लगभग 40 गांव और बसे हुए हैं, जिनमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। बदनोर की दूरी भादसी से 15 किलोमीटर है। बरसनी 10 हजार से ज्यादा की जनसंख्या वाली पंचायत है, जिससे 22 ढाणी, मजरे, गांव लगते हैं। यहां भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। हां, बोलें।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): कटार भी बैकवर्ड एरिया में है। वहां से भी भीम 25 किलोमीटर तथा आसीन्द 15 किलोमीटर की दूरी पर होने से आसपास के कई गांवों को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है। कंवलियास एन.एच. 79 पर गुलाबपुरा से भीलवाड़ा के बीच में स्थित गांव है। यहां एन.एच. होने से रोजाना सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं और कई बार लोगों को उचित उपचार नहीं मिलने से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ब्राह्मणों की सरेरी आसीन्द से भीलवाड़ा के बीच एन.एच. 158 पर स्थित है। यहां पर भी रोजाना कई एक्सीडेंट होते हैं तथा आसपास कई गांव लगते हैं। चिकित्सा की यह बहुत ही गम्भीर मांग आम जनता की है। इसकी इसी सत्र में घोषणा कर आम किसान तथा क्षेत्र की जनता को राहत देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित), श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर यू.आई.टी. के पेरिफेरी क्षेत्र में निवासरत परिवारों के भूखण्डों का नियमन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि उदयुपर शहर के पेरिफेरी क्षेत्र में वर्षों से बसी हुई आबादी को आज तक पट्टा नहीं मिला है। सरकार की घोषणा ने 2013 से पूर्व का कोई भी प्रमाण

(श्री फूल सिंह मीणा)

देकर पट्टा ले जाने के लिए यू.आई.टी. द्वारा ज्ञापन भी निकाला। सरकार की योजना के मार्फत ये पट्टे देने थे, लेकिन अभी तक वर्षों से बसे हुए आम जन को पट्टे उपलब्ध नहीं हुए। इसके कारण, सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 1 लाख 48 हजार 290 रुपये, नि:शुल्क देकर, मकान बनाने के लिए दिये जाते हैं, मगर आज तक 10 वर्षों से एक भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सके हैं। जब तक पट्टा नहीं मिलता है तब तक ऋण भी नहीं मिलेगा तथा अन्य योजना का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। गरीब परिवार कच्चे मकान बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन यू.आई.टी. के द्वारा उन मकानों को क्षतिग्रस्त करने की आये दिन धमकियां मिल रही हैं तथा अनेक मकान यू.आई.टी. के द्वारा तोड़ भी दिये गये हैं।

अत: मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सर्व समाज, जो पेरिफेरी में रह रहा है, उनका नियमन करके पट्टे दिये जाएं एवं यू.आई.टी. द्वारा गरीबों के मकान ध्वस्त किये जा रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सिंचाई पानी का रेगुलेशन 4 में से 2 समूह जारी करने और अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का पानी दिये जाने की ओर विशेष उल्लेख।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई पानी को लेकर मेरे क्षेत्र के किसानों को बार-बार आंदोलन करना पड़ता है। हरिके बैराज का पौंड लेवल 692 फीट से घटाकर 683 किया गया, जिससे आई.जी.एन.पी. की क्रस्ट पर केवल 1 फीट पानी रहने के कारण रेगुलेशन पिट गया और सभी नहरें बंद हो गयीं। जिससे किसानों की फसलें सिंचाई पानी के अभाव में खतम होने की कगार पर हैं। 12 जुलाई को 11 बजे से सूरतगढ़ शाखा को बंद करने के बाद तय रेगुलेशन के हिसाब से प्राथमिकता अनूपगढ़ शाखा की है, लेकिन सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा गया। हालात ये हैं कि सिंचाई पानी तो दूर की बात है, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है।

वर्तमान में पौंग बांध का लेवल अच्छी रेनफाल होने के कारण 1,364

(श्रीमती संतोष)

फीट हो चुका है एवं आवक भी एक लाख क्यूसेक से ज्यादा हो रही है। ऐसे में पानी छोड़ना था, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा वास्तविक स्थिति का जायजा लिए बिना ही आनन-फानन में सभी नहरें बंद कर दी गईं। वर्तमान में आई.जी.एन.पी. का रेगुलेशन 3 में से 1 समूह बना रखा है। उसको तुरन्त प्रभाव से 4 में से 2 समूह में परिवर्तित कर किसानों को सिंचाई पानी देकर जल रही फसलों को बचाया जाए। अतिशीघ्र जन-प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर आगामी 6 माह के लिए 4 में से 2 समूहों में सिंचाई पानी रेगुलेशन जारी करें। यदि अभी भी समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन-प्रतिनिधियों व किसान भाइयों को मजबूर होकर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ में किसानों को फसल खराबे का बीमा क्लेम

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि खानपुर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे झालावाड़ जिले में खरीफ सीजन-2022 में सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग सहित अन्य फसलों में अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी थीं। कहीं-कहीं तो 100 प्रतिशत ही फसल खराब हो गयी। इस सन्दर्भ में 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे की रिपोर्ट प्रशासन द्वारा सरकार को भिजवाये हुए करीबन एक साल हो गया है। जिन किसानों ने के.सी.सी. एवं ई-मित्र के माध्यम से फसल का बीमा करवाया था, उन्होंने तय समय पर फसल खराबे की जानकारी बीमा कम्पनी को दे दी थी और बीमा कम्पनियों द्वारा सर्वे भी करा लिया गया है। 25 प्रतिशत बीमा क्लेम की राशि 15 दिवस में किसानों को देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ किसानों को छोड़कर अभी तक न तो बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम की राशि प्रदान की गयी है और न ही सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि प्रदान की गयी है। साथ ही पहली बार इस प्रकार का नियम लागू किया जा रहा है कि बीमा क्लेम राशि एवं मुआवजा राशि में से किसी एक ही स्कीम का लाभ किसानों को दिया जायेगा जो न्याय संगत नहीं है, जबकि बीमा कम्पनियों को प्रीमियम राशि किसानों और सरकार दोनों द्वारा जमा की जाती है।

(श्री नरेन्द्र नागर)

अत: मेरी सरकार से मांग है कि गत वर्ष खरीफ सीजन-2022 में हुए फसल खराबे की बीमा क्लेम राशि एवं सरकार की ओर से फसल खराबे का मुआवजा तुरन्त प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिलों में सरचार्ज में वृद्धि

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार एक ओर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की क्रियान्विति करने के लिए जगह-जगह महंगाई राहत शिविर का आयोजन कर लोगों को शिविर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली डिस्कॉम की ओर से कई बार फ्यूल सरचार्ज लगाया जा चुका है, जिससे उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर विद्युत डिस्कॉम द्वारा 500 से लेकर 5,000 रुपये तक की वसूली की जा रही है। पिछले चार वर्षों में अधिकतम सरचार्ज चार बार वसूला जा चुका है। अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक डिस्कॉम द्वारा 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज वसूला गया। गत वर्ष जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था। अक्टूबर, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक भी 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था। विद्युत डिस्कॉम द्वारा राशि बढ़ाने के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। डिस्कॉम के उपभोक्ता दंग हैं कि अब जो अनुदान सरकार प्रति बिल दे रही है उससे ज्यादा सेस और सरचार्ज के रूप में वसूला जा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि विद्युत डिस्कॉम द्वारा बढाये गये बिजली के बिलों में सरचार्ज को कम किया जाए, ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़े।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में बरसाती व दूषित जल भराव की निकासी की व्यवस्था

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के

(श्री अशोक लाहोटी)

अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर सहित पूरे जयपुर में प्रशासन/सरकार/जे.डी.ए./नगर निगम की घोर लापरवाही से कनक विहार, केसरीचंद चौधरी नगर, अजमेर रोड की कालोनियां, रामपुरा रोड के वार्ड 83, 88, 91 की सैकड़ों कालोनियां, मुहाना मोड़ से मुहाना मंडी क्षेत्र की मुख्य सड़क व इस क्षेत्र की समस्त कालोनियां, गुर्जरों की तलाई, मदरामपुरा का पूरा क्षेत्र, शिकारपुरा से दादिया रोड क्षेत्र, जैन नसियां रोड, माल की ढाणी, बाजणी तलाई क्षेत्र, कालाबड़ फाटक व टीबा टोल टैक्स क्षेत्र, सांगानेर बाजार, मालपुरा गेट क्षेत्र, मानसरोवर, पृथ्वीराज नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा बाइपास क्षेत्र, भांकरोटा व प्रताप नगर सहित पूरे जयपुर शहर में हर गली मोहल्ले में जगह-जगह नालियां व सीवरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण भयंकर पानी भरा हुआ है। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और न लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण राजधानी जयपुर में रहते हुए भी लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मंत्री महोदय बताएंगे कि किनके वरदहस्त के कारण प्रशासन/सरकार/जे.डी.ए./नगर निगम के अधिकारी AC से बाहर नहीं निकलते और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों की कालोनियों में जल्द से जल्द बरसाती पानी निकासी हेतु सीवरेज/सड़कें/नालियों की समुचित व्यवस्था करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 12.43 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा (अनुपस्थित), श्री अविनाश।

जैतारण में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व पुनर्निर्माण

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन जैतारण उप खण्ड व बर उप खण्ड में बहुत-सी प्रमुख डामरीकृत सड़कें अति क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त सड़कें 15-20 साल से ज्यादा पहले की बनी हुई हैं, लेकिन अधिकारियों की शिथिलता के कारण और नियमों में आने के बावजूद मरम्मत/पुनः निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे

(श्री अविनाश)

सरकार के प्रति आमजन में भारी आक्रोश है। मेरे द्वारा इसी विधान सभा सदन में व उच्चाधिकारियों को बार-बार लिखित में अवगत करवाने के बावजूद उक्त सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की निम्न अति क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाकर अतिशीघ्र इनका पुनः निर्माण करवाये जाने हेतु विभाग से स्वीकृति प्रदान करावें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची निम्न प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 रायपुर से लाम्बिया तक
2. बड़ी पोल से पाटन दाया रातडिया (उप खण्ड बर)
3. कालब से पचानपुरा तक (उप खण्ड बर)
4. बुटिवास से अणेरी कुण्डाल (उप खण्ड बर)
5. मोहरा खुर्द से छोटी कालब ग्राम पंचायत पंचानपुरा (उप खण्ड बर)
6. बिराठिया कलां से हाजीवास (मेसिया) तक (उप खण्ड बर)
7. सेन्दड़ा से रामगढ़ तक (उप खण्ड बर)
8. पातुस से लितरिया वाया बिरोल मालपुरिया (उप खण्ड जैतारण)
9. बलुन्दा से खराडी (उप खण्ड जैतारण)
10. आनन्दपुर कालू से लिलरियां (उप खण्ड जैतारण)
11. पृथ्वीपुरा से लौटोती वाया किशननगर (उप खण्ड जैतारण)
12. समौखी से दागला मोराई तक (उप खण्ड जैतारण)
13. रामावास से बिकरलाई तक (उप खण्ड जैतारण)
14. लाम्बिया हाईवे से कांवलिया खुर्द तक (उप खण्ड जैतारण)
15. अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री से टूकड़ा-निम्बेड़ा तक (उप खण्ड जैतारण)
16. निम्बोल से बोगासनी तक (उप खण्ड जैतारण)

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूं कि उदयपुर जिले में हाई कोर्ट बेंच स्थापित की जाए। हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने से उदयपुर जिले के साथ ही सम्भाग के अन्य जिलों को भी काफी फायदा मिलेगा। वर्तमान में उदयपुर के निवासियों को हाई कोर्ट के कार्यों के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसके कारण वकीलों और आमजन को काफी किराया लगाना पड़ता है, साथ ही रुकने और ठहरने की व्यवस्था करने पर भी अनावश्यक व्यय होता है। कई बार तो दूरी अधिक होने के कारण आमजन द्वारा हाई कोर्ट में अपील ही नहीं की जाती है, जिससे वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच के लिए बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हर माह की 7 तारीख को कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है, जिसे जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अतः विशेष उल्लेख नियम 295 के जरिये मेरा सरकार से आग्रह है कि जिला उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करावे, जिससे उदयपुर के नागरिकों को न्याय सुलभ हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में सुचारु पेयजल की व्यवस्था

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल को लेकर वर्तमान में स्थिति बहुत ही विपरीत है। पुराने समय में सिवाना क्षेत्र बाड़मेर जिले का एक मात्र भूमिगत जलस्तर का भंडार वाला क्षेत्र था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिवाना और सिणधरी उप खण्ड के सभी गांवों में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु सभी नलकूपों में थ्री फेज के पम्प लगाकर पानी दिया जाता है। कम मात्रा में पानी होने से, पूरे समय तक पानी की सप्लाई नहीं देने से सभी स्थानों पर पम्प जलने की शिकायतें आती रहती हैं, जिसके कारण से विभाग को लाखों रुपयों का नुकसान होता है और समय पर आमजन को पेयजल भी नहीं दिया जा सकता है। अभी सिवाना और सिणधरी उप खण्ड के लिए मीठा पानी दिये जाने की जो परियोजना बनी हुई है उससे पेयजल दिया जाना सम्भव नहीं है तो कम मात्रा के भूमिगत जल का पूरा उपयोग हो सके और सिंगल फेज

(श्री हमीर सिंह भायल)

बिजली भी निर्बाध रूप से मिलती है तो जनता को पानी भी अधिक मिल सकेगा। क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जिनमें स्कीम जलदाय विभाग की चलाई जा रही है, लेकिन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं होने से आमजन को समय पर पेयजल नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों को लेकर विभाग लेबर का प्रबन्धन करके भी राहत प्रदान कर सकता है। अभी कर्मचारी विहीन ग्राम पंचायतों की सभी स्कीम्स को स्थानीय ग्राम पंचायतें चला रही हैं, जिससे व्यय भार बिना स्वीकृति के किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जलदाय विभाग और बिजली विभाग का आपस में समन्वय स्थापित करके कम पानी वाले नलकूपों में सिंगल फेज मोटर पम्प डालने और कर्मचारी विहीन सभी गांवों की स्कीम चलाने के लिए लेबर व्यवस्था करवाकर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

(समय: 12.48 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

बिपरजॉय तूफान से प्रभावितों को आर्थिक सहायता

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने गुजरात में तबाही मचाते हुए राजस्थान में दिनांक 16 जून, 2023 को प्रवेश किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा व जालौर जिले में दिनांक 16 व 17 जून को आये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से किसान, व्यापारी एवं आमजन को भारी नुकसान हुआ। गांवों में काफी संख्या में कच्चे व पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गये, व्यापारियों की दुकानों एवं गोदामों में पानी भर जाने से उनमें रखा करोड़ों रुपयों का सामान खराब हो गया, खेती की उपजाऊ मिट्टी बहकर चली गई। उससे खेतों में 10-15 फीट के खड्डे पड़ गये और उनके स्थान पर नदी की रेत जमा हो गई, खेती में सिंचाई के लिए लगे हुए ट्यूबवैल फेल हो गये, किसानों के खेतों में लगे फव्वारे (स्प्रिंकलर सिस्टम) बहकर चले गये अथवा नष्ट हो गये। काफी पशुओं की मौत हो गई, गोशालाओं में गायों के लिए रखा करोड़ों रुपयों का सूखा चारा पानी से खराब हो गया। इस प्राकृतिक आपदा से न केवल मानव जीवन अपितु जीव-जन्तुओं एवं पशुओं को

(श्री नारायण सिंह देवल)

भी भारी नुकसान हुआ है। आधारभूत संरचना जैसे सड़क, रपट, पुलिया एवं सरकारी भवन आदि को भी क्षति पहुंची है। इससे उबरने के लिए सरकारी सहायता एवं विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अभी तक कई गांवों में सर्वे कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी कई गांवों में पटवारियों ने मौके पर जाकर नुकसान का सर्वे नहीं किया है। अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय आपदा राहत एवं प्रबन्धन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बिपरजॉय तूफान प्रभावितों को तुरन्त आर्थिक सहायता दिए जाने एवं विशेष आर्थिक पैकेज जारी कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में खनिज विभाग द्वारा डी.एम.एफ.टी. फंड की राशि का विकास हेतु व्यय

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा डी.एम.एफ.टी. फंड की राशि को क्षेत्र के विकास में ही खर्च करने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा डी.एम.एफ.टी. रूल्स, 2016 के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें प्रधान खनिज से होने वाली रॉयल्टी राशि का जो फंड है, उसका 30 प्रतिशत तथा अप्रधान का 10 प्रतिशत पैसा उसी जिले में जमा होता है, जिसे नियम 4 के तहत क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है, किन्तु विगत 4-5 सालों से बूंदी जिले की डी.एम.एफ.टी. राशि विभागीय गलती के कारण कोटा जिले के फंड में जमा हो रही है, जिसे जिला बूंदी के डी.एम.एफ.टी. फंड में स्थानान्तरित करना अति आवश्यक है।

कार्यालय खनिज अभियन्ता कोटा के क्षेत्राधिकार में केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की तहसील इन्द्रगढ़, केशोरायपाटन व नैनवां की आंतरदा, तलवास, मोडसा, सहण, करवर, जैतपुर, पीपल्या तथा खजूरी आदि ग्राम पंचायतें आती हैं। लगातार पत्र लिखने के बाद भी राशि स्थानान्तरित नहीं की जा रही है। नियम से दो जिलों की सीमा किसी एरिया या लीज में मिलती है तो जिस जिले का एरिया ज्यादा है, डी.एम.एफ.टी. फंड राशि उसी जिले को मिलने के प्रावधान हैं।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही कर विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की डी.एम.एफ.टी. फंड राशि को वापस लिया जाकर विकास करवाने हेतु आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर राठौड़ साहब, मैं आज पहली एक्सेप्शन दे रहा हूं। कासनियां जी जैसे सीनियर आदमी मुझे आकर बोल रहे हैं। यह गलत बात है। मैं आज अलाउ कर रहा हूं सूर्यकांता जी को, हमीर सिंह जी को और मिस्टर कासनियां जी को एक-एक मिनट के लिए। यह आगे से सैट एग्जाम्पल नहीं होगा। हाउस नियम और कानून से चलता है। आपको लिखकर देना चाहिये। यह थोड़ी है कि हाउस में जब मन में आये, तब बोल दें। फिर भी मैं आज एक्सेप्शन दे रहा हूं। एक-एक मिनट में अपनी बात कहें। सूर्यकांता जी बोलें पहले।

सूचना

जोधपुर में महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाएं

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में कल जो घटना हुई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी। कानून-व्यवस्था का नामो-निशान नहीं है, जहां कहीं भी जाएं। महिलाएं कहीं मन्दिर में नहीं जा सकतीं, बाहर नहीं निकल सकतीं। चेन खींच लेते हैं। मोबाइल खींचकर ले जाते हैं। घरों से एक दिन के लिए अगर कोई बाहर चला जाता है और शाम को वापस आता है तो उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या राजस्थान सरकार!

जो जोधपुर राजस्थान में एक शांत जगह कहलाता है, वहां इस तरह की घटनाएं होना। आखिर महिलाएं कहां जाएंगी? महिलाओं की सुरक्षा करना अपना धर्म है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि जब मंत्री महोदय अपना जवाब दें तो जोधपुर की घटनाओं के बारे में बोलें। कितनी घटनाएं हो रही हैं। आये दिन कुछ न कुछ हो रहा है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हमीर सिंह जी।

बाड़मेर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाड़मेर जिले में मीठोड़ा में कांग्रेस नेता आम सिंह का 27 जून को ब्लाइंड मर्डर हुआ। 28 घाव, 34 इंच चौड़ाई और 6 इंच गहराई में। आज दिन तक

(श्री हमीर सिंह भायल)
पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। उसका पता नहीं पड़ा है। जनता में विरोध है। कानून-व्यवस्था फेल होती जा रही है। 02 फरवरी, 2023 को मउडी ग्राम में मां-बेटे का डबल मर्डर हुआ था। उसका भी आज दिन तक पता नहीं लगा है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सरकार को कहें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाकर अपराधियों को पकड़ा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कासनियां जी।

सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जारी आन्दोलन

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ शहर पूर्णतया बन्द है। जिले की मांग को लेकर मार्च से लेकर लगातार आन्दोलन चल रहा है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि समय रहते हुए सूरतगढ़ का यह अधिकार है, वहां हवाई अड्डा है, केन्द्रीय फर्म है, मिलिट्री की बहुत बड़ी छावनी है, थर्मल है, श्री सीमेंट है। हर दृष्टि से सूरतगढ़ का जिला बनना उपयुक्त है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इस समय लोग आन्दोलित हैं। आप मुझे कोई न कोई आश्वासन दिलवाएं। मैं धरने पर बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। बोलने के लिए अलाउ किया, उसके बाद भी धरने पर बैठेंगे? आज के बाद मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। बैठें, आप वहीं बैठें।

अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त (जी. एंड टी.) विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की छह और नगरीय विकास विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1) एफडी/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017 दिनांक 16.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1 (8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.03.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1 (8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.2 (1) एफडी/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017 दिनांक 17.03.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1 (8) एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.2 (1) एफडी/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017 दिनांक 22.03.2023 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है; एवं

6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 12.05.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 2 (1) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.08.2022 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया गया है।

नगरीय विकास विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.10 (36) नविवि/3/2011 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.08.2011 में संशोधन किया गया है; एवं

2. अधिसूचना संख्या: प. 17 (22) नविवि/नियम/2020 दिनांक 20.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

वित्त (आबकारी) विभाग

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त

(श्री परसादी लाल)

(आबकारी) विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) एफडी/एक्स/2023 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) एफडी/एक्स/2023 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रांट आफ रेस्टोरेंट बार लाइसेंसज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) एफडी/एक्स/2023 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) एफडी/एक्स/2023 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 4 (62) एफडी/एक्स/96 दिनांक 31.03.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1) एफडी/एक्स/2023 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4 (1) एफडी/एक्स/2020-पार्ट-I दिनांक 01.04.2020 (एस.ओ. 200) को दिनांक 01.04.2023 से विलोपित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

ऊर्जा विभाग

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम क्रमांक 186 दिनांक 27.01.2023 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 विरचित किया गया है; एवं

2. अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम/147 दिनांक 20.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामले) विनियम, 2021 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के निर्देशों के पश्चात् भी प्रतिवेदन एवं लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अभी प्रतिवेदन रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस आसन ने कई बार निर्देश दिये, पन्द्रहवीं विधान सभा का आखिरी सत्र है। अब आप देखें, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 से 2019-20 का आ रहा है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 से 2017-18 का आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके विराजते हुए कई ऐसे उदाहरण बने हैं, जो विधान सभा के कार्य संचालन के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। मैं समझता हूं, श्रीमान् ने एक बार बुलाकर भी अधिकारियों के सामने यह बात रखी थी। एक बार एग्जैम्प्लरी किसी एक के विरुद्ध कार्रवाई करें। यह हो क्या रहा है? ये विधान सभा को बाइपास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावनाओं को ध्यान में रखकर बात करेंगे।

श्री रामलाल जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13 से 2019-20)

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल मीणा।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 से 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज़ पर रखती हूं:-

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

1. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3) (का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22)

2. राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम, 2016 की धारा 66 (b) के अन्तर्गत भिवाड़ी इंटिग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 से 2021-22; एवं

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक। राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023, श्री अंजना उदयलाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

(समय: 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023, श्री राजेन्द्र यादव।

विधेयक पर विचार

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि सरकार बास्बार ऐसी संस्थाओं को लाकर विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट वगैरह खोलकर, सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास पद नहीं है...

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी उदयपुर पधारे थे। उन्होंने एक विधायक को कहा कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आपके यहां कितने कालेज खुले, तीन कालेज खुले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकार ने 123 कालेज खोले, 98 में प्रिंसिपल नहीं हैं, उनके भवन नहीं हैं, प्राइमरी स्कूलों में सारे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के पास बजट है, तैयारी पूरी है, तैयारी होने के बाद इस विधेयक को पास करवाएं। यही मेरा निवेदन है। इसको जनता के समर्थन के लिए अभी निलम्बित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 13.01 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा (अनुपस्थित), श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्तमान कांग्रेस का यह अन्तिम विधान सभा सत्र है और सरकार अपनी अन्तिम सांसें भी गिन रही है और जाते-जाते सरकार किस प्रकार के विधेयक राजस्थान की जनता के सामने रख रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक की उपयोगिता क्या है, राजस्थान की जनता को इस विधेयक का क्या फायदा मिलेगा? मैं समझता हूं कि अभी ये ठीक कह रहे थे कि पूर्व में भी जिन कालेजों की बजट के अन्दर घोषणा की गई, उन कालेजों की पांच वर्षों में स्थापना नहीं हुई। उन कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति भी नहीं हुई और वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के नाम पर यह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 लेकर आये हैं। मैं समझता हूं कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहां पूरे राजस्थान में कालेजों में विद्यार्थी लाइब्रेरी के अन्दर और हॉल के बाहर किसी बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे कालेज हैं, जहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कालेज

(श्री अविनाश)

में साइंस फैकल्टी की घोषणा तो इसी बजट सत्र में कर दी इसी विधान सभा में, लेकिन आज दिन तक उस साइंस फैकल्टी की वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। आपने घोषणा तो कर दी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर अगर उनकी स्वीकृतियां नहीं मिलेंगी, वहां तीन लेबोरेट्रीज की जरूरत है, वे भी नहीं बनेंगी तो किस प्रकार के विधेयक, जनता को किस प्रकार बेवकूफ बनाये जाने का इस राजस्थान विधान सभा के अन्दर प्रयास किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि पूर्व में जो-जो घोषणाएं हुई हैं, उनकी अगर आप क्रियान्विति करें और उसके बाद में इस प्रकार बिल लेकर आयेंगे, इससे राजस्थान की जनता को फायदा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, इस सरकार के कामकाज करने का तरीका सिर्फ जनता को गुमराह करना और उनको ख्वाब और कांच दिखाना। एक गाना है, भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप एक प्राइमरी स्कूल ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हो और अगर आप वहां की दुर्दशा देखें तो आपको अहसास हो जायेगा कि बड़ी-बड़ी बातें हम कर रहे हैं। हम राजस्थान को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज, आप ढंग से स्कूल चला दो तो भी जनता आपको माफ कर देगी। आपको पता ही होगा कि पिछले 4 सालों में आपने बजट में कितने सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल दिये, पर वहां अध्यापकों की कितनी संख्या है? ये आपकी घोषणाओं की पोल खोल कर रख देंगे। स्कूल खुल गये, एडमिशन हो गये, पर अध्यापकों की जो भर्ती आपके माध्यम से होनी थी, आपकी सरकार की नाकामी की वजह से जितने पेपर लीक हुए हैं न, वह भर्ती में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और आज भी अनेक स्कूलों में आधे से भी कम अध्यापक हैं। आपने कितने सारे कालेजों की घोषणा कर दी। आपके यहां हमने कालेज खोल दिया, झुन्झुना पकड़ा दिया, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग है। कालेज खुल गया, कहीं भवन नहीं है, कहीं भवन है तो पढ़ाने वाले लेक्चरर, प्रोफेसर नहीं हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आपकी बातों पर विश्वास करके बच्चे ने एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां सिर्फ घूमने-फिरने के अलावा और कोई काम उसका रहता नहीं है। पहले आपने स्कूलों, कालेजों की घोषणा की। आप उनमें एक बार शिक्षण व्यवस्था बराबर कर दो, उसके बाद आप ये विधेयक लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक के बाद एक विधेयक तो ला रहे हो, पर पहले जो आपकी घोषणाएं, आपके विधेयक हैं, आप उनकी कोई सुध नहीं ले रहे तो इनका क्या हश्र हो रहा है।

मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि यह झुन्झुना पकड़ाना बन्द करो, ये ख्वाब दिखाना बन्द करो और मेहरबानी करके यह विधेयक लाओ तो पहले इसकी पूरी तैयारी कर लो। हम पहले जो विधेयक लाये हैं, हमने जो घोषणाएं की हैं, वे पूरी हो जाएं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए परिचालित करो और उसमें जनता का क्या फीडबैक आता है, उसके बाद में आप विधेयक लाओ। हम निश्चित रूप से आपके इस विधेयक को सहर्ष स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित), श्री राम प्रताप जी कासनियां (अनुपस्थित), श्री बाबुलाल जी झाडोल (अनुपस्थित), श्रीमती सन्तोष (अनुपस्थित), श्री चन्द्रभान जी आक्या (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव जी देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के इस कार्यकाल में उच्च शिक्षा का जो बंटाढार हुआ है वह आज तक नहीं हुआ। आप विश्वविद्यालय तो खोल रहे हैं लेकिन वर्तमान विश्वविद्यालयों की जो हालत है, कभी कल्पना की क्या? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में 700 फैकल्टी खाली पड़ी हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 32 में से 26 पद खाली हैं, स्किल यूनिवर्सिटी का खुद का कोई कैम्पस तक नहीं है। लॉ यूनिवर्सिटी के तो सभी पद खाली हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों व प्रोफेसरों का पता-ठिकाना नहीं है, लेकिन आप नये खोले जा रहे हैं और यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप खोल तो रहे हो, लेकिन आज विश्वविद्यालयों के अन्दर न तो किसी का पता है, न किसी का ठिकाना है। आपने चेयरपर्सन बनाने का उसमें प्रोविजन रखा है। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या होगी? चेयरपर्सन कौन होगा? क्या ये पैसे वाले आकर के वहां पर चेयरपर्सन बन जायेंगे और मनमाने ढंग से बच्चों से फीस भी वसूल करेंगे, मनमानी डिग्रियां भी देंगी, कई

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में तो फर्जी डिग्रियां तक दी जा रही हैं। आज ऐसी दुर्दशा है, मैं समझता हूं कि ऐसी लूट कभी नहीं हुई। इस पर नियंत्रण का किसी प्रकार का कोई प्रोविजन तक नहीं है।

राजस्थान में हमको संस्थान नहीं, संसाधनों की दरकार है। आज बिना संसाधनों के जो संस्थान चल रहे हैं, खोले जाओ, वाहवाही लूटे जाओ, कह दो कि इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे कालेजेज हैं, आप केवल इस प्रकार की घोषणा करके शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो। मेरे यहां की यूनिवर्सिटी से जो निकलेंगे, वे किसी काम के नहीं रहेंगे, फिर बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। यानी, आज ढंग की डिग्री होगी, ढंग की पढ़ाई होगी, तब जाकर के विश्वविद्यालय के लिए व्यक्ति तैयार होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालयों की बहुत खस्ता हालत है। वहां पर टीचर्स का शोषण हो रहा है। वहां पर फीस के नाम पर डिग्रियां बेची जा रही हैं। सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है। केवल वह चेयरपर्सन जिनको चाहेगा, तीन एक्सपर्ट्स को बुला लेगा। आपका केवल एक, गवर्नमेंट का एक आदमी जायेगा, चीफ सैक्रेटरी या ए.सी.एस. जायेगा। वह केवल वहां पर हाजिरी भरेगा। कभी तो वह भी नहीं जाता। यानी मनमानी, खुली लूट देने का जो आप लाइसेंस दे रहे हो, न एडमिशन कैसे होंगे, उसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आज जयपुर में नौ बड़े विश्वविद्यालय संस्थान तो आपने खोल दिये, लेकिन सारे के सारे विश्वविद्यालयों की हालत आज दयनीय है। मुझे तो तरस आता है कि 76 वर्ष पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी खोली, उसके बाद से लेकर आज तक, लॉ यूनिवर्सिटी दो साल पहले खोली, दोनों में आज संसाधनों के लिए सब लोग तरस रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है और अभी भी तीन की घोषणा और करके, जिनका पता-ठिकाना नहीं है। दिव्यांग विश्वविद्यालय आपने खोला, आज तक प्रक्रिया में, कागजों में चल रहा है। रिसर्च डवपलपमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स की आपने घोषणा की, उसका कहीं पता-ठिकाना नहीं है। आज राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की आपने चर्चा की, लेकिन कहीं कुछ खोला नहीं, केवल घोषणा की है। अब केवल दो महीने बचे हैं। दो महीनों में आप कौनसी यूनिवर्सिटी खोल लोगे, कौनसा वहां पर भवन का निर्माण हो जायेगा, कौनसी फैकल्टी सलेक्ट हो जायेगी, कौनसा

(श्री वासुदेव देवनानी)

बच्चा एडमिशन लेगा? इस प्रकार की केवल घोषणा करके जो आज उच्च शिक्षा की हालत का बंटाढार हुआ है, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जरा सम्भालो। आपके बालक यदि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो वे किस प्रकार से डिग्री लेकर के मैदान में जाते, उनको कौन नौकरी देता? इस प्रकार के जो हाल बने हैं, आपके न तो कालेजों की स्थिति है, न विश्वविद्यालयों की स्थिति है। जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित बिल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। उच्च शिक्षा में तो हालत यह हो गयी कि राजीव स्टडी सर्किल के लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिये आप प्रिंसिपल का सलेक्शन तक नहीं कर रहे हो। आज 90 प्रतिशत महाविद्यालयों के अन्दर प्रिंसिपल तक नहीं हैं। यानी यह हालत बहुत शर्मनाक है, इसलिये जरा अपने-आपको सम्भालो। वैसे तो कुर्सी से आप लोग जा रहे हो। आकर के निश्चित रूप से हम इन सबको ठीक करने वाले हैं। यह आपको स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन अब भी तीन महीने बचे हैं। जरा बच्चों पर रहम करो, तब जाकर के कहीं स्थिति सुधरे, बाकी आज विश्वविद्यालयों की हालत खराब है। अत: मैं इस विश्वविद्यालय के लिए, इसको 6 महीनों के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज, यह बिल लेकर के गवर्नमेंट आयी है। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उन्होंने...। यूनिवर्सिटी, कालेज की क्या हालत है, इसके बारे में बखूबी सरकार भी जानती है और आप भी जानते होंगे, माननीय सभापति महोदय।

यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कब की, साढ़े चार साल से अधिक हो गये, दो महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है और फिर चुनाव में जाने वाले हैं। जिस तरह से सरकार की स्थिति है, निश्चित रूप से यह सरकार चार पहियों की गाड़ी में आ जाए तो गनीमत है, इसके मैम्बर, ऐसी स्थिति में यह बिल लेकर आये हैं। इस समय सिर्फ कागज की लीपापोती कर देना और कागजों पर अच्छे से लुभावने शब्द लिख देना, इससे कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नेंस की कोई नयी चीज, सोशियल साइंसेज की नहीं बनने वाली है। आपने इस बिल को लाकर के यह कहा है कि आप भामाशाह को,

(श्रीमती अनिता भदेल)

किसी उद्योगपति को इसके साथ टाई-अप करेंगे और वह आगे चीजें बढ़ायेगा, तो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जो राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्थितियां क्या हो रही हैं?

आप इस बिल में यह बात कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि जो है, वह गवर्नमेंट इस संस्थान को चलाने के लिए देने वाली है, जब कि गवर्नमेंट के वित्त पोषित जितने इंस्टिट्यूशंस हैं, उनको आप नहीं चला पा रहे हैं, उनकी पोस्टों को नहीं भर पा रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी हुई हैं। आप यह यूनिवर्सिटी सिर्फ जयपुर में और जोधपुर में, दूसरा बिल राजीव गांधी, जोधपुर; यह बिल जयपुर, तो राजस्थान में कोई और डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, जहां पर यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिये या शिक्षा का विस्तार होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके टेक्निकल पाइंट्स पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आपने लिखा है, उद्योग भागीदारी से, जो इसका लेसन फर्स्ट है, उसकी परिभाषा में लिखा है, 'उद्योग भागीदार' से कोई व्यक्ति, या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन स्थापित कोई न्यास, या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित कोई कम्पनी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन बनायी गयी या रजिस्ट्रीकृत की गयी सोसाइटी, या भारतीय भागीदारी, इसका भागीदार बनेगा, तो मुझे बताइए, माननीय सभापति महोदय, क्या आपने वह तय कर लिया है कि कौन इसका भागीदार बनेगा? क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ बिल लाकर के पास कर देने से, वाहवाही करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे लोगों को न फायदा मिलने वाला है, न गवर्नेंस को कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नेंस तो पहले ही सरकार की बहुत बुरी है। जिस तरह की गवर्नेंस खुद सरकार चला रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह बिल कैसे लेकर के आयी है, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क से अभिप्रेरित है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एक को भी कौन सी रैंकिंग, ए+ रैंकिंग मिली है क्या अभी तक? बताइये कितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ए+ रैंकिंग मिली है? कितने कालेजेज हैं उनको ए+ रैंकिंग मिली है? दो सौ के लगभग कालेज यहां खोले गये हैं। क्या उन कालेजों की बिल्डिंग बन गयी क्या, क्या उन कालेजों में शिक्षक लग गये क्या? जब वहीं यह बुरा हाल है तो फिर यह सरकार के कार्यकाल के अन्त में यह बिल लाने का क्या औचित्य है, यह मेरी समझ से परे है। मुझे समझ नहीं आता।

(श्रीमती अनिता भदेल)

'लोक निजी भागीदारी' से राज्य सरकार की स्कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेरित है जो राज्य सरकार और उद्योग भागीदारी के मध्य सहयोग, अंतर्वलित करने वाले संस्थान की स्थापना के लिए उपबंध करती है। यह बिल उसका उपबंध करता है तो आपने यदि कोई भागीदार सुनिश्चित कर लिए हैं, तो आप लाते, तो ठीक रहता, लेकिन सिर्फ आपने यह फ्रेमवर्क बनाया। मुझे लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है।

शिक्षा की लागत को कम करना और सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अभिनव पद्धतियों के उपयोग द्वारा शिक्षा की पहुंच में वृद्धि करना। अच्छी बात है। संस्थान की शक्तियों और कृत्यों में इस बात का उल्लेख आपने किया है धारा 6 में लेकिन मुझे इस पर आपत्ति है। मुझे इस पर शंका है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है और जिस तरह से शिक्षा पैसे कमाने का साधन हो गयी है, कोई भी उद्योगपति, कोई भी भागीदार बिना मुनाफे के लिए आपका सहयोग करेगा क्या? और किसी बिजनेस में नहीं जायेगा क्या वह? वह अपनी सेवाएं, अपना पैसा फ्री में क्यों लगायेगा आपकी इस गवर्नेंस वाली संस्थान में? मुझे यह बात समझ में नहीं आती। आप कह रहे हो कि बिना प्रोफिट के वह काम करेगा, तो मुझे लगता है बिना प्रोफिट के आज की दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है।

इसके अतिरिक्त आपने इसमें जो चीजें आगे लिखी हैं, वे इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही हैं। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थान की किसी संस्था व सम्पत्ति का बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान और अन्यथा माध्यम से हस्तान्तरण नहीं करेगा। अब मुझे, सभापति महोदय, बताइये कि यदि निजी भागीदारी वाला कोई व्यक्ति आ रहा है और वह अपना पैसा लगा रहा है, इस इंस्टीट्यूशन में वह बिल्डिंग बनाने में लगा रहा है, इसके संसाधनों में लगा रहा है और किसी चीज में लगा रहा है, तो वह आपकी अनुमति के बगैर, जैसे अगर उसे चाहिये कि वह अपना बोर्ड रख सके, अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे सके, तो आपकी अनुमति के बिना नहीं कर पायेगा, तो ऐसी उसको क्या जरूरत है कि उसको आपकी अनुमति लेनी पड़े, वह अपना पैसा उसमें लगाए। उसको तो कोई जरूरत ही नहीं होगी, वह दूसरी जगह पैसा लगायेगा, जहां सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी उसको तो यह जो आपने बन्दिशें की हैं इस बिल में, मुझे लगता है कि इससे यह यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों में ही रह जायेगी। यह संस्थान सिर्फ कागजों में ही रह जायेगा। यह आगे बढ़ने वाला नहीं है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त आप देखिए कि संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो समय-समय पर शासी बोर्ड द्वारा, वित्त और उपापन समिति की सहमति से, चयन समिति के सुझावों पर अवधारित किये जायेंगे। मुझे बताइये आपको इसमें यह लिखने की क्या जरूरत थी? यदि आप इसको पूरे प्रदेश का अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे काउंसलर आप इसमें लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया शिक्षाविद् आप इसमें लाना चाहते हैं तो फिर आपको जो यू.जी.सी. के नियम हैं, जिन यू.जी.सी. के नियमों के तहत जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो पे और भत्ते मिलते हैं, जो प्रोफेसर्स को और बाकी के लोगों को, शायद वही रख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आप चाहते हैं कि आप अच्छा इंस्टिट्यूशन तो बनायें, लेकिन वेतन और भत्ते जो समिति तय करे, कम से कम पैसे में लैक्चरर की पोस्ट के लिए मिल जाए, कोई पीएचडी. होल्डर मिल जाए, कोई आपको नेट/स्लेट क्लियर मिल जाए, वह आप कम से कम भत्तों पर रखना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि इससे आपकी यह यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बिल पर ही बोल रही हूं। इससे इतर मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है। सरकार को सुझाव देना अच्छी बात नहीं है क्या? हम तो सुझाव देना चाह रहे हैं, मानो या नहीं मानो, वह आपकी मर्जी है। चार महीने बाद तो इस सरकार का क्या हश्र होने वाला है, वह हम सब जानते हैं। फिर ये चिल्लायेंगे, फिर मैं आपको आगाह कर रही हूं कि अभी आप सिर्फ बिल रख करके पास कर लेंगे। इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसके कोई नियम नहीं बनेंगे, फिर सरकार बदल जायेगी। हमने गवर्नेंस यूनिवर्सिटी बनायी थी, कहां गयी, पेपर में गयी, ऐसे चिल्लाने के लिए मिलेगा आपको। इसीलिये लेकर के आये हैं न इस समय में यह बिल? ऐसा ही 2008 में किया था। ऐसा ही 2013 में किया था, 2012 में किया था कि यूनिवर्सिटी लेकर आ गये लास्ट में और फिर पांच साल विपक्ष के लोग यहां चिल्लाते रहे। वे डोटासरा जी, कहां गये? आज हैं नहीं। पूरे पांच साल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी चिल्लाते रहे, जबकि वे सिर्फ बिल लेकर आये थे, कुछ किया नहीं था उन्होंने। उन्होंने फाइनेंस में कुछ रखा नहीं था। इसलिये मैं कह रही हूं कि यह सिर्फ कागज का पुलिन्दा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यदि इच्छा शक्ति हो तो गवर्नेंस सरकार भी खुद

(श्रीमती अनिता भदेल)

से कर सकती है। सरकार की गवर्नेंस है, आये दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आये दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आपने कहा था कि राहत शिविर में 100 यूनिट बिजली के बिल माफ कर देंगे, क्या गवर्नेंस हुई है, कैसे गवर्नेंस हुई है? किताबों से गवर्नेंस नहीं होती है, प्रैक्टिकल गवर्नेंस कर के देखो। गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, यह सीखो और करके देखो, तब पता पड़ेगा कि गवर्नेंस होता क्या है। किताबों में पढ़ने से कोई नहीं समझता है। बालक भी तभी समझता है जब उसके मां-बाप अच्छा व्यवहार करते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यदि शिक्षा अच्छी देते हैं तो बालक उस शिक्षा से समझता नहीं है। इसलिए इस गवर्नेंस वाले बिल से कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहती थी कि इस बिल की सारी धाराओं के बारे में एक-एक का उल्लेख करूं, पर मूल रूप से इसमें जो आपने बात कही है कि हम निजी उद्योगपति को लायेंगे, भामाशाह को लायेंगे, ऐसा प्रेक्टिकल में होने वाला सम्भव नहीं है। आप अनुमति देते तो इन दो बिलों के बारे में भी बात करके मैं अपनी बात कह देती।

श्री सभापति: नहीं, अभी एक बिल पर हो रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): थैंक यू।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व विधायक अनिता भदेल जी ने जो अपनी बातें रखीं, मैं भी उन्हीं बातों में अपनी कुछ बातें एड करना चाहूंगी। इस विधेयक में बहुत क्लीयरली लिखा है कि यह संस्थानिक आटोनोमस शिक्षण संस्थान है। इसमें लिखा हुआ है कि गवर्निंग बोर्ड में राज्य सरकार का स्पष्ट रूप से प्रभुत्व देखा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह लिखा गया है कि वित्त विभाग एवं उच्च शिक्षा के सचिव राज्य सरकार की अनुशंसा पर, अन्य शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और राज्य सरकार की अनुशंसा पर वित्त, शासन, सामाजिक विज्ञान, उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के 6 व्यक्ति गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का आधिपत्य गवर्नर साहब के पास होता है। इस पूरे विधेयक में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि इसमें गवर्नर का क्या रोल होगा या आधिपति, कुलपति वही होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम गवर्नर को इसलिए देते हैं ताकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वाल्वमेंट कम रहे, लेकिन यह विधेयक सबके लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। इसमें यह लिखा गया है कि इसमें प्राइवेट निवेश होगा, प्राइवेट इक्विटी भी इसमें रहेगी, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कितने परसेंटेज पर रहेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर कितने परसेंट उसमें अपना इन्वाल्वमेंट रखेगी, इसका कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें विधेयक की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संस्थान राज्य एवं निजी की सहायता करेगा, लेकिन पूरी तरह से हमें यह नहीं पता है। जिस तरीके से अनिता जी ने बोला कि कितने ऐसे कालेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और आये दिन हम सदन में उनको पास करते हैं। मैं वापस से उनके प्रश्न को दोहराना चाहूंगी कि राजस्थान में आप यह बता दीजिए कि इस यूनिवर्सिटी का बच्चा भारत में पहले नम्बर पर आया है। संस्थानों की जो व्यवस्था है, हम लोग मिडियोकर लेवल पर जा रहे हैं, लेकिन हम कभी भी यह नहीं बोलते कि हमारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पास हुआ है और यह बच्चा यहां पर पहुंचा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर द्वारकाधीश गर्ल्स कालेज स्वर्गीय किरण माहेश्वरी जी के समय में पास हुआ था और उसकी बिल्डिंग अब बन कर तैयार हुई है। उसमें करीबन 500 लड़कियों की संख्या है और आज भी कहीं भी टीचर्स नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन से यह विनम्र निवेदन करूंगी कि हम नई-नई यूनिवर्सिटीज, नये-नये विधेयक पास कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज की और जरूरत है ताकि हम बच्चों को एक अच्छा ढांचा, एक अच्छा एन्वायर्नमेंट दे सकें, जहां पर बच्चे पढ़ें और हमारे राजस्थान के बच्चों को महाराष्ट्र या कहीं भी बाहर जाकर नहीं पढ़ना पड़े और यहीं पर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाएं, लेकिन कहीं भी हम यह बात नहीं करते कि उनकी इंटलेक्चुअलनैस हम कैसे बढ़ायेंगे। हम किस तरीके के टीचर्स रखेंगे, किस तरह के माहौल में हम उनको बड़ा करेंगे, कहीं भी, किसी भी विधेयक में इस बात की चर्चा नहीं होती है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को बहुत शोर्ट में रखकर सदन से एक बार वापस यह बात कहूंगी कि प्लीज लेट अस कन्सन्ट्रेट कि कहां से अच्छे टीचर्स लाएं। भले ही बच्चे बिना पंखे के ही बैठें, लेकिन वे टीचर्स उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, उन टीचर्स की हम अच्छी भर्ती करें और उस पर इस सदन में चर्चा करें। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यह बात कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इन पांच सालों में विपक्षी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अनेकों विश्वविद्यालयों के बिल इस सदन ने पास किये। खाली विश्वविद्यालय शिक्षा ही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा, तीनों पर ही सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकारों के समय में स्कूली शिक्षा में शाला दर्पण के माध्यम से, स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से दो साल तक लगातार उस पर पोस्टिंग बनी रही। इन सारी बातों को करते हुए स्कूली शिक्षा को एक ऊंचे पायदान पर ले जाने का काम किया गया, लेकिन इन पांच वर्षों में न तो कहीं स्टाफिंग पैटर्न का ध्यान रखा गया, काउंसलिंग का तो मजाक ही बना दिया गया। नव क्रमोन्नत विद्यालयों में कहीं भी ऐच्छिक विषय के अध्यापक नहीं लगाये गये। इन सारी बातों से स्कूली शिक्षा का बंटाढार कर दिया। महात्मा गांधी जैसा एक नया नवाचार लेकर आये, लेकिन उसको भी लागू करने का तरीका इतना गलत रहा कि 12वीं की स्कूल खोलकर उसमें 17-17 अध्यापकों की पोस्टिंग कर दी गई, 8वीं तक का विद्यालय संचालित किया। 500-500 संख्या वाले बालिका विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में बदलकर बालिका शिक्षा का नुकसान किया गया। इस तरह का जो पैटर्न लागू किया गया, उससे स्कूली शिक्षा को इतना नुकसान हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं। यह सरकार दावा करती है कि 298 के लगभग महाविद्यालय पांच वर्षों में खोले गये। माननीय सभापति महोदय, आप सब जानते हैं, उन महाविद्यालयों का क्या हश्र है। एक प्राचार्य 4-4

(श्री बिहारीलाल)

महाविद्यालयों को देख रहा है। एक महाविद्यालय के प्राचार्य के पास तीन अतिरिक्त महाविद्यालयों का चार्ज है। वहां झाड़ू निकालने के लिए भी उसके पास दूसरा स्टाफ नहीं है। वह सिर्फ एडमिशन करने, आई हुई डाक का जवाब देने का काम कर पाता है। न तो कोई क्लास ले पाता है, और न ही और कुछ कर पाता है। यह राजस्थान के महाविद्यालयों की स्थिति है, जो हमने सैकड़ों की संख्या में खोल दिये हैं।

इसी तरह की स्थिति राजस्थान के विश्वविद्यालयों की, उच्च शिक्षा की है। जिस उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान का कहीं नाम हुआ करता था, उन विश्वविद्यालयों की आज स्थिति देखिए। हम एग्रीकल्चर जैसे तकनीकी विषय पर भी लगातार कालेज खोलते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं। उनकी फील्ड का कोई अता-पता नहीं। सभापति महोदय, फील्ड छोड़िए, उनका कक्षा-कक्ष कहां है, उनका महाविद्यालय चलता कहां है, इस तरह के एग्रीकल्चर कालेज आपने खोल दिये। उनकी ट्रायल के लिए फील्ड कहां है, वे शोध कहां करेंगे, रिसर्च कहां करेंगे? आपने एग्रीकल्चर शिक्षा का भी बंटाढार करने का काम किया।

कहते हैं कि इस सरकार ने 28 तो सरकारी विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय बनाये हैं। आज जो यह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 लेकर आये हैं, इससे पहले सरकार को चाहिये था कि जैसी विपक्ष के सभी विधायकों की मंशा है कि हमारे जो पुराने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए...। इसके उद्देश्यों में लिखा गया है, उन उद्देश्यों में क्या है, डिग्री, डिप्लोमा जो अनुसंधान विश्वविद्यालयों में होते हैं, वही इसमें हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? आज पुरानी यूनिवर्सिटीज की चिंता करनी चाहिये, उनका क्या हश्र है? उनमें किस तरह पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है? जैसा अभी राजसमन्द से आने वाली विधायक ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय का छात्र कहां खड़ा हो पा रहा है? आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे छात्र का क्या स्तर है, वह कहां कम्पीट कर पा रहा है? इसलिए राजस्थान का कोई भी विश्वविद्यालय ए ग्रेड में कहीं भी सफल नहीं हो रहा है, न हमारा कालेज, न हमारा विश्वविद्यालय। राजस्थान की शिक्षा की ऐसी स्थिति हमने कर दी है। शैक्षिक स्टाफ की भयंकर कमी हर विश्वविद्यालय में है और हम नये पर नया विश्वविद्यालय खोलते जा रहे हैं। छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात देखिए, पूरे राजस्थान में

(श्री बिहारीलाल)

चिंताजनक है, चाहे स्कूल हो, चाहे कालेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। इस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 के पेज नम्बर 2, बिन्दु संख्या 8 पर चेयरपर्सन की योग्यता के बारे में उल्लेख है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षा एवं उद्योग क्षेत्र के विख्यात व्यक्ति संस्था का चेयरपर्सन होगा। शिक्षा एवं उद्योग क्षेत्र के किसी विख्यात व्यक्ति से क्या अभिप्राय है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? इसकी जगह विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में किसी आचार्य पद के समकक्ष व्यक्ति होना चाहिये, क्योंकि यह संस्था विश्वविद्यालय की तरह काम करेगी। इसके चेयरपर्सन को कम से कम 5 से 8 वर्ष तक आचार्य पद का अनुभव जरूरी होना चाहिये, परन्तु ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इससे राज्य सरकार की मंशा पर संदेह पैदा होता है। चेयरपर्सन के नीचे संस्था निदेशक का पद होगा। पेज नम्बर 10 बिन्दु संख्या 10 में शिक्षा व उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उल्लेख है। इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है। साथ में योग्यता में पीएच.डी. या शिक्षा क्षेत्र और/या उद्योग में विशिष्ट कैरियर का उल्लेख है। हम सब जानते हैं कि प्राइवेट विश्वविद्यालय कुकुरमुत्तों की तरह पीएच.डी. की डिग्रियां बांटते हैं, एम.फिल. एंड एम.एससी. की डिग्रियां बांटते हैं। जिन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हम सब का आग्रह है कि जो पुराने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उन्हीं को स्ट्रेन्थन किया जाए। उन्हीं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इन नये प्रयोगों में राजस्थान की शिक्षा को बर्बाद न किया जाए।

बिन्दु संख्या 12 में कुल सचिव की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है, जिसमें भी महाविद्यालय शिक्षा के आचार्य, सह-आचार्य, सुपर टाइम स्केल के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का होना उल्लेखित है। फिर इसमें महाविद्यालय क्यों, विश्वविद्यालय के आचार्य, सह-आचार्य को भी सम्मिलित करना चाहिए था। कुल सचिव के लिए आचार्य, सह-आचार्य का होना जरूरी है, परन्तु निदेशक एवं चेयरपर्सन की योग्यता का होना जरूरी नहीं है। यह भी अपने आप विधेयक में संदेह प्रकट करता है। इसलिए, माननीय सभापति जी, हम सबका इस सरकार से विनम्र से आग्रह है, माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हम सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिहाज से शिक्षा का नुकसान नहीं करें। चाहे वह स्कूली शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा के मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे महाविद्यालय शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, उसमें गुणवत्ता बढ़ाने

(श्री बिहारीलाल)

का काम करें। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में नहीं लाया जाए। उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम जो कर सकते हैं, सदन जो कर सकता है, हमने सदन की भावना व्यक्त की है, सरकार हमारी बात को सुने, इसमें संशोधन लाए और छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023, जो आप लाना चाहते हैं या इसको पास करवाना चाहते हैं, इससे लगता है कि शिक्षा के प्रति इस सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ये मानते हैं। हम लगातार यह देख रहे हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय हैं, वहां पर बच्चों की संख्या होने के बावजूद भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी होने के बावजूद भी न तो वहां अध्यापक हैं, न बिल्डिंग्स हैं, न ही फर्नीचर है। मैं सोचता हूं कि अधिकांश कालेजेज की ऐसी स्थिति है।

मैं रामगंज मण्डी की ही बात करूं तो वहां तो पानी भी नहीं है। पीने का पानी नहीं है। कालेज की बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है। आने-जाने का रास्ता भी ठीक नहीं बना हुआ है। फिर भी लगातार कालेजेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? हम इन बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? ये डिग्री हासिल भी कर लेंगे तो इस कम्पीटिशन के जमाने में किस प्रकार से कम्पीटिशन करके आगे बढ़ पायेंगे? हम जान-बूझकर बच्चों का जीवन अंधकार में करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारे इंस्टीट्यूट कम हों, लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इंस्टीट्यूट की क्वालिटी ठीक होगी तो वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वहां पर लैबोरेटरीज अच्छी चाहिए। वहां पढ़ाने वाले व्याख्याता, शिक्षक, प्राचार्य, आचार्य सब होने चाहिए।

बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, मैं उदाहरण देकर एक-दो कालेज की बात करूं, जहां केवल एक प्रिंसिपल के आधार पर कालेज चल रहा है। रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर 10 परसेंट टीचर भी नहीं हैं। विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? इंस्टीट्यूट चाहे कम कर दें, लेकिन वहां पढ़ाने वालों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जितनी

(श्री मदन दिलावर)

जरूरत है, उतनी होनी चाहिए। वहां लैबोरेटरीज पूरी होनी चाहिए। वहां पर बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त भवन होना चाहिए। उनके लिए पर्याप्त फर्नीचर होना चाहिए। आवागमन के लिए रास्ता होना चाहिए। वहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर टॉयलेट और बाथरूम होने चाहिए, लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिये हैं, इतने महाविद्यालय खोल दिये हैं और इतने विद्यालय खोल दिये हैं। आपने कागजों में संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन प्रायोगिक रूप से फील्ड में क्या हो रहा है? यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के युवाओं, विद्यार्थियों के हम दुश्मन हैं और यह सरकार जनता से दुश्मनी निकाल रही है। उनके बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाना नहीं चाहती। उनको अंधकार में धकेलना चाह रही है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। वे प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकना चाहती है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के विधेयक को न लाया जाए और न पास किया जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इसको तीन माह के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, यह घोषणावीर सरकार एक के बाद एक घोषणाओं का अम्बार लगाती जा रही है। पहले बजट के अन्दर जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं को भी, कागजों में चाहे कितना भी बता दें, हकीकत में धरातल के ऊपर 40 परसेंट भी उन घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। यह मैं बहुत विनम्रता के साथ में, और बहुत मजबूती के साथ में कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की बात करें। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कहीं, लेकिन यह उच्च शिक्षा के अन्दर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, एक के बाद एक घोषणाएं तो की गयीं, लेकिन मुझे दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उन कालेजेज के अन्दर, खोले गये महाविद्यालयों के अन्दर प्राध्यापकों की नियुक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक

(श्री अभिनेश महर्षि)

वे विद्यार्थी जो एडमिशन ले चुके हैं, वे कहां जायेंगे? रतनगढ़ के अन्दर महाविद्यालय है, पी.जी. महाविद्यालय है, गर्ल्स महाविद्यालय है। एक लैब असिस्टेंट के सहारे तीन वर्षों तक महाविद्यालय चला है। राजलदेसर के अन्दर नया कालेज खोला गया, तीन वर्ष से एक प्राध्यापक सारे काम करता है। झाडू लगाने से लेकर वह सब काम यही करता है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से वहां पर एक भी कालांश नहीं लगता है। यह उच्च शिक्षा की स्थिति है। यह सरकार इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहती है?

जहां एक तरफ भारत के अन्दर हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालय का नाम आता था, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी अच्छी नौकरी पाता था, उसकी एक इमेज थी, लेकिन आज विश्वविद्यालय खाली पड़े हैं। आज महाविद्यालय खाली पड़े हैं। आज स्थिति यहां तक बदतर है कि उन छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने के लिए यह राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पायेंगे तो इस देश को, इस राजस्थान राज्य को गर्त में ले जाने का काम यह राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि संख्या बढ़ाकर, ये आंकड़े मत बताओ कि हमने इतने महाविद्यालय खोल दिये, हमने इतने विश्वविद्यालय खोल दिये। उन महाविद्यालयों के अन्दर, उन विश्वविद्यालयों के अन्दर आप प्राध्यापकों की नियुक्ति कीजिए। आप उनके अन्दर संसाधनों की सुविधा दीजिए, तब जाकर हम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे पायेंगे।

आपने इसके अन्दर बहुत सारे उद्देश्य बताये हैं। आपने विश्व की कल्पना की है, लेकिन आप लोग पहले आपके राज्य राजस्थान के अन्दर जो हालात हैं, उन हालात को सुधारने के लिए तो काम करिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई सारी बातें बतायीं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर यह संख्या बढ़ाने के खेल को आप मत खेलिए। जहां पर लैब असिस्टेंट...। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मंत्री महोदय, जांच करवा लें। हमने मांग की कि यहां पर सेक्शंस बढ़ाएं, लेकिन सेक्शंस तो तब बढ़ेंगे, पहले वाले जितने खोले हुए हैं, आज जितने खोल रखे हैं, उनके अन्दर सेक्शंस बढ़ाओ। उनके अन्दर प्राध्यापकों की नियुक्ति करो। आप उनको क्रमोन्नत करो। तब जाकर हमारे असली उद्देश्य की पूर्ति हो पायेगी, अदरवाइज यह सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यह राजस्थान की सरकार नौजवानों

(श्री अभिनेश महर्षि)

के साथ में खिलवाड़ कर रही है। यह शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पेपर लीक करके तो आप लोगों ने इस राजस्थान के नौजवान के भविष्य को गर्त में डाल दिया। अब आप और क्या करना चाहते हैं? एक के बाद एक बिल लाकर आपने ऐसा कर दिया है। मैं ऐसी स्थिति के अन्दर आपको यह कहना चाहता हूं कि इन घोषणाओं के ऊपर विराम लगाएं। पहले की हुई घोषणाओं को पूरा करो। शिक्षा के क्षेत्र में जो जरूरी चीजें हैं, उनको पूरा करें, उसके बाद आगे बढ़ें। छह महीने के लिए मैं इसको जनता के बीच में परिचालित करने की मांग करता हूं। छह महीने बाद में आप नहीं रहेंगे। जैसे पिछले राज के अन्दर आप लोगों ने घोषणाएं की थीं, एक-एक कमरे के अन्दर विश्वविद्यालय चला दिये थे। अपने चहेतों को उन विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाने का काम किया था। हमारी सरकार आयी और सरकार आने के बाद उनका क्या हश्र हुआ था, यह आपको पता है। इन चहेतों को कहीं न कहीं बैकडोर से एंट्री देकर, उनको लाभ पहुंचाने की नीयत से ये खेल खेलना बंद कीजिए। यही बात कहते हुए 6 महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने की मांग करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पहली बार ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सदन के सभापति नाम बोलें और वे हाजिर नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आसन से क्षमा चाहूंगा।

श्री सभापति: कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे मालूम था कि मुझसे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का प्रवचन होगा, भाषण होगा। इसलिए मैं थोड़ा सदन से बाहर चला गया।

सभापति महोदय, आज विधान बनाने वाली विधान सभा के अन्दर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चर्चा हो रही है। हम विधान बनाते हैं और विधान बनाने के बाद हमारे संवैधानिक प्रमुख के सामने हमारे द्वारा पारित किया हुआ विधेयक जाता है। हमारे संवैधानिक प्रमुख संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत, 201 में कन्सेंट देते हैं। आर्टिकल 202 में कुछ आपत्तियों के साथ उसको लौटाते हैं। यह सदन साक्षी रहा है दर्जनों विश्वविद्यालयों के विधेयक बनाने का।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने पहली बार, इसी सदन में पूरे विचार-विमर्श करके जिन विश्वविद्यालयों के विधेयकों को पारित किया, मैं तीन विश्वविद्यालयों के विधेयकों के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय आप अपने लिखित वक्तव्य में इस बात का जवाब जरूर दें, क्योंकि हो क्या रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आफिसर गैलेरी में मैंने अब एक आला-अफसर को देखा है, वरना जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था, कोई भी प्रमुख शासन सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी गायब थे, क्योंकि धीरे-धीरे विधान बनाने वाली यह सभा गौण होती जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इसी विधान सभा के सत्र में हमने तीन विश्वविद्यालयों के बिल पारित किये थे। ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर; व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय, हिंडौन।

सभापति महोदय, इन सारे बिलों को जब विधान सभा ने महामहिम राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख के पास भेजा, संवैधानिक प्रमुख ने, पहली बार मेरे संसदीय जीवन में देख रहा हूं, नवम्बर के महीने के अन्दर गम्भीर आपत्ति लगायी। इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो टीम गयी थी, उसने इस सदन को कहा कि आधारभूत संरचनाएं पूरी हैं, मानव संसाधन पूरे हैं, यू.जी.सी. के मापदंड पूरे हैं, ए.आई.सी.टी.सी. के मापदंड पूरे हैं। मैं इस विधेयक पर अपनी बात कहूं, उससे पहले मैं महामहिम राज्यपाल के उस पत्र के उस आखिरी वाक्य को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, ताकि यह सदन इस बात का साक्षी रहे कि संवैधानिक प्रमुख के द्वारा की गयी आपत्तियां आज नेपथ्य में हैं।

सभापति महोदय, ये क्या लिखते हैं, 14 आपत्तियां हैं उनकी। यह पत्र है उनका ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर का। लिखते हैं कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जो बिल पारित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है वह, उक्त कमियों के रहते हुए भी प्रशासनिक व विधि विभाग द्वारा पत्रावली पर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत राजस्थान विधान सभा द्वारा विधेयक को पारित कर विधेयक को राजभवन में भिजवाया गया है। मुलाहिजा फरमाएं आप। अतः उक्त कमियों की सम्भागीय राजस्व अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके विस्तृत जांच हो, न्यायिक जांच हो। यह राजस्थान के इतिहास में पहली घटना होगी, जब महामहिम राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, एक नहीं, इसी तरह सौरभ विश्वविद्यालय, हिंडौन सिटी, उस पर आपत्ति करते हैं, उसमें भी यह लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, इसलिए अब मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान विधान सभा को उक्त विर्निदिष्ट उपबंधों के अधीन पुनर्विचार करने हेतु विधेयक लौटा रहा हूं। नवम्बर में विधेयक लौटाये। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आपके संज्ञान में है, आपके अधिकारियों के संज्ञान में है। अब हमारे विधान सभा का अधिकार बन गया। महामहिम राज्यपाल ने हमें पुनर्विचार करने के लिए आपत्तियों के साथ एक विधेयक लौटाया। ये विधान सभा की सम्पत्ति बन गये। यहां संसदीय ज्ञान के ज्ञाता बुलाकी दास जी कल्ला विराजे हैं। यह हमारा अधिकार बन गया। यह विधान सभा का अंतिम सत्र, अगर इसमें पुनर्विचार के लिए ये नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे आपकी नीति और नीयत, मंत्री महोदय, दोनों में खोट नजर आती है। आप अभी अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ देंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाएं आप। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों के कथन में, महात्मा गांधी के नाम का इंस्टीट्यूट है, आप क्या कह रहे हैं, संस्था का लक्ष्य गवर्नेंस और सोशियल साइंस क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान कर समाज और राष्ट्र की उत्तम सेवा करना है। बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंस, जहां एक ओर ज्ञान की अभिवृद्धि करेगी, वही संस्था डीम्ड, स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगी। मैं धन्यवाद देता हूं। परन्तु मंत्री महोदय उत्तर दें तब बताएं, इसके साथ आपने इसी विधेयक में आपने पृष्ठ 40 पर वित्तीय ज्ञापन लगाया है। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का भी इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें क्या लिखा है बजट भाषण 2021-22 के पैरा 43, बजट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भाषण 2022-23 के पैरा 30 में जयपुर में 225 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज के स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं नहीं करता, ये सदन के नेता करते हैं।

सभापति महोदय, मेरे संसदीय जीवन में पहली बार एक ही घोषणा दो बार की गयी। मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार गम्भीर होती, 2021-22 के अन्दर इन्होंने घोषणा की तो 2021-22 में बिल लेकर आते, 2022-23 में बिल लेकर आते। 2023-24 में अब बिल लेकर आये हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। सबको पता है, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार की थोथी बातों के कारण, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई अभिमान से नहीं कह रहा हूं, मैं यहां रहूंगा और वही मेटाडोर से कम सवारियां दिखा दूंगा।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि ये जो इन्होंने 225 करोड़ रुपये आधारभूत संरचनाओं के लिए बजट घोषणा के अनुसार घोषणा की, 15 करोड़ रुपये रेकरिंग एक्सपेंडीचर के लिए और कहा यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मुझे समझ में नहीं आया कि बजटीय घोषणा और उसका इनैक्टमेंट तीन साल बाद। सरकार, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने बिना खड़ग बिना ढाल हमें आजादी दे दी, उनके नाम के इंस्टीट्यूशन के साथ यह मजाक।

सभापति महोदय, इससे आगे सुनिए। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात है, ये चल कहां रहा है? सभापति महोदय, आप प्रशासनिक पदों पर विराजे हैं, एक लक्ष्मी विलास होटल है सेन्ट्रल पार्क में, इसको कनक भवन कह रहे हैं, उसमें चार कमरे हैं। उसमें प्रोफेसर बी.एम. शर्मा, वे तो इसके संस्थापक निदेशक हो गये, और 11 सदस्यीय समिति, गांधीवादी विचारकों को लिया है, प्रशान्त किशोर, वह प्रशान्त किशोर, चुनाव का रणनीतिकार; डी.आर. मेहता, सी.एस. बाफना, मनीष शर्मा, गोपाल बाहेती, हमारे साथ विधायक रहे; सवाई सिंह, कइयों को लिया। बी.एम. शर्मा, ये इसके फाउंडर डायरेक्टर हैं। ये बी.एम. शर्मा कौन हैं? सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, यह बी.एम. शर्मा वे ही हैं, इसी सदन में 2012-13 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में 154 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले की चर्चा हुई। बिना अर्हताओं, बिना यू.जी.सी. के मापदण्ड के, बड़े रसूखदारों के, बड़े राजनेताओं के भाई-भतीजों को भर्ती किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भर्ती की तारीख के बाद आवेदन पत्र ले लिये। क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे थे। सदन ने उसमें प्रोफेसर दसेरा की सदारत में एक कमेटी बनाई। दसेरा की समिति ने पांच हजार पृष्ठों की अनुसन्धान करके अपनी रिपोर्ट दी। मामला ए.सी.बी. में गया। दो दर्जन से ज्यादा जो पात्रता की फर्जी डिग्री लेकर इसमें भर्ती हुए उन पर मामला चला, वे गिरफ्तार हुए। सैंया भए कोतवाल तो फिर डर काहे का। सरकार बदल गई, दसोरा कमेटी पर बी.एम. शर्मा कमेटी आ गई। उन्होंने 154 को कह दिया कि आप रेगुलराइज हो जाओ। उसके बाद प्रोफेसर त्रिवेदी जोधपुर विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चासंलर थे, अपनी सेवानिवृत्ति के दस दिन बचे थे, तब सिंडिकेट में ठप्पा ठोक दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे साहसिक कार्य करने वाले प्रोफेसर बीएम. शर्मा, सदके जाऊं बी.एम. शर्मा साहब, उनको आपने उपकृत किया और महात्मा गांधी के नाम पर उपकृत किया।

सभापति महोदय, सेन्ट्रल पार्क में कनक भवन है, इसमें बी.एम. शर्मा साहब विराज रहे हैं। न तो कोई फैकल्टी है, न कोई विद्यार्थी है, बस देश में बापू का नाम चल रहा है। बापू के नाम से चलने वाली किसी संस्था पर कौन और कैसे एतराज करे। सभापति महोदय, वह तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप मुझे इस तरह गुस्से की निगाह से मत देखो। मुझे पता है आप गांधी के विचारों को आत्मसात करते हो, पर मैं भी उस पर नहीं कर रहा। मैं एक निवेदन जरूर कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा फैकल्टी, तो डेपुटेशन पर लीजिए साहब। ऐसे 19 लेक्चरर, जो इस प्रदेश में अलग-अलग जगह पर महात्मा गांधी के दर्शन को पढ़ाने वाले थे, आपने साक्षात्कार के लिए बुलाये। यही आपके प्रशान्त किशोर, उन्होंने कहा कि एक भी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा है, कालेजों में कहां पढ़ा रहे हैं, इनको घर भेजो। ये हालात हैं।

सभापति महोदय, इसके सैक्शन-3 (3) में आप क्या प्रावधान लेकर आये हैं, संस्थान राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। बहुत अच्छा है, मैजोरिटी है, पास कर दोगे। गवर्नर साहब वापस भेजें तो आपके असर नहीं परन्तु निजी भागीदारिता का प्रावधान भी होगा, वाह। 225 करोड़ की लागत से बना हमारा भवन सैकड़ों करोड़ के सेन्ट्रल पार्क जयपुर के हार्ट में रखी हुई जमीन हमारी, पर आप पिछले दरवाजे से सैक्शन-3 (3) का सहारा लेकर बैकडोर एन्ट्री से आप निजी भागीदारिता के नाम पर उद्योगपतियों को लेकर आओगे। गांधी लघु उद्योग के पक्ष में जरूर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थे, बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं थे। उनके साथ तो न्याय करते। इसके लिए सैक्शन 3 (4) में आपने क्या कहा, संस्था निजी भागीदारी के लिए साझेदारी आकर्षित करने का प्रयास करेगी और विस्तृत प्रस्ताव विकसित करेगी, यानी यह संस्था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस। सभापति महोदय, मैं इस गवर्नेंस के अन्दर महात्मा गांधी के दर्शन को ढूंढ रहा था। मुख्य मंत्री जी के सलाहकार, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे गांधी जी के दर्शन पर पूरे बिल में एक लाइन लिखी हुई नहीं मिली। क्या मजाक है, मैं समझता हूं कि राजस्थान का अवाम जब गांधी जी का अपमान देखेगा, तो उठ खड़ा होगा।

सभापति महोदय, इसी विधेयक के सैक्शन 6 (1) व 24 (1) में अध्ययनरत विद्यार्थियों में आप फीस वसूल करोगे। फीस का निर्धारण कैसे होगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है, रूल में डालो तो मुझे पता नहीं है। संचालन प्राइवेट हाथ में होगा। संस्था नो लोस नो प्रोफिट पर चलेगी या संस्था सेल्फ फाइनेंस पर चलेगी, संस्था कैसे चलेगी? उस नौजवान का क्या होगा जो गांधी जी के दर्शन के आधार पर अपने जीवन को उतारना चाहता है, परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर है? क्या होगा मेरे उस नौजवान का जो सुदूर गांव में है, जो अनुसूचित जाति-जनजाति का है? मैंने कहीं कोई रियायत की बात नहीं देखी।

सभापति महोदय, सैक्शन 8 में संस्था का चेयरमैन और उसकी नियुक्ति की कोई अर्हताएं नहीं हैं। उसमें कहा कि विशिष्ट व्यक्ति होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है और उद्योग के क्षेत्र में भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा के मन्दिर में तो सबसे बड़ा नाम आजकल बी.एम. शर्मा का ही चल रहा है, उनको आपने लगा ही लिया। सभापति महोदय, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, पीड़ा है। यह इसलिए जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम विश्वविद्यालय खोलते हैं, मानदण्ड और मानदण्ड के अनुसार नहीं खोलते। काग़ज़ों में उसकी यात्रा जारी रहती है। सभापति महोदय, आपने देखा होगा सीकर आजकल एजुकेशन हब बन गया। प्रिंस कोचिंग, कलाम कोचिंग, गारंटेड बैच, आपको सरकार की नौकरी मिलेगी पर आपकी फीस एक महीने की दस लाख रुपये होगी। यह क्या खेल है? यह इसलिए हो रहा है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को फैकल्टी नहीं मिलती, जो इसके अन्दर मैं कह रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, सैक्शन 10 में संस्थापक निदेशक और निदेशक। निदेशक की क्वालिफिकेशन तो आपने तय कर दी, पर संस्थापक निदेशक तो कोई भी हो सकता है। चेयरमैन को अधिकार दे दिया, निदेशक को नियुक्त करने का। चेयरमैन उद्योगपति होगा, निदेशक बनाएगा अपने भाई भतीजों को। 225 करोड़ की लागत का सरकार का धन हमारे कंसोलिडेटेड फण्ड से निकलेगा। कनक भवन की जमीन जो लक्ष्मी विलास होटल के नाम से बेशकीमती है वह लेगा। इसमें आपने सैक्शन 12 में आगे क्या किया, इसमें कुल सचिव की नियुक्ति। कुल सचिव की नियुक्ति में कहते हैं कि यह प्रशासनिक अधिकारी होगा जो निदेशक के निर्देशन में काम करेगा। उसमें आप यह कह रहे हैं कि कुल सचिव यथा राजस्थान प्रशासनिक सेवारत होगा परन्तु संस्था के मनोनीत निदेशक उच्च शिक्षा के सचिव, यह सचिव साहब वही हैं, जो महामहिम राज्यपाल की भी परवाह नहीं कर रहे। उनके डिसेन्ट नोट पर भी ऊपर विराजे हैं तीन शिक्षा उद्योग के विशेषज्ञ, ये मिलकर कमेटी में, अगर कुल सचिव, जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं, प्राइवेट व्यक्ति का चयन करेगा तो भी चलेगा। यानी सारी संस्था जो महात्मा गांधी के नाम से है, जय हो आपको, दे दो किसी को।

सभापति महोदय, इस संस्था में कौन पढ़ेगा, जब उद्योगपति होंगे? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार अपनी, फिसली हुई सरकार अब अन्तिम पायदान पर है। मुझे इस बात का अफसोस जरूर रहेगा और ता-जिन्दगी रहेगा। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का बड़ा सम्मान करता हूं। सलाहकार बने, बड़ी खुशी हुई। सभापति महोदय, परन्तु एक भी सलाहकार से सलाह नहीं ली और कार्यकाल पूरा। जन घोषणा पत्र में आपने प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया राजस्थान सीधा-साधा। सभापति महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। आपको निवेदन करूं कि महात्मा गांधी जी के नाम से उद्योगपतियों का आप सोच रहे हैं, इसके अन्दर पूरे मामले का नियन्त्रण करने के लिए इसमें जो अकाउण्ट्स को देखेगा, उसमें भी आपने यह लिख दिया सैक्शन 14 के अन्दर, वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति, लेखाधिकारी होगा, पर कुल सचिव के समान, अगर निदेशक जी और उद्योग शिक्षा के नामजद लोग तीन विशेषज्ञ किसी बाहर के आदमी का चयन करें तो भी वाह भाई वाह। रजिस्ट्रार भी उद्योगपति, वित्तीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिकारी भी उद्योगपति, गम्भीर वित्तीय अनियमितता की ओर यह पूरा मामला दिखाता है कि नहीं दिखाता?

(समय: 14.00 बजे)

सभापति महोदय, सैक्शन 25 में आपने 25 लाख तक नोन एक्सपेंडीचर करने का अधिकार दे दिया। डाइरेक्टर लिखेगा, वित्त अधिकारी दे देगा। लूट और झूठ। मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे पहले सैक्शन 34 जिसमें संस्था को डिग्री डिप्लोमा व अन्य शैक्षणिक उपाधियां देने का अधिकार है, माननीय सभापति महोदय, अभी भूपेंद्र सारण, जो पेपर माफिया है, फरार है, जिसकी पैरवी करने के लिए सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के बड़े नेता, वे आये। जब इस भूपेंद्र सारण के घर पर छापा मारा तो राजस्थान के इन पचास विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और सरकारी विश्वविद्यालयों की चार हजार डिग्रियां वहां पर मिलीं। चार हजार। यह सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण जैसे लोग पनपे ही इसलिए हैं कि हम ये संस्थाएं निजी हाथों में सौंप रहे हैं, उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। डिग्री सीधी निकलेगी और इनके हाथ में जायेगी। यह हालत क्या है? यह कौन है भूपेंद्र सारण? भूपेंद्र सारण कौन है? सुरेश ढाका, यह किसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है?

महात्मा गांधी के नाम से यह मजाक आप बंद करें। महात्मा गांधी के नाम से आप करेंगे न तो आपके दूसरे गांधीजी ये बैठे हैं न, जो कि छद्म गांधीजी, स्यूडो-गांधीजी...। माननीय सभापति महोदय, मैं शिकायत करने जाऊंगा। मैं सोनिया गांधीजी को यह कहूंगा कि देखो गांधी नाम आपके लगा है और यह गांधी नाम इनके, महात्मा गांधी के लगा है और ये इस प्रकार का खोटा विधेयक लेकर आ रहे हैं। मेरी शिकायत सोनियाजी सुनेंगी तो मैं निश्चित तौर पर यह कह रहा हूं कि आपकी डगमगायी हुई सरकार गोता खा जायेगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारा उद्घोष है 'वसुधैव कुटुंबकम्' और हमारा कल्याण मंत्र है-

'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।'

(श्री संयम लोढ़ा)

उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करने हेतु इस इंस्टीट्यूट की स्थापना उस दिशा में एक कदम है।

अभी प्रतिपक्ष के हमारे प्रखर वक्ता और विपक्ष के नेता राठौड़ साहब का उद्‌बोधन मैं सुन रहा था। उन्होंने यह कहा कि इस पूरे एक्ट में मुझे कहीं भी एक लाइन पढ़ने को नहीं मिली जो गांधी दर्शन से सम्बन्धित हो, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट के सारे प्रावधान उस गांधी दर्शन को समर्पित हैं। ये नौ उद्देश्य लिखे हुए हैं और इसमें पांचवें नम्बर पर उद्देश्य लिखा हुआ है- 'सामाजिक और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का समर्थन और विकास करना।'

माननीय सभापति महोदय, आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी की फोटो है। ऊपर का पूरा भाग जो कमर से ऊपर का है वह बिना कपड़ों के है। उन्हें बिना कपड़े रहने का संकल्प क्यों करना पड़ा? जब महात्मा गांधी भारत में आये और उन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से यह पूछा कि मैं क्या करूं? तो गोखले ने उनसे यह कहा कि तुम भारत को जानो और यह विचार करके जब वे निकले तो उड़ीसा की एक सभा थी उनकी चार बजे, उनकी सभा के अन्दर स्त्रियां नहीं आईं। बा उनके साथ थी तो गांधीजी ने बा से कहा कि तुम पता करो कि महिलाएं क्यों नहीं आईं? बा जब पता करने गईं तो मकान तो उस समय थे नहीं, झोंपड़ियां थीं, एक झोंपड़ी में तीन स्त्रियां थीं, बा ने उनसे पूछा कि तुम बापू की सभा में क्यों नहीं आईं? तो उन्होंने कहा कि हम आना तो चाहती थीं, लेकिन हमारे पास एक ही साड़ी थी, इसलिए हम सभा में नहीं आ सकीं। उसी दिन महात्मा गांधी ने यह तय किया कि मेरी बहनों के पास पहनने के पूरे वस्त्र नहीं हैं तो मैं भी पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा। यह तस्वीर उस बात का प्रमाण है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, लैंगिक समानता, यह इस इंस्टीट्यूट का एक उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने 103 साल पहले जिस ध्येय को पकड़ लिया था, जिस चिंतन को देश को दिया था, उस चिंतन को आगे बढ़ाने का काम अशोक गहलोत की सरकार कर रही है और यह इंस्टीट्यूट उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, 75 साल की आजादी के बाद आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब एक दलित घोड़े पर बैठता है

(श्री संयम लोढ़ा)

तो हमारे दिमाग में भरा हुआ कचरा, अन्दर से किस तरह का ज्वार पैदा करता है और घोड़े पर बैठे हुए उस दलित को हम नीचे उतार देते हैं। एक दलित अच्छी सी दाढ़ी रखकर घूमता है, अच्छे से कपड़े पहनता है तो हमारे अन्दर सिर्फ जन्म के आधार पर जो उच्चता का भाव है वह हमें यह रास्ता देता है कि उसकी हम हत्या कर देते हैं। मटकी से अगर कोई दलित का बच्चा पानी पी लेता है तो वह बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। ऐसे समाज के अन्दर 75 साल के बाद भी यह भाव विकसित करने की आज अत्यन्त आवश्यकता है कि जन्म के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। कुदरत ने सबको बनाया है, उन्हीं पांच तत्वों के आधार पर बनाया है, और यह संस्था, कितनी ही हमारी सरकारी नफरी हो, कितनी भी भर्ती हो, पर समाज के अन्दर जो जहर फैला हुआ है, वह जहर बाहर नहीं निकलता है। कई संत, महात्मा कहकर चले गये कि- 'जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई', लेकिन आज 75 साल बाद भी क्या परिस्थितियां हैं?

माननीय सभापति महोदय, आप तो आई.ए.एस. रहे हैं, जिला कलेक्टर भी रहे हैं। उन सारी परिस्थितियों को आपने देखा है। आज इस बात की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि समाज में समानता का भाव बढ़े। सबको एक साथ आगे बढ़ने का मार्ग मिले तो उस दिशा में मैं समझता हूं कि यह इंस्टीट्यूट हमारे प्रशासन को, हमारे सामान्य बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारी नयी पीढ़ी को उस दिशा में आगे बढ़ने की सोच देगा, सोच से सम्पन्न करेगा, उनकी जो भी सामाजिक अवधारणा के कारण जो गलत चिंतन उनके मन में आ जाता है, उसको दूर करने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत से उदाहरण दिये। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के उदाहरण दिये। हमको यह सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का वातावरण ठीक कैसे हो। यह आरोप-प्रत्यारोप तो चल सकते हैं। आपको याद होगा, आप सरकार में मंत्री होते थे, सरकार के प्रभावी मंत्री होते थे और राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी संस्था, जिसके अन्दर एक से एक बढ़कर शिक्षाविद् रहे, वहां आपने एक नॉन पीएच.डी. का वाइस चांसलर बनाने का काम किया था। जब आपकी सरकार के ध्यान में यह बात आ गयी तब भी आप नहीं माने। आपने नहीं हटाया। आपकी जिद थी। फिर क्या हुआ? राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया और आपको उसको हटाना पड़ा।

(श्री संयम लोढ़ा)

उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस इंस्टीट्यूशन से राज्यपाल नाम की संस्था को बाहर रखा हुआ है। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के अन्दर बोर्ड आफ मैनेजमेंट, सिंडीकेट की बैठक हो, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नोटिस निकाल दे और उसको स्थगित कर दिया जाए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के एक्ट में कौनसी धारा के अन्दर यह प्रावधान है, कौनसे नियम में यह प्रावधान है जो राज्यपाल को इस बात की इजाजत देता है या राज्यपाल को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह यूनिवर्सिटी की बुलाई हुई मीटिंग को रोक दे?

माननीय सभापति महोदय, ये ही प्रतिपक्ष के नेता अब खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। यह हमारे सदन की परम्परा रही है, यह नियम है कि उच्च पदस्थ महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति के बारे में सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री सभापति: प्रोसीडिंग देखकर उस पर निर्णय किया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने बार-बार राज्यपाल का नाम लिया है, आपने बार-बार संवैधानिक प्रमुख का नाम लिया है। जब आपको ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो यह पत्र पढ़कर सुनाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप एक दूसरे से बात नहीं करें। प्लीज। इधर बात नहीं करें, आप इधर एड्रेस करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने पत्र पढ़कर सुनाया है। राज्यपाल महोदय का पत्र पढ़कर सुनाया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने, राज्यपाल महोदय की आपत्ति दर्ज हुई जिन विधेयक पर, वह पत्र पढ़कर सुनाया है। सरकार के माथे पर कलंक है वह पत्र।

श्री सभापति: प्रोसीडिंग देखकर उस पर निर्णय कर देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह दायित्वबोध यदि प्रतिपक्ष के अन्दर होता तो इन संस्थाओं का इतना दुरुपयोग नहीं होता। जिन नरेन्द्र मोदी को आप विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हो, उनके

(श्री संयम लोढ़ा)

अपने राज्य के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल को कुलाधिपति नहीं बनाया गया और उसके बिना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपाइंट किये गये। राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है। बंगाल के अन्दर यह हुआ, केरल के अन्दर हुआ। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, जिसको आपने बंद कर दिया था, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जिसको आपने बंद कर दिया था, मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत को, जिन्होंने उन दोनों यूनिवर्सिटीज को वापस बहाल किया।

माननीय सभापति महोदय, सरकार इस बात का प्रयास कर रही थी कि यूनिवर्सिटी वापस शुरू कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था के लिए शिक्षक लगें, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, चलती भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम किया। यह अधिकार तो संवैधानिक प्रमुख को है कि वे जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट इस बात का कोई अधिकार नहीं देता कि चलती भर्ती प्रक्रिया को वे रोक दें, किसी मीटिंग को बुलाने से रोक दें।

आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे। सभापति महोदय, इस सदन ने जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल पारित करके भेजे हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी जवाब दें तब बताएं कि इस बारे में नियम में क्या प्रावधान हैं? क्या संवैधानिक प्रमुख को किसी तरह की क्वैरी करने से पहले हायर एजुकेशन सैक्रेटरी और लॉ सैक्रेटरी को कंसल्ट नहीं करना चाहिए? क्या उस क्वैरी को करने से पहले लॉ सैक्रेटरी और हायर एजुकेशन सैक्रेटरी को कंसल्ट किया गया? क्या कारण हैं कि सारे आक्षेपों की पूर्ति के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वे बिल अप्रूव होकर नहीं आ रहे हैं?

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जो नया इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उसमें आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल रखा है और यही होना चाहिए। जिस तरह से राजस्थान की यूनिवर्सिटीज बर्बाद हुई हैं, कोई आता है बाहर से और यूनिवर्सिटी खोल देता है। पता नहीं, कहां-कहां से उठा कर लेकर आ जाते हैं।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको याद होगा, इसी सदन में मैंने कहा था, जब उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कटारिया साहब पर गम्भीर आरोप लगाये थे और उन्हें भू-माफिया बताया था। इसी सदन में मैंने कहा था कि गुलाब चन्द कटारियाजी के दामन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। कैसा वाइस चांसलर है वह? उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, वह बात साबित भी हो गयी। यह बहुत ही श्रेष्ठ कदम है। आपने

(श्री संयम लोढ़ा)

उसको बाहर कर रखा है। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि आप राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एक्ट लेकर आइये, जिससे सारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर सारे काम समयबद्ध तरीके से हो सकें। राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कई जगहों पर, जहां दो साल का कोर्स है, तीन साल में पूरा हो रहा है, जहां तीन साल का है, चार साल में पूरा हो रहा है।

हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का जो वातावरण अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया है, पूरे देश में एक उदाहरण है। आप उच्च शिक्षा का नामांकन देखिए। 22 परसेंट से बढ़ कर हम 26 परसेंट पर पहुंच गये हैं। विपक्ष के नेता महोदय, देश का जो राष्ट्रीय औसत है उच्च शिक्षा का, उससे भी राजस्थान बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है और इसका श्रेय अशोक गहलोत की सरकार को जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्या हालात थे? 2018 की हालत पूछिए आप, राजस्थान में कितने प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी के अन्दर वाइस चांसलर बनाने के लिए हमारे पास प्रोफेसर नहीं होते थे, क्योंकि हमने पदोन्नितयां ही नहीं कीं, हमने भर्ती नहीं की। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी थीं। मैं धन्यवाद दूंगा, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपको कि आपने पदोन्नतियां कीं और इस समय राजस्थान में 1,300 प्रोफेसर हुए, उस पदोन्नति की प्रक्रिया की वजह से। आने वाले वक्त में हमारे कालेज और यूनिवर्सिटी सबको लाभान्वित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। अभी विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि टैम्पो जितने लोग आयेंगे और आपकी नीति और नीयत में खोट है। यह उच्च शिक्षा मत्रीजी को कहा।

माननीय सभापति महोदय, कल जोधपुर यूनिवर्सिटी के कैम्पस में बलात्कार हुआ एक नाबालिग लड़की से। आज सदन में यह मसला जोस्शोर से उठाया गया, लेकिन टांय-टांय फिस्स क्यों हो गया? क्या मैच फिक्सिंग थी? क्या राजस्थान का विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार से इस मुद्दे पर जवाब नहीं ले सका? +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): एडीवी महोदय, सुनो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ सदन के अन्दर सारा रिकार्ड पर आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह डिलीट करवाइए आप। डिलीट करवाइए। ये किस बिहाफ पर आरोप लगा रहे हैं? अपराधी किसका होता है? अपराधी की कोई जाति नहीं। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह विधान सभा है। नियम और प्रक्रियाओं से चलती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज होल्ड आन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): डिलीट करवाइए सभापति महोदय।

श्री सभापति: जो ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनकी प्रोसिडिंग देख करके जो भी कुछ रखना होगा या डिलीट करना होगा, वैसा कर देंगे। कर देंगे, लेकिन देख कर करेंगे। कन्टीन्यू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह सदन नियमों से चलता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियमों में ही बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आपकी भावना का सम्मान करते हैं। एक दूसरे से बात मत करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): किया है तो फांसी पर चढ़वाओ। कौन मना करता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने सरकार से जवाब क्यों नहीं लिया?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: ये सब अंकित नहीं होगा, जो बातें कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापति: अगर कोई आपत्तिजनक बात आयेगी तो डिलीट कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापति: कोई भी आपत्तिजनक बात आयेगी, डिलीट कर देंगे। बैठिए प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में प्रवेश एवं नारे।)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: सुनिए। जो आपत्तिजनक बात कही है, उसको डिलीट कर दिया हमने। बोल दिया। डिलीट कर दिया।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया।

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 14.19 बजे 14.34 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय 14.34 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, हम सदन को चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री सभापति: देखिए, सुनिए आप। जो आपत्तिजनक बात थी, जो आपने इंडीकेट की प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, उसके लिए मैं आलरेडी कह चुका हूं। उसको डिलीट करने का मैंने आदेश दे दिया है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना एक मिनट में कन्क्लूड करिए। माननीय मंत्री महोदय, आप तैयार रहिए। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आप तैयार रहिए। आप एक मिनट में कह दें। Kindly conclude it within a minute only.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति: एक मिनट ओनली। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस को आर्डर में लाइए आप।

श्री सभापति: आप बोलिए न। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस तो आर्डर में लाइए।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हाउस तो आर्डर में लाइए आप। मैं शोर में कैसे बोलूंगा?

श्री सभापति: एक मिनट का टाइम और दे दिया। बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाइए, तभी तो बोल पायेंगे ये। (व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाइए।

श्री सभापति: बोलो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हाउस आर्डर में नहीं है, कैसे बोलेंगे? हाउस आर्डर में आने पर ही तो बोल पायेंगे।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, इनको बैठाइए। आप सुनिए। (व्यवधान) वे बैठ गये न। अब आप भी बैठिए। आप बैठिए तो सही। बोल गये वे तो। एक मिनट का टाइम दिया था, बोल गये। (व्यवधान) हो गया न। अब माननीय मंत्री महोदय, आप बोलिए, जवाब दीजिए। (व्यवधान) आप बैठिए प्लीज। बैठिए। आपको दे दिया था न एक मिनट। हो गया प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दीजिए। माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। (व्यवधान) हो गया आपका, बैठिए। हो गया बैठिए। आप बोलिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थानों पर प्रस्थान।)

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मेरा प्रयास रहेगा कि यथासम्भव इनके द्वारा दिये गये सुझावों की दिशा में पूरा कार्य करें। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशियल साइंसेज की तर्ज पर राज्य में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन व विस्तारण और नवाचार के द्वारा एक बेहतर विश्वविद्यालय बनाने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

एण्ड सोशियल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान का मिशन ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज तथा इन क्षेत्रों से सम्बन्धित शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना है। यह संस्थान गवर्नेंस और सोशियल साइंसेज में अनुसंधान बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ सहयोग एवं सहकार का कार्य करेगा। इस क्रम में टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशियल सांइसेज, मुम्बई अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं क्रिस्प संस्थान के साथ MOU भी किये गये हैं। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, यहां भाषण पढ़ा नहीं जा सकता। वे उसको टेबल कर सकते हैं, लेकिन भाषण नहीं पढ़ा जा सकता। बिल का जवाब दे रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): बिल का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: ये देखे बिना भी बोल रहे हैं। दोनों ही बातें हैं और ऐसी परम्परा रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): लिखित भाषण पढ़ रहे हैं ये।

श्री सभापति: परम्परा रही है, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह परम्परा के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सदस्यों ने कहा है कि फण्ड नहीं दिया, पैसे नहीं दिये और खाली कागजी कार्यवाही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जे.एल.एन. मार्ग पर सेन्टर आफ एक्सीलेंसी के रूप में विकसित किये जा रहे परिसर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज भवन का निर्माण कार्य 21.10.2022 से प्रारम्भ किया जा चुका है। इस परिसर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज, राजकीय महाविद्यालय जयपुर, राजा रामदेव पोद्दार आवासीय विद्यालय और डा. राधाकृष्णन पुस्तकालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जे.एल.एन. मार्ग स्थित शैक्षणिक संस्थानों को सम्मिलित कर एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। भवनों के निर्माण जीर्णोद्धार हेतु कुल 355 करोड़ 83 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज एवं

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

राजकीय महाविद्यालय, जयपुर के भवन के निर्माण के लिए 233 करोड़ 38 लाख रुपये आबंटित किये। इनमें से 180 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। इन कार्यों को दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जो कि पूर्व निर्धारित समय से छह महीने पहले हो जायेगा।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो बास्बार माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कालेज खोल दिये, कालेज खोल दिये, शिक्षक नहीं हैं और चीजें नहीं हैं, 2018 तक 250 राजकीय महाविद्यालय थे, जिनमें कुल 47 कन्या महाविद्यालय थे। हमारी सरकार ने 5 वर्षों में सामान्य शिक्षा में 347 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें से 131 कन्या महाविद्यालय और 39 कृषि महाविद्यालय हैं।

वर्तमान में सरकार ने अब तक 80 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। स्नातक स्तर पर 131 नवीन विषय भी खोले गये हैं। 208 नवीन विषय व 90 नवीन संकाय प्रारम्भ किये जा चुके हैं। बालिका शिक्षा के लिए पालिसी रखी है कि 11वीं और 12वीं में 500 से अधिक छात्राएं जहां भी होंगी, उसको महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। अब जो कह रहे हैं कि स्कूल नहीं बने, बिल्डिंग नहीं बनी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह महाविद्यालय का है।

श्री सभापति: सुनिए, प्लीज सुनिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 2019 में हमारे 250 थे। वर्तमान में 347 और पिछले साढ़े 4 साल में दिये। इनमें से 233 अपने भवनों में चल रहे हैं। अस्थायी भवनों में 363 चल रहे हैं। अब तक 330 को भूमि आबंटन हो चुकी है। 230 निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 70 तो अगले एक महीने के अन्दर कालेज की बिल्डिंग कालेज प्रशासन को पी.डब्ल्यू.डी. तथा अन्य निर्माण एजेंसियों से मिल जायेगी। 100 के निर्माण की जो इस बार घोषणा हुई थी, वह भी यथा शीघ्र शुरू हो जायेंगे।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आचार्यों के लिए कहा है कि आचार्य नहीं हैं। मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि टोटल 7,792 हमारे पास सैंक्शंड पद हैं, उनमें से 4,814 पर वर्किंग है और 2,978 वेकेंट हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): भर्ती कितने कर दिये अभी तक?

श्री सभापति: आप सुनिए तो सही।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): भर्ती के लिए भी सुन लो। उनमें से सह आचार्य, 1,913 के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): विज्ञप्ति जारी करते रहो।

श्री सभापति: देखिए, जब मंत्री जवाब दे रहे हैं तो बीच-बीच में बोलने की परम्परा नहीं रही है। यह गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जब तक भर्तियां हो रही हैं तब तक विद्या सम्बल के तहत लगाने का काम सुचारु रूप से चल रहा है। इसके सिवा जो बार-बार आप लोग तकलीफ मान रहे हैं, आप अपने पिछले 5 साल देख लो तो समझ में आ जायेगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): पेपर आउट करने का कितना पैसा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज। सुनिए, हाउस की यह परम्परा नहीं रही है। ऐसा मत बोलो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): लाइब्रेरियन के कुल 247 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। जल्दी ही विज्ञप्ति आ जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि खाली सपने दिखाकर के या दूसरी बातें करने की बजाय अच्छा होता कि माननीय सदस्य कागज पर सारी चीजें देखते।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विचारार्थ क्या? मंत्री का जवाब आ गया। अब तो जो आपने प्रस्ताव रखा उसी पर मत लिया जायेगा।

प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 45, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 45 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र यादव, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक, 2023 पारित किया गया।

नाउ वी टेक अप राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023, श्री बुलाकी दास जी कल्ला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: इस पर लिस्ट दे दी आपने बोलने वालों की? दे दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह सामान्य बहस नहीं है जिसके अन्दर आप सचेतक महोदय को कहें।

श्री सभापति: मैं वही बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): थर्ड रीडिंग में ये बोलें तो बोलें। इनका अधिकार नहीं है।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वही बोल रहे हैं।

श्री सभापति: वही बोलेंगे। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया।

राजस्थान राज्य में, जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना और उससे संशक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने माननीय मंत्री जी को भी सुना, जो गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज इंस्टीट्यूट के विधेयक को पारित करते समय बोल रहे थे। माननीय सभापति महोदय, सरकार से सम्पूर्ण राज्य के उच्च शिक्षा के हित धारकों का भला करने की अपेक्षा की जाती है, न कि किसी क्षेत्र विशेष की।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी, स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख और महत्वपूर्ण डिग्री देने वाले उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इतने सारे नाम आपको बताये हैं। मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्षों में, चाहे वह बजट घोषणा हो, चाहे और कोई घोषणा हो, यदि मैं देखती हूं तो मैं पाती हूं कि बजट भाषण के केन्द्र में निजी

(श्रीमती अनिता भदेल)

सहयोग से 400 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ नई फिनटेक यूनिवर्सिटी को भी जोधपुर में ही स्थापित करने की घोषणा की और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की घोषणा की, तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह मुख्य मंत्री जी सिर्फ जोधपुर के मुख्य मंत्री जी हैं या पूरे राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। इतने सारे इंस्टीट्यूटस पहले से ही जोधपुर में चल रहे है और फिर यह डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आप जोधपुर ले जाने की बात करते हैं तो आप पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते हैं, पूरे प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय करते हैं और आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए यह प्रदेश आपको माफ करने वाला नहीं है।

चूंकि यह डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश की डिजिटल शिक्षा पर इस राज्य सरकार ने क्या खर्चा किया है। हम सब जानते हैं कि कोविड के समय डिजिटल एजुकेशन का महत्व बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ और आश्चर्य के साथ बताना चाहूंगी कि कम्प्यूटराइजेशन और तत्सम्बन्धी संचार व्यवस्था हेतु जो पिछले सालों के बजट हैं उन पर मात्र साढ़े पांच लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रति महाविद्यालय केवल डेढ़ हजार रुपये से भी कम। यह डिजिटल एजुकेशन पर राज्य सरकार का खर्चा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप बता रहे हैं, मंत्री महोदय, आपने कहा कि सरकार बहुत चिंतित है और इतनी चिंतित है कि 791 प्रयोगशालाओं में से सहायकों के 427 से अधिक पद रिक्त हैं। वर्ष 2021-22 हेतु प्रयोगशाला व्यय पर बजटीय प्रावधान मात्र 41 लाख रुपये किया गया। 372 महाविद्यालयों में से विज्ञान और भूगोल जैसे प्रायोगिक विषयों पर प्रति महाविद्यालय सिर्फ और सिर्फ खर्चा आपने किया है, लाखों में नहीं, हजार में, सिर्फ 11 हजार रुपये, इतने पैसे से न तो रसायन शास्त्र, न प्राणी शास्त्र और न वनस्पति शास्त्र, किसी की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए जो हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को जो बट्टा लगाया है इस सरकार ने, तो छात्र आपको किसी कीमत पर माफ नहीं करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आप इसको ठीक कर लो और नहीं तो फिर जनता आपको ठीक कर देगी अच्छे से। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जनता तो ठीक कर ही सकती है, जनता

(श्रीमती अनिता भदेल)

को अधिकार है क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं ढूंढकर यह कापी लाई हूं, मैंने थोड़ी मेहनत की है। यह 2018 का बिलकुल आपका ही, सोनियाजी, मनमोहनजी और राहुल गांधीजी हैं, हाथ का चिह्न है, जन घोषणा पत्र है, इसको जन घोषणा पत्र कहा गया और जन घोषणा पत्र को सरकार का दस्तावेज भी बनाया गया। आप देखिए, इसके बिन्दु संख्या 21 में लिखा है, प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण बनाएंगे और उनकी अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करेंगे। माननीय मंत्रीजी, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करेंगे। अब आपने इन पांच सालों में किया क्या है जो आपको दिखाना बहुत जरूरी है।

(समय: 14.54 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं कालेजों के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूंगी। अभी माननीय मंत्री महोदय ने बिल पास कराते समय कहा कि हमने भर्ती का प्रोसेस किया है, हमने यह किया है, हमने वो किया है, पर मैं दो-तीन ही उदाहरण दूंगी, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगी। राजकीय महाविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। 490, जो कुल प्रदेश में महाविद्यालय हैं उनमें से 445 सामान्य शिक्षा के, 16 विधि शिक्षा के और 29 कृषि शिक्षा के हैं, तो राजकीय महाविद्यालयों में, जो इतने महाविद्यालय हैं उनमें से 9,060 पद स्वीकृत हैं, 9,060 पदों में से माननीय मंत्री महोदय 4,017 पद, यानी 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसी रिक्ति के समय हम कैसे हायर एजुकेशन की गुण्वत्ता की बात कर सकते हैं? अभी माननीय मंत्री महोदय ने अच्छा कहा कि हमने जो पी.जी. महाविद्यालयों को यू.जी. कर दिया, हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए, पी.जी. महाविद्यालयों को यू.जी. करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह आदेश कागज पर होता है, पेन से होता है, उस आदेश को निकालने में कोई पैसा नहीं लगता, उसमें प्रक्रिया नहीं लगती है, सिर्फ फाइल ऊपर पुट अप होती है और वैट हो जाता है, लेकिन उसके संसाधन के लिए शिक्षक चाहिए होते हैं, इन शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद तो रिक्त पड़े हैं। ये आप कहां से लाएंगे? इसमें समय लगता है। पांच साल आपने गंवा दिये लेकिन आपने इनकी भर्ती नहीं की। और तो और, माननीय मंत्रीजी, आपने अभी पुस्तकालयाध्यक्षों की बात की, मैं इस बात को वापस दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन कोई भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से तब चल सकता है जब उसका एक हैड हो। यहां पर प्रधानाचार्य हैं, आचार्य नियुक्त होने चाहिए, वे नहीं हैं। आपके हैड आफ डिपार्टमेंट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जूनियर लोग महाविद्यालय को चला रहे हैं तो वे किस गुणवत्ता से चलाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। आप शिक्षाविद् हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, विश्वविद्यालयों की मैं बात करती हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय पर ही यह बिल है। विश्वविद्यालयों को राज्य पोषित विश्वविद्यालय कहते हैं। क्या यह सच है कि राज्य पोषित ये विश्वविद्यालय हैं तो तीन-चार सालों का यदि हम देखते हैं जो आपकी सरकार के रहे हैं, विश्वविद्यालयों का लेखा खुला रखने के लिए सिर्फ आपने उनको राज्य पोषित नहीं किया, मात्र एक हजार और दो हजार रुपये, आपने उनकी सहायता राशि, वित्त पोषित करने की कोशिश की है, एक हजार रुपये और दो हजार रुपये। आपको यह आंकड़ा कहीं ढूंढना पड़े तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, आपके पांच साल के प्रगति प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है।

राजीव गांधी स्कालरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, अच्छी योजना थी, हायर एजुकेशन के लिए थी, पर माननीय सभापति महोदय, आम आदमी का कहां भला हुआ है? आम आदमी का तो कहीं भला ही नहीं हुआ। आपके लोगों ने ही, आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों ने ही इसका लाभ उठा लिया। 244 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों का चयन हुआ है, बजट के अतिरिक्त, तो यदि ब्यूरोक्रेसी चाहेगी तो बजट अतिरिक्त भी खर्च कर देगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहेगी तो बजट पूरा का पूरा आप खर्च ही नहीं कर पाएंगे तो यह स्थिति सरकारों की ठीक नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है जनता के प्रति। हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम और आप चुनकर आते हैं। इसलिए इसको दिखाइएगा जरा, तो आपको पता पड़े कि प्रदेश में क्या चल रहा है?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि महाविद्यालयों की बहुत अच्छी बात हुई। सोसाइटी के माध्यम से मैं, माननीय मंत्रीजी, आपको बता रही हूं, मैं स्वीकार कर रही हूं कि हमारी सरकार के समय में भी जो इंजीनियरिंग कालेज खुले थे, उनको सोसाइटी के माध्यम से चलाने का हमने प्रयोग किया था, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

रहा। आपने उसी प्रयोग को दोहरा दिया। सोसाइटी के माध्यम से कोई महाविद्यालय चल ही नहीं सकता है। आपने यह नकल की है, गलत की है। हम तो खुद रोकने वाले थे। हमारी सरकार वापस रिपीट होती तो हम रोकते, लेकिन आपने इसको सब महाविद्यालयों में नकल करके किया है। जो सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय हैं उनमें भी आपने लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे। जब गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे तो उन बच्चों का क्या लेवल होगा? उन बच्चों का लेवल यदि ठीक नहीं होगा तो कोई उनको नौकरी देने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी कालेज में पढ़े हुए कितने बच्चों को नौकरी मिल रही है, यह आप देखिएगा, या कितनों को काम-धंधा मिल रहा है, स्वयं वे कितना कमा पा रहे हैं? बेरोजगारों की फौज हम तैयार कर रहे हैं इस तरह से कालेज खोल-खोलकर। यदि इन कालेजों की बजाय कोई टेक्निकल खोलते हैं, स्किल यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो समझ में भी आता है, परन्तु आपने ये कालेज इतने सारे खोले। सिर्फ पाठ्यक्रम और शिक्षा के नाम पर प्रश्नों के उत्तर देना ही शिक्षा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपने, जो कालेज सोसाइटी के अन्दर खोले हैं, यह सारी सोसाइटी आप बंद कीजिए, गवर्नमेंट के अंडर में खोलिए। गवर्नमेंट उसको वित्त पोषित करे, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करे, तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी भला होगा और सरकार की जो गुड गवर्नेंस की जो बात कहते हैं वह गुड गवर्नेंस भी सरकार ठीक प्रकार से कर पाएगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सोसाइटी के अन्दर खोले गये कालेजों को बंद करिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने कोंटेक्ट बेसिस पर शिक्षकों को लेने की बात की है तो कोंटेक्ट बेसिस पर शिक्षकों को लेने से कोई भला होने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मल्टी डिसिप्लीनरी उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करती है। इसका मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट्स और उनको करके, लेकिन हमने ऐसा एक भी कालेज, एक भी यूनिवर्सिटी, हम दो यूनिवर्सिटी के बिल आज लेकर आये हैं, जिस यूनिवर्सिटी की बात करें, उससे पहले हमने जो बिल पास किया, उसमें भी इसका कोई प्रोविजन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करते हैं तो केन्द्र की फंडिंग को प्रदेश के हित में कैसे ला पाएंगे? कैसे प्रदेश के बच्चों का हित कर पाएंगे? इसलिए यह आपको बहुत जरूरी करना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा-सा सुझाव है कि दो-चार कमरों में कोई कालेज नहीं चलने वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि एट लीस्ट, कम से कम तीन हजार स्टूडेंट्स होने चाहिए कालेज में, जबकि हमारे यहां कालेजों में स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने उसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत लम्बा हो जाएगा, यदि मैं इसका उल्लेख करूंगी तो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने कालेज तो खोल दिये, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की संख्या कैसे

(समय: 15.00 बजे)

कम हो गई? यदि हमने कालेज खोले हैं तो स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिये। मैं एक आंकड़ा बताती हूं। सामाजिक और आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र 48,915 के स्थान पर 44,345 हैं। छात्राएं, 59,948 की तुलना में 58,745, अनुसूचित जाति के छात्र 57,230 की तुलना में 54,075, अनुसूचित जनजाति के छात्र 33,248 के स्थान पर 30,873, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 1,03,997 के स्थान पर 1,01,287, यह हमारे कालेजों का नामांकन है। पांच साल पहले जो नामांकन था, पांच साल बाद भी वही नामांकन है। यदि अधिक कालेज खोले तो नामांकन अधिक होना चाहिये, लेकिन बच्चों का नामांकन क्यों नहीं बढ़ रहा है? यह हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है कि अधिक संख्या में कालेज खोलने के बावजूद भी हमारा नामांकन कम, कम, कम, कम क्यों हुआ है?

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त सिर्फ दो विषय और कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। विश्वविद्यालय मात्र परीक्षाएं आयोजित कराने का उपक्रम नहीं है कि सिर्फ उन्हें परीक्षाएं आयोजित करानी हैं। जितने कालेज हैं उन्हें सम्मन करके वे परीक्षा का शिड्यूल बना दें, पाठ्यक्रम तय कर दें, यह काम विश्वविद्यालय का नहीं है। विश्वविद्यालय का काम डिग्री बांटने का भी नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में जो भी काम होने चाहिए, वे नवाचार से सम्बन्धित होने चाहिए। बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, वह उनमें दिखाई देना चाहिए। शोध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने जैसी नयी बात किसी यूनिवर्सिटी ने पांच सालों में नहीं की है। यदि यह यूनिवर्सिटी शोध के काम करती या राष्ट्रीय लेवल पर जो संस्थान बनने चाहिये, उनके लिए कोशिश करती तो शायद बच्चों का भला हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके पिछले पांच सालों के प्रतिवेदन मैंने देखे। नया काम कुछ भी नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है "इन्दिरा रसोई खोलने की भावी योजना"। इन्दिरा रसोइयां तो हम फुटकर चौराहों पर ही खोल रहे हैं। इसे प्रतिवेदन में लिखने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। इसे आपको ठीक करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त चाहे मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात करूं, चाहे मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करूं, चाहे और कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करूं, आप देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयुपर, मैं उसकी बात करती हूं। शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं 1,016 और खाली हैं 559, अशैक्षणिक पद स्वीकृत हैं 1,780 और खाली हैं 1,019, कितना गम्भीर मामला है? राजस्थान यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। कैसे पूरा होगा? जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर में 482 पदों के अगेंस्ट 278 पद, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में 258 पदों के अगेंस्ट 83 पद, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, जहां से मैं आती हूं, मात्र 48 पद। यूनिवर्सिटी है। मात्र 48 पद आफिशियल रूप से उसमें सैंक्शंड हैं। उन 48 पदों में से 34 पोस्टें खाली हैं। 10 या 12 ही शिक्षक हैं वहां। ऐसी स्थिति में वह यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? सभापति महोदय, बाकी की यूनिवर्सिटीज का भी यही हाल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस चीज को ठीक किया जाए। नयी यूनिवर्सिटीज खोलने की बजाय पुरानी चल रही यूनिवर्सिटीज में यदि हम शैक्षणिक पदों की भर्ती कर दें, मंत्रालयिक कर्मचारियों की करें न करें, लेकिन शैक्षणिक पदों की भर्ती कर दें तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ न्याय कर पाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं खतम कर रही हूं। बस एक्दो पाइंट।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं लास्ट पाइंट बोल देती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या। चार मिनट आपको दिये गये थे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं लास्ट पाइंट बोलकर खतम कर रही हूं। यह मेरे पास कागज है, लेकिन मैं लास्ट पाइंट बोलकर खतम कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि हम हायर एजुकेशन में अन्तरराष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। हम उस लेवल पर तो पता नहीं कब जाएंगे, पर यदि हम नेशनल लेवल, नेशनल रैंकिंग में ही फिट बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि हम काम कर पाएंगे।

मैं आपका ध्यान इस ओर इंगित करती हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारतीय शिक्षण संस्थानों में 2021 की रैंकिंग में राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में राज्य की उच्च शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है। क्यों प्रश्न चिह्न है?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री मदन दिलावर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक को यहां पास करने के लिए लाया गया है। उद्देश्य इन्होंने बड़ा रखा है। "विभिन्न विषयों में डिग्रियां प्रदान करने की दृष्टि से और फिनटेक में नवीन ज्ञान विकसित करने और फिनटेक उद्योग के लिए वैश्विक मानकों की कुशल जन शक्ति उपलब्ध कराने के लिए, राज्य में लोक-निजी भागीदारी रीति के अधीन विश्वविद्यालय की प्रास्थिति रखने वाले और भावी महत्ता की संस्था के रूप में उद्योग भागीदारों के सहयोग से एक स्वायत्त, डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर अधिगम केन्द्र की स्थापना और निगमन किया जाना समीचीन है।" उद्देश्य तो अच्छा है, पर यदि ये आज इसे पारित कर भी देते हैं तो क्या इससे लाभ होने वाला है? पहले हमें देखना पड़ेगा, क्या हमने जो पहले संस्थान खोले थे और जिन उद्देश्यों को लेकर खोले थे, क्या वे उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं? हमने जो मानक तय किये थे, जो प्रोफेसर्स, लैक्चरर्स, टीचर्स, अन्य कर्मचारी, अन्य सुविधाएं जो तय की थीं, क्या हम उन्हें दे पाये हैं? यदि नहीं दे पाये हैं तो फिर इनको क्यों खोल रहे हैं? पहले उनकी पूर्ति कर लेनी चाहिये थी। गुणात्मक दृष्टि से उन्हें ठीक करके फिर यह कदम बढ़ाते तो अच्छा रहता। अब यह डिजिटल है। जरूरत तो है। आवश्यकता है, लेकिन यदि हम सोचें कि केवल असत्य वाहवाही लूटने के

(श्री मदन दिलावर)

लिए हम इसे पास करवा रहे हैं या वास्तव में हम राजस्थान की जनता को इसका लाभ देना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं कि राजस्थान की जनता को लाभ देना चाहते हैं।

मुझे इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे कालेज खोलने के बाद वहां पर न तो बिल्डिंग्स हैं, न कर्मचारी हैं, न फैकल्टीज हैं, न अन्य लैबोरेटरीज वगैरह हैं। जब उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उद्देश्य के अनुसार रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं तो फिर इनको क्यों खोल रहे हैं? क्या केवल संख्या दिखाने के लिए? क्या जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हम इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं? जोर-जोर से हल्ला करेंगे कि हमने इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने कालेज खोल दिये हैं। क्या होने वाला है? क्या संख्या से शिक्षा मिल जायेगी? क्या खाली जगह से शिक्षा मिल जायेगी? क्या केवल आर्डर पर हमें शिक्षा मिल जायेगी, बच्चे पढ़ जाएंगे? नहीं पढ़ेंगे। आपने जो पहला उद्देश्य लिखा है, वह मुझे समझ आ रहा है कि डिग्रियां बांटने के लिए हम इसे खोल रहे हैं।

मुझे जानकारी है, कई लोग डिग्रियां बांटने का धंधा कर रहे हैं। शायद उनसे आपका कुछ कान्टैक्ट हो गया दिखता है कि हमारे यहां से फर्जी डिग्री ले जाना और बांटना और बहुत सारे लोग बाहर से यहां आकर राजस्थान में नौकरियां पा रहे हैं। यही उद्देश्य है तो फिर जनता को बेवकूफ मत बनाइये। यदि यह उद्देश्य नहीं है और जो आपने लिखा है, वही उद्देश्य है तो फिर आपने बजट में जो प्रावधान किया है, क्या वह पर्याप्त है? बजट में टोकन प्रावधान करने से कोई अन्तर आने वाला नहीं है। पर्याप्त राशि का प्रावधान करना चाहिये था, जो कि नहीं किया। नहीं किया तो क्यों खोल रहे हैं? कौन-सी जल्दबाजी है? एक साल, दो साल बाद हो जायेगा तो क्या अन्तर आयेगा? क्या पहाड़ टूट जायेगा या आप जल्दी खोल देंगे तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे राजस्थान के विद्यार्थी? राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में मत करिए। उनके साथ ज्यादती मत करिए। उनके साथ अन्याय मत करिए। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसे छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल (अनुपस्थित), श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, मेरी सरकार से विनती है, सरकार घोषणाएं कर रही है और घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा चाणक्य के नाम से कौटिल्य भवन बनाया। विश्वविद्यालय खोलने के लिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कौटिल्य भवन को 7 लाख रुपये के किराये पर लिया। अगर सरकार के पास पैसा है तो सरकार भवन बनाकर उसमें क्यों नहीं शिफ्ट करती? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 7 लाख रुपये में भवन किराये पर लिया और उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे दर-दर की ठोकरें पुरानी बिल्डिंग में खा रहे हैं। उनको वहां से निकाल दिया है। अभी जो विश्वविद्यालय आप खोल रहे हैं, यह उसकी दशा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार घोषणा करती है, गहलोत साहब घोषणा करते हैं। दुनिया भर की घोषणाएं। मुझे किसी ने बताया था कि एक पिताजी मर रहे थे। उन्होंने बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाकर कहा कि बेटा ऐसा करना दो लाख रुपये वहां दे देना, धर्मशाला में देना, स्कूल में देना। बेटों ने कहा पैसा कहां है। पैसे होंगे तब देंगे, अभी तो घोषणा कर दो, मैं जा रहा हूं। इस सरकार की ऐसी स्थिति हो गई है। सरकार के पास पैसा नहीं है।

अभी माननीय सदस्य ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। वहां की स्थिति यह है कि दो भवन किराये पर ले रखे हैं। वहां वी.सी. की योग्यता नहीं है। वी.सी. की स्थिति यह है कि ऐसा वी.सी. बनाओ, जैसे कोई उद्योगपति है, उद्योग का काम कर रहा है, अच्छा धन्धा कर रहा है, उसे वी.सी. बनाओ। जो अच्छी खेती कर रहा है, उसको एग्रीकल्चर का वी.सी. बनाओ। ये क्या नियम-कानून आप ला रहे हैं?

आपके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा है, शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। मैं हमारे कमिश्नर आफिस में गया। कमिश्नर आफिस में ई-मित्र के राजस्थान के सारे 90 परसेंट असेट आपने खरीद लिये, वे सब इक्विपमेंट पड़े हैं। मैं कांग्रेस के विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाकर देखें कि पंचायतों में उनकी क्या हालत है। ई-मित्र इक्विपमेंट खराब पड़े हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के पास साधन हैं तो निश्चित रूप से खोलें, बहुत अच्छा काम है। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। उनके नाम से खोलें, यह भी अच्छा काम है, परन्तु आपके

(श्री धर्मनारायण जोशी)

पास साधन नहीं हैं और साधन नहीं होने के उपरान्त भी सरकार रोज घोषणाएं...। पहले भर्ती करें। विश्वविद्यालय में अध्यापक नहीं हैं। विश्वविद्यालय में वी.सी. किसको बनाएं, कोई फार्मूला नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अभी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 पर विचार शुरू हुआ है। इसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य वैश्विक मानकों की कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने हेतु यह विश्वविद्यालय संस्थान बनाया जा रहा है। वैश्विक मानकों की जो कुशल जनशक्ति है और इसके जो मापदण्ड हैं कि वहां की शिक्षा कैसी है, वहां की एम्प्लायेबिलिटी कैसी है, वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां रिसर्च कितना होगा, इसके लिए सेन्टर फार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बना हुआ है। उसमें राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय पहले 1,500 विश्वविद्यालयों में नहीं है। नेशनल सर्वे जो होता है, उसमें पहले 50 यूनिवर्सिटीज में राजस्थान का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। कारण, वहां केवल संस्थान तो हैं लेकिन संसाधन नहीं हैं।

आज भी राजस्थान को आवश्यकता संस्थानों की नहीं है, संसाधनों की है। जब तक संसाधन नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं बाकी रिपीट नहीं करूंगा। हमारी अजमेर की विधायक कह रही थीं कि जो यूनिवर्सिटी खोलो, या तो जोधपुर या जयपुर। अजमेर ने आपका क्या कसूर किया है? अजमेर ने कौन-सी गाय मारी है? जब भी कोई नया विश्वविद्यालय खुलेगा तो या तो जोधपुर में खुलेगा या जयपुर में खुलेगा। भाई, अजमेर में केवल तीन विश्वविद्यालय हैं। आखिर विश्वविद्यालय सभी सम्भाग केन्द्रों पर बराबर होने चाहिए। यह पी.पी.पी. पार्टनरशिप का अजमेर में भी खुल सकता था, लेकिन अजमेर के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं मांग करूंगा कि आप सौतेला व्यवहार नहीं करें। क्यों, वहां से बी.जे.पी. के लोग जीतते हैं, इसलिए वहां पर कोई विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। अजमेर के विद्यार्थी तो सबके हैं। आप मुख्य मंत्री भी राजस्थान के हो, केवल एक-दो स्थानों के नहीं हो। इसलिए मैं आपके

(श्री वासुदेव देवनानी)

माध्यम से मांग करता हूं कि अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार करना बन्द करो।

यदि मैं आगे यूनिवर्सिटी की बात करूं तो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं, वहां न तो चेयरपर्सन की नियुक्ति का कोई मुद्दा है। जिस प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटियां लोगों के साथ धोखा कर रही हैं, मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि खेजरोली, जयपुर में कालेज प्रबन्धन और राजस्थान यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में गठित चयन समिति ने प्राचार्य के पद के इंटरव्यू लिए। उनसे कहा कि तुम्हें 45 हजार रुपये देंगे, हाथ में थमाये 10 हजार। आज भी उनके 8 लाख रुपये बाकी हैं। किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण दूं। आपके प्रताप नगर, जयपुर के कालेज ने व्याख्याता पद का साक्षात्कार लिया। उस व्यक्ति के फर्जी साइन करके, उसको वहां पर दिखा दिया कि वह वहां पर नौकरी कर रहा है। उसने खुद ने कहा है कि मैं नौकरी दूसरी जगह कर रहा हूं। मैं वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान विद्यापीठ, शाहपुरा में कार्यरत हूं। इस तरह के फर्जी मामले आपके ध्यान में आये। कहीं तो निजी कालेजों की जांच सम्बन्धी कमेटी बनी हुई है। यानी, किस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसको पहले रोकिए। आप प्राइवेट यूनिर्वसिटी खोलते जाओगे, पी.पी.पी. मोड पर खोलते जाओगे। चेयरपर्सन किस प्रकार का होगा? किस प्रकार की फैकल्टी होगी? किस प्रकार की वहां सुविधाएं होंगी? वहां पर इसका कोई प्रबन्धन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि बेरोजगारों की फौज क्यों बढ़ा रहे हो? जरा, गुणवत्ता वाली शिक्षा दो, ताकि व्यक्ति वहां से निकलने के बाद कहीं नौकरी तो कर सके। ये अभी कह रहे थे कि जयपुर में 13 कालेज हैं, पर भवन एक के ही पास है। आज 87 परसेंट कालेजों के अन्दर प्रिंसिपल नहीं हैं। नोडल प्राचार्य के पास चार-चार कालेज हैं। कहीं तो एक कमरे में चल रहा है, कहीं स्कूल में चल रहा है। जरा संसाधन जुटाओ, हम विस्तार, यूनिवर्सिटी बनाने के विरोधी नहीं हैं, यूनिवर्सिटी का विस्तार होना चाहिए।

आज देश भर में भी डेढ़ हजार विश्वविद्यालय चाहिये। अभी एक हजार ही हैं, और विश्वविद्यालय खुलने चाहिए लेकिन उसके लिए आप संसाधन भी जुटाइए, कहीं गुणवत्ता नहीं है। प्रोफेसर भी कहीं है, पढ़ा कहीं और रहा है। मैं एक बात कहते हुए संस्कृत संस्थान की बात करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज स्टूडेंट 6,600 हैं और शिक्षक केवल 71 हैं। 93 विद्यार्थियों पर केवल एक शिक्षक है। वही प्राचार्य बना हुआ है। वही सारे काम कर रहा है। यह हालत 31 में से 26 की है। अब आपने नये 16 की घोषणा कर दी।

श्री सभापति: श्री अविनाश। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कैसे होगा? आज उच्च शिक्षा के बिलकुल बुरे हाल हैं। इसलिए प्राइवेट में तो क्या, आपके जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जरा उनको सुधारो, नहीं तो आपको दूसरों को कहने का कोई हक नहीं है। इसलिए राजस्थान की शिक्षा को शर्मसार मत करो।

अब नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार के संस्थान बनने चाहिए, उस प्रकार के संस्थान की व्यवस्था करो। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है, केवल इसलिए राजस्थान में कुछ नहीं करेंगे? विद्यार्थियों के साथ अन्याय मत करो। काम करें, लिस्ट में हैं। मैं समझता हूं कि नई एजुकेशन नीति के तहत राजस्थान के अन्दर भी उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएं, ताकि केन्द्र से सहायता मिल सके, हमारे राजस्थान के विद्यार्थी अच्छी गुणवता प्राप्त करके अपना नाम विश्व में रोशन कर सकें। राजस्थान का भी नाम रोशन करें, भारत का भी नाम रोशन करें। यह जो डिजिटल है, आज की आवश्यकता भी है। डिजिटल में अच्छे प्रोफेसर नियुक्त हों, वहां पर अच्छी सुविधा हों, अच्छे उपकरण हों, अच्छे संसाधन हों, तब जाकर होगा। नहीं तो केवल आप राजीव गांधी का केवल नाम करेंगे, लेकिन राजीव गांधी के साथ भी न्याय नहीं होगा, न जनता के साथ न्याय होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को अभी जल्दबाजी में पास न करके तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन को पढ़ रहा था। इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये की लागत से जोधपुर में फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण की बजट घोषणा 47 की है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनों के पश्चात् प्रस्तावित फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय के नाम 672.45 करोड़ रुपये के समग्र बजट लागत के साथ जोधपुर में स्थापित किये जाने वाले राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा है। इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये है। आज जब 2023-24 का अन्तिम बजट सत्र चल रहा है और मुश्किल से तीन से चार महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, इस संस्थान का 400 करोड़ से बढ़ाकर 672 करोड़ रुपये का बजट आपने घोषित किया। इस 672 करोड़ में से यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सेवाओं सहित भवन संनिर्माण और आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए अनुमानित अनावृत्ति व्यय 622.45 करोड़ रुपये और इसके अतिरिक्त परिचालन के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 2022-23 से 2024-25 तक आवृत्ति व्यय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है और जिसमें समय के साथ वृद्धि भी हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् पहले इस विश्वविद्यालय का फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय और उसके बाद में आपने आज बिल पेश कर उसका नाम रख दिया राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय। मैं पूछना चाहूंगा कि यह सक्षम प्राधिकारी कौन है? +++

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ये सब।

श्री अविनाश (जैतारण): पहले यह नहीं था और, माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे विषय आये जब गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर खूब सारे आपने विश्वविद्यालय खोले। हम विश्वविद्यालय खोलने के विरोध में नहीं हैं। विश्वविद्यालय खुलें, लेकिन अभी ये ठीक बता रहे थे कि इस राजस्थान में ऐसे और बहुत से जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं शिक्षा की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। अगर इस प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने ही हों, घोषणा ही करनी हो तो यह क्या पाली के अन्दर नहीं हो सकता था? क्या जो नया ब्यावर जिला आपने बनाया उसके अन्दर नहीं हो सकता था? वहां जो जिस प्रकार का वातावरण है शिक्षा की दृष्टि से, अगर वहां यह खुलता तो मैं समझता हूं कि उसकी उपयोगिता भी ज्यादा होती, क्योंकि पहले से जोधपुर के

(श्री अविनाश)

अन्दर बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह सोचना है कि इस विश्वविद्यालय को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चालीसा करना है। चाहे मोतीलाल जी नेहरू से लेकर जवाहर लाल नेहरू जी का हो, चाहे इन्दिरा गांधी जी का हो, चाहे राजीव गांधी जी का हो, गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर विश्वविद्यालय हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम रख कर हो। क्या इस देश में गांधी-नेहरू परिवार के अलावा और कोई महापुरुष नहीं हुए थे, जिनके नाम पर इस प्रकार के संस्थान का नाम रख सकें? क्या स्वामी विवेकानन्द जी ने इस देश का नाम नहीं किया था? क्या इनके अलावा सरदार पटेल साहब नहीं थे? आपने लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जो राजीव गांधी, जवाहर लाल नेहरू जी के नाम पर हैं, लेकिन फिर भी आपको चूंकि गांधी-नेहरू परिवार की चापलूसी करनी थी, इसलिये यह रखा।

मैं तो यह समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि अभी जो जोधपुर के यूनिवर्सिटी कैम्पस में कल की जो घटना हुई, वह मैं समझता हूं कि वह जितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीति के कारण और प्रशासन की गलती के कारण एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन का नाम लेकर जिस प्रकार से बदनाम किया गया, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खुद ए.बी.वी.पी. छात्र संगठन ने इसका विरोध किया था और उन्होंने मांग की थी कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा सुनाएं, उसको फांसी के फन्दे तक पहुंचाएं, लेकिन आज उस बात में सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए आज आपके छात्र संगठन एन.एस.यू.आई. ने विरोध प्रदर्शन करने का एक असत्य काम किया है।

मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी के अन्दर कितने प्राचार्य के पद खाली है, कितने प्राफेसर के पद खाली हैं, क्या हम इस प्रकार के इंस्टीट्यूट खोलें उससे पहले...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): बस एक मिनट।

उससे पहले क्या हम यह नहीं सोच सकते कि राजस्थान के अधिकांश

(श्री अविनाश)

विश्वविद्यालयों में जहां कमरे नहीं हैं, जहां हॉल नहीं हैं, भवन नहीं हैं, आधारभूत संरचना नहीं हैं और उसके साथ में पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं हैं तो क्या हम उसकी पूर्ति करने के बाद इस प्रकार के अगर ये इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा?

मैं समझता हूं कि जो पिछले पांच सालों में घोषणा हुई है उसी घोषणा के क्रम को जारी रखते हुए आपने इस विश्वविद्यालय को जोधपुर में खोलने का प्रयास किया। मैं मांग करता हूं कि सरकार इसको जनता के बीच में रखे, 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करे और जनता की भावना के अनुसार दुबारा इसको लेकर आए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, पूरे सदन की चिन्ता एक जैसी है कि हम संख्या बढ़ाने के लिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए, नम्बर्स बढ़ाने के लिए लगातार नये इंस्टीट्यूट्स खोलते जाएं, महाविद्यालय खोलते जाएं, विश्वविद्यालय खोलते जाएं, पब्लिक पार्टनरशिप में खोलते जाएं, निजी खोलते जाएं, यह संख्या तो बहुत बढ़ गयी, लेकिन हमारी क्वालिटी आफ एजुकेशन बहुत गिरती जा रही है। उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। उसके लिए संसाधन पैदा करने चाहिये। वह सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी के प्रति सरकार का और सदन का कतई ध्यान नहीं है। सारा सदन इस बात के लिए आपके माध्यम से सरकार को, मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता है कि इस जायज चिन्ता को समझा जाए। हम वित्तीय क्षेत्र, प्रौद्योगिकी उन्नति और नवाचार के महत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या इस तरह की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की वास्तव में जरूरत है, इस बात की आवश्यकता पर पूरी चर्चा और रिसर्च होनी चाहिये।

सरकार को मौजूदा शिक्षण संस्थानों को समृद्ध करने के लिए संसाधनों का आबंटन और समर्थन को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं विशेष क्षेत्र के कार्यक्रम पेश करने की क्षमता में सुधार कर सकें। नये संस्थान की स्थापना भी हो जाए, उस ओर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिये। यह बिल बताता है कि संस्थान राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा, जो सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड पर संचालित होगा। इंडस्ट्री के साझेदारों के साथ मिलकर कार्य करने की तरफ यह ले जाता है तो कदाचार रोकने एवं संस्थान की स्वायत्तता और

(श्री बिहारीलाल)

शैक्षणिक अर्हता पर किसी भी निजी सदस्य के अनुचित प्रभाव को रोकने के क्या इसमें उचित प्रावधान किये गये हैं, उसकी कमी इसमें नजर आती है।

माननीय सभापति जी, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना से पूर्व व्यापक लागत लाभ विश्लेषण और कार्यान्वयन में अध्ययन की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। इस पर पूरी रिसर्च के साथ इसको लाना चाहिये था। सरकार को संस्थान के वित्तीय स्थायित्व के लिए स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना चाहिये था। साथ ही, राज्य छात्रों के किसी भी सम्भावित वित्तीय बोझ को कम करने के उपाय भी करने चाहिये थे।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रिन्टिंग शिक्षा के क्षेत्र में संशोधन के मापदंड को महत्व देना, शिक्षार्थियों के हितों को प्राथमिकता देना, शैक्षणिक मानकों का पालन करना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना अतिआवश्यक था। इन सारी बातों को जो महत्वपूर्ण थी उस पर रिसर्च करने के बाद इस बिल को लाया जाता और सदन में व्यापक चर्चा के बाद इसको पास किया जाता तो एक सही तरीका था, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए, नम्बर्स बढ़ाने के लिए हम लगातार नये-नये बिल लाकर विश्वविद्यालय के बिल पास करते जाएं और क्वालिटी एजुकेशन को खतम करते जाएं तो यह राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे छात्रों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनिया (अनुपस्थित), श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद सभापति महोदय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ ...। नहीं, सॉरी।

श्री सभापति: राजीव गांधी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, पूर्व बिल में भी हमने यह बात की थी कि इस राजस्थान के शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन जब तक आप नहीं करोगे, तब तक हम जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना के साथ में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, वह नहीं हो पायेगा। हम आनन-फानन में बिल लाते हैं। आनन-फानन में विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। बिना संसाधनों के विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। पूर्व वक्ताओं ने कई आरोप इस तरह के क्षेत्रवाद के भी लगाये, लेकिन इसके पीछे भावना जो है वह हमारे यहां के नौजवानों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर के सभी क्षेत्रों में पारंगत बना करके इस देश में राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करें, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिये।

सभापति महोदय, एक क्षेत्र में अनेक ऐसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, लेकिन धोरों की धरती बीकानेर क्षेत्र के बी.डी. कल्ला साहब विराजमान हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उस डिविजन के अन्दर रतनगढ़ भी आता है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर है। वह भी धोरों की धरती है। उस क्षेत्र के अन्दर भी राजस्थान की सरकार को कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लाने की सोचने की जरूरत होनी चाहिये थी। सही बात है कि जो भी सत्ता के अन्दर मुख्य मंत्री होते हैं वे अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम लेकर के जाते हैं, लेकिन समभाव के साथ में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की बात है जो पूरे क्षेत्र को एक मानते हुए विकास की दृष्टि पर आगे ले जाने की बात है, उसके अन्दर निश्चित रूप से हमें बल मिलेगा।

मैंने इस बिल को पढ़ा। बिल को पढ़ने के बाद में बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर यदि हम विस्तार से बात करें, बिन्दुवार, तो बहुत लम्बा समय लग जायेगा, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर एक चेयरपर्सन की नियुक्ति होगी, निदेशक होगा, कुलसचिव होगा। उनकी कुछ अर्हताएं भी होंगी। पहले वाले बिल में भी यही बात कही गयी थी और इस बिल में भी पुन: यही बात मुझे पढ़ने को मिली है। चेयरपर्सन के अन्दर लिख रखा है कि उद्योग या शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति संस्थान का चेयरपर्सन होगा और वह शासी बोर्ड का भी चेयरपर्सन होगा।

सभापति महोदय, इसके अन्दर उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ नहीं लिख रखा है। मेरे शेखावाटी क्षेत्र के अनेक ऐसे उद्योगपति हैं जो एजुकेशन नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने दुनिया के अन्दर उद्योग जगत में नाम

(श्री अभिनेश महर्षि)

किया। आप कोई भी इंस्टीट्यूट खोलते हैं, आप विश्वविद्यालय खोलते हैं तो उसके अन्दर शिक्षा के मां सरस्वती के मन्दिर में शिक्षाविद् की बात तो समझ में आती है, लेकिन यदि कोई भी विख्यात उद्योगपति, उद्योगपति विख्यात कोई भी हो सकता है, जो बिना पढ़ा-लिखा भी हो सकता है, तो क्या इस बिल के अन्दर शैक्षणिक योग्यताएं, अर्हताएं नहीं लिखनी चाहिये कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यह होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी कमी है। इस कमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिये था। इसके बाद उनकी शक्तियों के बारे में और बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं विनम्रता के साथ राजस्थान सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आपने और हमारी सरकारों ने जो भी इंस्टीट्यूट खोले हैं, वे हमारे नौजवानों को शिक्षा देने के लिए खोले हैं, हमारे नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए खोले हैं। उन नौजवानों के भविष्य को अंधरकारमय बनाने के लिए नहीं खोले हैं। ऐसी स्थिति में आप उन पर रिसर्च कराइए। कौनसे ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय या ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वास्तव में सही रूप से काम करके हमारे नौजवानों का भविष्य संवार रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट, जिनके पास न इन्फ्रास्ट्रक्चर है, न वहां पर कोई फैकल्टीज हैं, न वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कोई अध्यापक हैं, ऐसी जगह पर आप सबसे पहले मेहरबानी करके सबसे पहले वह काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अभी शिक्षा मंत्री जी जब उत्तर दे रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपने नई भर्ती कितनी की? आप कांट्रेक्ट बेसिस पर लोगों को लगाकर उनके भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल वह भी खड़े हो जायेंगे कि आप हमें भी नौकरी दो, उनका भी अधिकार होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नम्बर बढ़ाने के लिए, आप अपनी लिस्ट में एक और गांधी का नाम जोड़ने के लिए सिर्फ महाविद्यालय और इस तरह की बातों को बढ़ावा मत दीजिए। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स पर पूरी तरह से रिसर्च करवाकर आप उनकी पूर्ति कीजिए। चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे फैकल्टीज की बात है, उसके बाद आप इस तरह के बिल लाइए। इसको 6 महीने के लिए परिचालित करने की मैं मांग करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा में आज एक और गांधी, जिन्होंने कभी हमारे देश का नेतृत्व किया, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 पर यह सदन विचार कर रहा है। यह 15वीं विधान सभा का अंतिम सत्र है और हम अंतिम विधान को बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ रहेगी और मैं चाहूंगा कि कम से कम यह परिपाटी आगे नहीं बढ़े। यह सदन सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है, यहां एक-एक बात जो बोली जाती है, राजस्थान की जनता उसको देखती है। परन्तु आज इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा हो और प्रमुख शासन सचिव आफिसर गैलेरी में नहीं हों, मैं समझता हूं कि यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब बहुत कुछ चीजें बदलने वाली हैं।

सभापति महोदय, जब मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ता हूं, सरकार ने दावा किया है कि राजीव गांधी के नाम से स्थापित होने वाली यह फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी एक विश्वस्तरीय संस्था होगी। प्रदेश में फाइनेंस और उससे जुड़े सेक्टर में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकता पूरी करेगी। मंत्री जी, बहुत बड़ेबड़े उद्देश्यों के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है। संस्था भी प्रदेश स्तरीय नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय नहीं, विश्वस्तरीय हो। बड़े केनवास पर बड़े सपने देखने भी चाहिये। इसमें यह भी कहा, प्रदेश के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रूप में उभरेगा। आई.टी. के लिए उच्च स्तरीय वातावरण बनेगा। यह जो राजीव गांधी जी के नाम से संस्थान है, इस विधेयक के बाद यह विश्वविद्यालय का स्वरूप ले लेगा। मंत्री महोदय, आपको बधाई हो, डिग्री बांटने के लिए राजस्थान में एक और कारखाना आप स्थापित कर रहे हो। इसके साथ ही राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में 29 विश्वविद्यालय हो जायेंगे और अकेले जोधपुर में 7 हो जायेंगे। जोधपुर को आप विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थाओं का हब बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसके 4-4 वाइस चांसलर, 4-4 पूर्व कुलपति, जिस विश्वविद्यालय का नेतृत्व उन्होंने किया, वे धरने पर बैठते हैं और यह कहते हैं कि कम से कम हमारे और हमारे कर्मचारियों की पेंशन का प्रबन्ध तो सरकार करे। 'पल्ले नहीं आने और अम्मा चली भुनाने' की तर्ज पर मैं समझता हूं कि आप इस संस्था को लेकर आ रहे हैं। आपने वित्तीय ज्ञापन में स्वयं ने स्वीकार किया। 2021-22, तीन साल पहले आपने बजट पैरा 47 में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

400 करोड़ का इस फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए प्रोविजन किया। फिर आपने नाम बदलकर, मैं इसको पढ़ रहा था, नाम परिवर्तन करने का अधिकार काबीना को है। उसका भी कहीं न कहीं लिख देते कि पूर्व में यह नाम था और हमने इस तारीख को नाम बदलकर राजीव गांधी जी के नाम से किया। अगर यह सदन का आखिरी सत्र नहीं होता और इस संस्था के साथ आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम नहीं जुड़ा होता तो मैं समझता हूं कि सरकार इसको विस्मृत कर गई थी। पहली बार देख रहा हूं, बजटीय घोषणा होती है, उसी बजटीय वर्ष में प्रावधान होता है।

सभापति महोदय, यह सबको मालूम है कि जब विश्वविद्यालय आता है, किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय आए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वह अर्हताएं, आधारभूत संरचनाओं के लिए, मानव संसाधनों के लिए, फैकल्टी के लिए, इन सारी की जांच करने के लिए एक कमेटी बनती है। उसको चाहे सर्च कमेटी कहें या इंस्पेक्शन कमेटी कहें, वह जाकर उन सारी चीजों की जांच करती है और उसके बाद तय करती है कि यह विश्वविद्यालय का स्वरूप लेने लायक है।

मंत्री महोदय, जब आप अपना उत्तर दें तब यह तो जरूर बता दें, आपका निर्माणाधीन है, मुझे मालूम है। यह तो जरूर बताएं कि इसकी कमेटी कब बनी? यह पहला मौका है, किसी विश्वविद्यालय को इनेक्ट करें, सदन में विधेयक आए, सदन का अधिकार है, उससे पहले उस विश्वविद्यालय का आप शिलान्यास कर दो। आपने 13.11.2022 को इसका शिलान्यास किया। चलो, मुख्य मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास के अवसर पर जब सवाल उठा तो आई.टी. के प्रमुख ने वहां पर क्या घोषणा की कि इस विश्वविद्यालय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था का स्वरूप डीम्ड यूनिवर्सिटी का होगा। सभापति महोदय, आपसे बड़ा डेमोक्रेट कोई नहीं है। आपने कई विधान सभाओं को देखा है। बिल आ रहा है, बिल में सरकार संशोधन ला सकती है। यह वही सदन है जिसने गुरुकुल के मामले में बिल वापस लिया। एक नौकरशाह फैसला कर दे, बिल पारित होने से पहले फैसला कर दे कि यह डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। यह सदन का अधिकार है, सरकार करे तो भी सदन के माध्यम से करे। यह नौकरशाहों का बढ़ता हुआ प्रभाव कहां लेकर जायेगा? यह आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन तय करेगी कि कौनसे कोर्स होंगे, क्या स्वरूप होगा। यह विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होगा, डीम्ड होगा, कैम्पस यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन आपने तय करा दिया। आई.टी. के प्रमुख महोदय से कोई सवाल कर ले कि आई.टी. विभाग में अलमारी खोलने पर क्या-क्या मिला? उसका शोध करते कि एक ही जोइंट डाइरेक्टर के पास 2 करोड़ 31 लाख रुपये और एक किलो सोना मिला है, बाकी सब हमने तलाश कर लिया, कुछ नहीं मिला, तो जरा अच्छा रहता। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपका बहुत आदर करता हूं सदन के बाहर, सदन में बिल लाने से पहले कोई घोषणा कर दे, यह मैंने पहली बार देखा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आज हो क्या रहा है? सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है, राजीव गांधी जी के नाम से यह फिनटेक डिजिटल संस्थान का जो बिल आप लाये हैं, वर्तमान में जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कौटिल्य भवन है, जहां कामर्स फैकल्टी के विद्यार्थी पढ़ते थे, अचानक मन आया, उन विद्यार्थियों को तो कहीं जर्जर भवन में शिफ्ट कर दिया और वहां आप विराज गये।

वहां विराजकर आपने क्या किया? आपने कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने का काम चालू कर दिया। वहां पर आपके एक प्रशासनिक अधिकारी कोई जयन्त जी हैं, वे इस विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिपति और सब कुछ हैं। सभापति महोदय, मैं यह सर्टिफिकेट लेकर आया हूं। यह सर्टिफिकेट है 'The Executive Certificate in Fin Tech Applications', यह लिखा है, 'Digital Institute (Makeshift Campus), JNVU Campus, Jodhpur Rajasthan (National Institute for Smart Government at Rajiv Gandhi.' आप मुझे बताइए, जिस संस्था का विधिवत जन्म अब होगा, ब्रूटल मैजोरिटी है, उसके पहले वह संस्था किस सील और किसके माध्यम से यह सर्टिफिकेट दे रही है? सभापति महोदय, यह प्रमाण-पत्र लेकर उनका क्या होगा? वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति जब जायेगा और मालूम पड़ेगा कि अभी तो यू.जी.सी. की मान्यता नहीं आयी। टी.सी. की मान्यता नहीं, क्योंकि बिल ही पारित नहीं हुआ। राजस्थान के अन्दर आप डिजिटलाइजेशन के नाम पर, कभी तो आई.टी. डिपार्टमेंट नोट गुल करने लग जाता है और कभी आप इस तरह के सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं। मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, हमें कम से कम कुछ मानदंड और कुछ लक्ष्मण रेखाएं अपने चारों ओर खींचकर रखनी चाहिए।

आज मैं निवेदन करूं कि यह जो प्रस्तुत विधेयक है, इसमें पेज 78 पर 'MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION'

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगाया है, यह 78 पर है। सभापति महोदय, 'MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION' यह कह रहा है कि विधेयक में जो खण्ड पारित करेंगे, उसके बाद रूल्स बनाने का आधार होगा। उसके बाद रूल्स बनायेगा। आज सदन में रूल्स बने नहीं, सरकार ने रूल्स बनाये नहीं, सरकार ने बिल पास किया नहीं और आपने सर्टिफिकेट बांटने चालू कर दिये। मैं समझता हूं कि कम से कम सरकार को निश्चित तौर पर इस बात को देखना चाहिए। मैंने पिछले बिल पर जो आपत्ति की। आपको मालूम है कि यू.जी.सी., अनुदान आयोग भी एक्ट है, 1956 का है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भी एक्ट के अन्तर्गत 1987 में बनी है। कौनसी डिग्री बांटी जायेगी, कौनसा सर्टिफिकेट होगा? इसके अनुमोदन से पहले कम से कम आपको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसका जो सेक्शन 3(3) है। सरकार ने प्रावधान किया है कि संस्था राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित होगी। विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगी, परन्तु निजी भागीदारिता के सहयोग का प्रावधान भी होगा। मतलब आप आज एक संस्था पर साढ़े छह सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जोधपुर में कई सैकड़ों करोड़ों की जमीन पर बना रहे हैं और बनाकर पिछले दरवाजे से कह रहे हैं। आप जिस दिन इस सदन में बजट में घोषणा कर रहे थे, उस समय आप कह देते तो जरा बात साफ हो जाती। विधेयक की धारा 3(4) में आपने कहा कि साझेदारों को आकर्षित करने के लिए, साझेदार कौन होगा? उसके लिए भी एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेंगे। कोई भी आओ और पाओ। सभापति महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कोई भी साझेदार आयेगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आयेगा, धर्मार्थ करने नहीं आयेगा। यह जनता के धन और जनता की जमीन सम्पदा और उसके साथ ही राजीव गांधी जी का नाम, जिसको इस देश ने मिस्टर क्लीन के नाम से जाना है, साफगोई से बात करते थे, घुमावदार बात नहीं करते थे, जिन्होंने इस मुल्क में स्वीकार किया था कि मैं रुपया भेजता हूं, बिचौलिये 85 पैसे खा रहे हैं, उस राजीव गांधी के नाम पर आप इस प्रकार का खोटा कानून बनायेंगे, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी।

मंत्री जी, यह सेक्शन 6(1) और 25(1), इसके अन्दर आप फीस वसूलने का अधिकार दे रहे हैं। अधिकार तो है, फीस तो लगेगी, पर यह फीस कितनी होगी, कैसे होगी, इसका प्रिस्क्राइब्ड फ़ार्मूला क्या होगा? इसके अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गरीब लोगों के लिए किसी तरह की रियायत होगी या नहीं होगी, जिस तरह से पिछले विधेयक में वही डिट्टो कर रखे हैं, इसलिए मैं लम्बी नहीं करूंगा। पिछला बिल जो कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज का था, उसका लगभग-लगभग इन्होंने सीधा ही उतार दिया है। दिमाग ही नहीं लगाया, फटाफट, फटाफट।

सेक्शन 8 में चेयरपर्सन की नियुक्ति, मैं समझता हूं कि जब किसी संस्था को आप इतना विश्वस्तरीय बना रहे हैं तो इसका चेयरपर्सन कौन हो, कैसे हो, इसकी तो कोई अर्हताएं आप तय करें। पिछले दरवाजे से आपने सेक्शन 10 में संस्थापक निदेशक और निदेशक दो बना दिये। मैं पूरा पढ़ रहा था। संस्थापक निदेशक और निदेशक, आपने निश्चित, तौर पर निदेशक के लिए कुछ अर्हताएं रखी हैं, पर इनके कार्य का विभाजन कुछ नहीं। किस प्रकार यह संस्था चलेगी? यह संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एक्ट बना हुआ है उसके अनुसार नहीं है। ठीक है, आपने इसमें 11 निदेशक बनाये हैं। पर कम से कम कार्य का विभाजन हो तो निश्चित तौर पर समझ में आता है। सेक्शन 12 में, मैं पिछली बार की तरह फिर कह रहा हूं कि यह जो कुलसचिव की नियुक्ति है या रजिस्ट्रार की नियुक्ति है, आप पिण्डारा-बाक्स खोल रहे हैं। रजिस्ट्रार में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा, आप एक कमेटी के द्वारा किसी का भी सलेक्शन कर लेंगे। हमारा कुल सचिव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इसमें निदेशक और आई.टी. विभाग के सेक्रेटरी और तीन विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर बाहर से किसी को ले लेंगे। मैं इसको उचित नहीं मानता।

सेक्शन 14 के अन्दर वित्त अधिकारी अकाउंट्स सर्विस का हो, यह लिखा जरूर है, पर इसमें भी आपने कमेटी को अधिकार दे दिया, वही कमेटी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जोधपुर में जितने विश्वविद्यालय खोले, दे-दनादन जोधपुर, दे-दनादन जोधपुर, पर आज किस विश्वविद्यालय में फैकल्टी की क्या हालत है? क्या आपके पास यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार इस विश्वस्तरीय संस्था को चलाने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा अपनाया कि आपके पास फैकल्टी है? सभापति महोदय, संस्थान खोल दिया, पर संस्थान के संचालन के विश्वस्तरीय एजुकेशन देने के लिए क्या हमारे पास उस तरह के अध्यापन की व्यवस्था है? इस पर निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। जोधपुर, जिसके अन्दर कुलपति धरने पर बैठ जाएं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ये सारी बातें आपके सामने हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लाये हैं मुझे मालूम है, आप पारित भी करायेंगे, मुझे मालूम है। गांधी का नाम और कांग्रेस का नाम, इसका संधियों में दो विच्छेद कोई नहीं कर सकता। मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, पर इस तरह आप इसको लाकर, एक सब्जबाग जरूर दिखा देंगे कि विश्वस्तरीय संस्था आ रही है, पर इस संस्था की आड़ में किसे उपकृत करना चाहेंगे, उसको भी मैं सदन के माध्यम से आगाह कर रहा हूं, आप कर नहीं पायेंगे। इसलिए नहीं कर पायेंगे कि आने वाले सितम्बर के दूसरे सप्ताह में आप आचार संहिता की गिरफ्त में आ जायेंगे। आचार संहिता की गिरफ्त में आने के बाद, जिस प्रकार से आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी गैलेरी में नहीं आते, उस तरह। मैं आपको कह रहा हूं कि आचार संहिता की गिरफ्त में आने के बाद कल्ला जी आपके आसपास कोई फटकेगा नहीं क्योंकि जमाने का दस्तूर बहुत खराब है। आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का..। मैं बात नहीं करूंगा कौनसा काला-पीला, पर ये होने वाली बातें हैं। इसलिए इसको आप कृपया जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, आज आठ माननीय सदस्यों ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के बारे में अपने विचार रखे। सबसे पहले सदन को यह बताना चाहता हूं कि फिनटेक का मतलब क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में यह संस्थान बन रहा है और इस संस्थान में खास तौर से, आप देखते हैं कि आजकल किसी के खाते में 40 लाख रुपये हैं and one fine morning, वे 40 लाख रुपये कोई उड़ा ले गया। साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। किसी के पास निवेश करने के लिए पैसा है तो वह पैसा कहां खर्च करे? इंश्योरेंस करानी है तो किस कम्पनी से कराए? कौनसी लाभप्रद रहेगी? निवेश के लिए अलग-अलग प्रकार के आप्शन सब लोगों के सामने हैं, लेकिन वह निवेश कहां पर करें? इन सब चीजों के लिए आजकल स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो गयी है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस..., साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमको वित्तीय प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए विश्व स्तर का एक संस्थान हमारे सामने लाया जा रहा है।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों में प्रौद्योगिकी के डवलपमेंट के

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लिए, डिजिटल डवलपमेंट के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बने और इसके लिए 2,322 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। राजस्थान को यह कहा गया कि आप 400 करोड़ रुपये की लागत से एक यूनिवर्सिटी बनाएं, हम आपको सहायता करेंगे। इस बीच कोविड आ गया। कोविड के कारण हमारे दो वर्ष उसमें चले गये। उसके बाद भारत सरकार ने योजना खतम कर दी। तब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उचित समझा कि यह कंसेप्ट अच्छा था और हमको स्टेट सेक्टर में यह यूनिवर्सिटी लानी है। स्टेट सेक्टर में लाने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की और बजट घोषणा की कि हम यह डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे लेकिन डिजिटल यूनिवर्सिटी का कन्सेप्ट भी बहुत, एक तरह से यह कहना चाहिए, प्रारम्भिक कन्सेप्ट था। एडवांस डिजिटल स्टडी के लिए यह जरूरी था कि हम इसको और बेहतर बनाएं, विश्व स्तर की बनाएं, जिसके लिए 400 करोड़ का बजट बढ़कर 672.45 करोड़ का बन गया।

आपको जानकर खुशी होगी कि शुरू-शुरू में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जोधपुर में डिजी फेस्ट का आयोजन हुआ था, उस डिजी फेस्ट के आयोजन के वक्त, वहां पर एक संस्थान है, जिसका अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, हमने कोई डिप्लोमा वगैरह का कोर्स नहीं किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्मार्ट गवर्नमेंट, इससे एम.ओ.यू. करके 6 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डी.ओ.आई.टी. की तरफ से चालू किया था और 6 दिन की ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र बांटे थे। न तो कोई डिग्री बांटी, न कोई डिप्लोमा बांटा। मैं आपको यह भी क्लीयर करना चाहता हूं, खासतौर से, कि इस संस्थान को निश्चित रूप से यह मानिए कि जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हमने सदन को बताने की कोशिश की है कि हम ऐसा संस्थान बनाएंगे जिससे डिजिटल ज्ञान युक्त वित्तीय प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ तैयार हों, जो साइबर क्राइम को रोकेंगे। इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में हो, इस काम को करेंगे और इसके साथ-साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए अलग-अलग ब्लाक चेन आर्टिफिशियल इंटलीजेस, इसका अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके बारे में ट्रेंड करेंगे। दो प्रकार के काम करेंगे। एक तो यह कि कोई डिप्लोमा कोर्स है, आप यह समझिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनका आयोजन करेंगे और दूसरा काम इनका यह होगा कि ये बाकायदा, जिसका जिक्र अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय कर रहे थे, बाकायदा ये अधिनियम पारित होने के बाद यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई., आल इंडिया कौंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त डिग्री और

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

डिप्लोमा कोर्स और पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्स, पीएचडी. के कोर्स, रिसर्च के कोर्स, उनसे मान्यता प्राप्त करके जारी करेंगे।

आप निश्चित मानिए कि यह एक डिजिटल स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में डवलप होगा। इस तर्ज पर डवलप होगा, जैसे आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो बनी हुई है, एम्स, इसी प्रकार से आई.आई.टी., आई.आई.आई.टी., इस तरह के संस्थान की तरह यह संस्थान डवलप होगा। ऐसे संस्थान न केवल राजस्थान में बन रहे हैं, बल्कि पहले से ही जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में, हैदराबाद में, तेलंगाना में बने हुए हैं। इसलिए इसी तर्ज पर हमारे संस्थान डवलप होंगे। ये स्वायत्तशासी होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आप कोई शक मत समझिए कि ये कोई आटोनोमस बॉडी नहीं होगी। आटोनोमस बॉडी होगी और इसमें सभी प्रकार के एक्ट में प्रावधान किये गये हैं कि कौन इसका अध्यक्ष होगा? कौन डायरेक्टर बनेंगे? कौन इसका संचालन करेंगे? इसकी पूरी व्यवस्था हमारे एक्ट में दी हुई है।

मैं समझता हूं कि विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहे तकनीकी क्षेत्र का उपयोग वित्तीय क्षेत्र में तीव्र गति से हो, इसी उद्देश्य से यह फिनटेक संस्थान बन रहा है। फिनटेक दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक के अंतर्गत वित्तीय अनुप्रयोगों के विकास एवं उत्पादों में नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है और देश में फिनटेक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय और नवीन आई.टी. प्रौद्योगिकियों के मिश्रित कौशल वाली जनशक्ति की आपूर्ति एवं उपलब्धता में एक बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिए राज्य के युवाओं को फिनटेक क्षेत्र में ट्रेंड करने के लिए, उनको विशेषज्ञ बनाने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, आर्टिफिशियल इंटलीजेस का शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए ही इस फिनटेक इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। यह राजस्थान की विधान सभा के अधिनियम के अंतर्गत होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा। वह इसलिए होगा कि बाकी लोगों ने देखा कि केन्द्र सरकार मदद देगी तब इसको बनाएंगे। वे पीछे रह गये। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्टेट सेक्टर में इसको चालू करके डिजिटल दुनिया में एक नया स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान डिजिटल क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में विकसित होगा।

इसके अलावा उद्योगों की जरूरत भी बदलती जा रही है। उद्योगों में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कई परिवर्तन आ रहे हैं। स्टार्ट-अप नये-नये आ रहे हैं। नये युवा यह चाहते हैं कि हम कौनसा उद्योग लगाएं, कौनसे उद्योग में उनको फायदा है या नहीं है। उनको स्टार्ट अप के माध्यम से ट्रेंड किया जाएगा। जो व्यक्ति इस संस्थान में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेगा, उसके लिए वर्ल्ड लेवल का मार्केट होगा। वह केवल राजस्थान या देश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी इस डिग्री को प्राप्त करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकेगा। अभी बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा कि रोजगार कहां से मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वेकेंसी निकालो, आपको आदमी नहीं मिलेंगे आज की तारीख में। साइबर क्राइम को रोकने के लिए कोई वेकेंसी निकालो तो आपको आदमी नहीं मिलेंगे। इसलिए यह संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति करेगा और इससे राजस्थान के जितने भी लोग ट्रेंड होकर जाएंगे, डिग्री या डिप्लोमा लेकर जाएंगे, उनको तत्काल एम्प्लोयमेंट मिलेगा।

यह एक फिनिशिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा। यहां डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ डिग्री और डिप्लोमा भी उनको दिये जाएंगे। यह संस्थान वित्त और प्रौद्योगिकी के डोमेन में मौजूदा अग्रणी उद्यमियों के साथ भी कोलोब्रेशन करेगा। कोलोब्रेशन इसलिए करेगा कि मान लीजिए आज कोई उद्योगपति यह चाहे कि हमारे नाम से ये चेयर बनाएं जो हम साइबर क्राइम को रोकने का काम करेंगे। हम एक ऐसी चेयर बनाना चाहते हैं जिसमें जो ये इंश्योरेंस के मामले में गड़बड़ हो रही है, इसको रोकने के लिए हम कोई चेयर बनाना चाहते हैं अथवा किसी भी प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन को कैसे कुशल बनाया जाए, इसके लिए यदि वह कोई चेयर बनाना चाहे तो बना सकेगा। कोई भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि वह वहां आकर उस संस्थान पर कब्जा कर लेगा।

जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अलग-अलग, अजमेर पूर्व से आने वाली माननीय सदस्या ने ये कहा कि राजस्थान में प्रौद्योगिकी के ऊपर, डिजिटल डवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया गया, वैसे तो वे फिनटेक यूनिवर्सिटी के बारे में तो कम बोलीं, लेकिन चूंकि बोली हैं तो उनका जवाब देना मेरा धर्म बनता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के 23 हजार स्कूलों में आई.सी.टी. क्लासेज शुरू हो गयी हैं और इस वित्तीय वर्ष में 4 हजार आई.सी.टी. क्लासेज शुरू हो जाएंगी। हायर एजुकेशन के बारे में वे

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

काफी बातें बोलीं तो उनका जवाब राजेन्द्र जी यादव ने दे दिया, लेकिन आपने अकादमिक स्वायत्तता की बात की। आप इस एक्ट को पढ़ लें। पूरी की पूरी एकेडमिक स्वायत्तता इस फिनटेक यूनिवर्सिटी के पदधारकों को मिलेगी। आपने कहा कि जो भी संस्थान बन रहे हैं, सोसाइटी के माध्यम से बन रहे हैं। सोसाइटी के माध्यम से नहीं बना है, यह राजस्थान विधान सभा एक्ट पास कर रही है, इसके अंतर्गत यह फिनटेक संस्थान बन रहा है। इसलिए सोसाइटी की संस्था नहीं है।

(समय: 16.00 बजे)

रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि देखने में अच्छा है। यह देखने में भी अच्छा है और क्रियान्विति में भी अच्छा है। आप देखना, जब इससे डिग्री लेकर कोई व्यक्ति जाएगा तो तत्काल वहीं पर पढ़ते-पढ़ते, जैसे खड़गपुर IIT, मुम्बई IIT में बच्चों के प्रवेश लेते ही लोग आकर उनको एम्प्लायमेंट दे देते हैं, वैसे ही इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए व्यक्तियों का भी पढ़ते-पढ़ते ही एम्प्लायमेंट फिक्स हो जाएगा।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने, घोषणाएं नहीं हैं, इसमें अब तक 130 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 672.45 करोड़ का यह जो बजट है यह यथा समय लागू होगा। निश्चित रूप से कोई संस्थान शुरू होता है तो उसके लिए भवन लेना पड़ता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का भवन लिया गया था, लेकिन अब 130 करोड़ का निर्माण हो चुका है और बहुत शीघ्र इसे अपने भवन में शिफ्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने 97 बीघा भूमि करवार में आबंटित कर दी थी, उसी पर यह निर्माण कार्य चल रहा है।

अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुशल जनशक्ति, यही इसका उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि वित्तीय प्रौद्योगिकी के ट्रेंड लोग हम तैयार करें। साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट तैयार करें। बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छा प्रबन्धन करने वाले, बजट का वित्तीय प्रबन्धन करने वाले अच्छे स्पेशलिस्ट तैयार करें। उसके साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको याद होगा हमने कोविड पीरियड में तीसरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया था, उसका इवैल्यूएशन आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के माध्यम से कराया, विश्व रिकार्ड बना। यह यूनिवर्सिटी कई विश्व रिकार्ड बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तैयार करके। मेडिकल के क्षेत्र में जानकारी होगी, पत्र-पत्रिकाओं में भी पढ़ते होंगे, आपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है, जैसे हमारा दिमाग है यह मशीन का दिमाग है। मशीन कैसे काम करती है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यानी मशीन को आप कह दो कि हमारा यह बजट है, इस बजट को कैसे-कैसे खर्च करना है, तो वह आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका बजट ऐसे-ऐसे खर्च होना चाहिए। मान लीजिए किसी के पेनक्रियाज का आपरेशन करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपको यह बता देगा कि ऐसे-ऐसे इस रोबोट को चलाओ, पेनक्रियाज की कोई भी खराबी होगी उसको वह दूर कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर क्षेत्र में काम कर रहा है, इसके विशेषज्ञ यह तैयार करेगा।

अजमेर में भी विश्वविद्यालय खोले गये हैं। हर जगह विश्वविद्यालय हैं। हमारे बीकानेर में आज पांच विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। टैक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी, केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, आर.एन. बजाज यूनिवर्सिटी। ऐसे ही कोटा में भी तीन विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। आपके यहां काम कर रहे हैं। हर जगह विश्वविद्यालय होने चाहिए। जोधपुर पश्चिम राजस्थान का प्रमुख केन्द्र है, वहां पर अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो पूरे राजस्थान के लोगों के काम आएगी।

जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया, आपने भी जिक्र किया। मैं यह कहना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वे भारत के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। वे भारत को नई शताब्दी में ले जाना चाहते थे। वे संचार क्रान्ति के जनक थे। उन्होंने देश को डिजिटल क्रान्ति की ओर अग्रसर किया, इसके कारण राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीटयूट नाम रखा गया है। इस परिवार के बारे में, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने नाम तो सबके लिए, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहर लाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी, तीन-तीन पीढ़ियां जेल में रहीं और उस समय एक शायर ने कहा,

"अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है यह नेहरू खानदान।

शम-ए-महफिल देख ले, यह घर का घर परवाना है।"

जो देश पर कुर्बान है वही तो नौजवान है, उनके हाथों में ही तो आज भारत की शान है, वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान है। उन्होंने 18 साल के जो युवक थे उनको वोट का अधिकार दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): भारत रत्न और डिजिटल क्रान्ति के सूत्रधार राजीव गांधी के नाम से हमने इस संस्थान का नाम रखा। हम सबको गौरव होना चाहिए कि हमने देश के लिए शहीद होने वाले, भारत रत्न के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी डिजिटल संस्थान रखा है।

नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्वालिटी आफ एजुकेशन का जिक्र किया। इसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वर्ल्ड लेवल का उद्देश्य रखकर यह संस्थान बनना चाहिए। मैं आपकी चिन्ता को सही ठहराऊंगा और यह बताऊंगा कि निश्चित रूप से यह वर्ल्ड लेवल का संस्थान बनेगा। बीकानेर के बारे में मैंने बता दिया, पहले से ही चार-पांच विश्वविद्यालय हमने खोले हैं, बीकानेर को पीछे नहीं रखा है। चूरू से आने वाले प्रतिपक्ष के नेता ने ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): विश्वस्तरीय संस्था के बारे में चिन्ता प्रकट की। आप जो भी सुझाव इसमें देंगे हम उन सुझावों को इसमें मानेंगे। कुल मिलाकर यह रोजगार देने का कारखाना बनेगा, मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं। यह बेरोजगारी को दूर करेगा, राजस्थान में साइबर एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट बनाकर उनको विश्व स्तर पर रोजगार देगा, देश के स्तर पर रोजगार देगा, राजस्थान के स्तर पर रोजगार देगा। आपने जिस तरीके से डिप्लोमा का बताया, डिप्लोमा नहीं था, वह कोर्स छह दिन की ट्रेनिंग थी जो हमने नेशनल इंस्टीटयूट आफ स्मार्ट गवर्नमेंट से एम.ओ.यू. करके छह दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया, जो डी.ओ.आई.टी. के माध्यम से प्रमाण पत्र दिये गये थे।

सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में आपको कोई शक नहीं करना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता है। आप यह कह रहे हो अधिनियम से पहले, आप देखिए कि भारत सरकार ने हमको यह आश्वासन दिया था और यह इंडिकेशन दिया था कि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएं। हमने उस समय ही तैयारी शुरू कर दी। हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हमने समानान्तर, अधिनियम आने से पहले ही डी.ओ.आई.टी. के माध्यम से 130 करोड़ का काम कर दिया। एक तरफ आप

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कहते हैं कि बजट नहीं है, तो आपने यूनिवर्सिटी कैसे बना दी, जब बना दी तो आपने कहा कि पहले कैसे बना दी? दुनिया चढ़े हुए पर भी हंसती है और पैदल वाले पर भी हंसती है। चढ़ा हुआ जाता है तो कहते हैं कि इसके पास मोटर है, अहंकार आ गया, और पैदल जाएगा तो कहते हैं कि फटीचर है। हमने निश्चित रूप से बजट प्रावधान किया है और बजट प्रावधान के आधार पर समय पर यह संस्थान बनेगा और विश्व स्तर का संस्थान बनेगा।

आपने यू.जी.सी. व एन.सी.ई.आर.टी. की मान्यता का प्रश्न उठाया। यह प्रश्न सही है, लेकिन जब संस्थान खड़ा होगा तभी तो हम मान्यता लेंगे। हमारी संस्था खड़ी हो जाएगी, भवन बन जाएगा, रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो हम यू.जी.सी. के पास भी जाएंगे, नेशनल काउंसिल आफ टैक्निकल एजुकेशन के पास भी जाएंगे। एन.सी.ई.आर.टी. व यू.जी.सी. से मान्यता लेने के बाद ही संस्थान को विधिवत रूप से शुरू करेंगे।

आपने एक बात और कह दी, राजीव जी कहते थे एक रुपया भेजता हूं और उसमें 15 पैसे खर्च होते हैं। मैं बीकानेर की मीटिंग में उनके बगल में ही बैठा हुआ था, हरिदेव जी जोशी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने यह कहा था, मैं एक रुपया भेजता हूं, मान लीजिए 100 रुपये भेजता हूं उसमें 70 परसेंट प्रशासनिक व्यय लग जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर, 10-15 परसेंट बनाने वाले ठेकेदार का लाभ हो जाता है, 15 परसेंट पैसा खर्च होता है, इसलिए उन्होंने गांवों में जवाहर रोजगार योजना, गांवों के सरपंचों को डायरेक्ट पैसा देना शुरू किया ताकि, प्रशासनिक व्यय खतम हो गया और सेंट परसेंट पैसा गांवों में खर्च होने लगा। उसको तोड़ मरोड़कर आप लोगों ने पेश किया।

आपने सैक्शन 10, सैक्शन 12, सैक्शन 14 में कार्य विभाजन, कुल सचिव, वित्त अधिकारी की बातें कहीं, ये सब अधिनियम के अन्तर्गत बनेंगे, ये स्वायत्तशासी होंगे।

यह संस्थान जो है, निश्चित रूप से मन में तो आप भी यह सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ी को यह रोजगार देने वाला संस्थान बनेगा, इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जो संस्थान राजस्थान में वित्तीय, प्रौद्योगिकी की एक कुशल टीम तैयार करके रोजगारपरक और वित्तीय प्रबन्धन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संस्थान के रूप में यह साबित होगा, इसलिए जनमत जानने का प्रस्ताव जो माननीय सदस्यों ने रखा है, उसको मैं अस्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे न कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 46, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 46 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 46 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री बुलाकी दासजी कल्ला।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित),

श्री बाबुलाल (झाडोल)।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 विधेयक आप लेकर आये हैं। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के जो अस्थायी अध्यापक हैं, उनको आप स्थायी करेंगे, ऐसी आपकी मंशा है। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि आपने जहां पर महाविद्यालय खोले हैं या जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें पद रिक्त हैं।

हमारे उदयपुर सम्भाग में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है। उसमें एक वी.सी. मात्र से ही वह विश्वविद्यालय चल रहा है। हम चाहेंगे कि यह जब होगा तो वहां पर कम से कम कुछ अध्यापकों को लगायेंगे तो वहां के बच्चों को लाभ होगा। दूसरा, मेरा आपसे यह कहना है कि यह जो आपने महाविद्यालय खोले हैं, उनकी हालत क्या है? आपके लेक्चरर्स हैं नहीं तो उनको पढ़ाने वाला कौन होगा? जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बने हैं उनकी हालत यह है कि उनकी मरम्मत, रंग-रोगन भी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह आप जो विधेयक ला रहे हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इस विधेयक को आप तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 लाया गया है। इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि-

"(iv) 'अस्थायी अध्यापक' से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार, रिक्तियों के सम्यक् लोक विज्ञापन के पश्चात्, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में स्टाप-गैप व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक, या अंशकालिक आधार पर नियुक्त और विश्वविद्यालयों द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कोई अध्यापक अभिप्रेत है किन्तु संविदा आधार पर नियुक्त या विदेश सेवा में के और सम्बन्धित विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अध्यापक इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे;"

संविदा के आधार पर रखे गये अध्यापक शामिल क्यों नहीं हैं? उपरोक्त आपने जो कहा है कि अंशकालिक और जो विज्ञापन के बाद रखे गये

(श्री मदन दिलावर)

हैं, वे इसमें शामिल हैं तो 180 दिन के बाद वे नियमित वेतनमान पाने के अधिकारी हो जाते हैं, तो क्या उनके 180 दिन पूरे होने के बाद से जो बीच का गैप रहेगा आज तक, क्या उनको नियमित वेतनमान दिया जायेगा? यह इसमें उल्लेख नहीं है। उनको नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए था।

दूसरा, जो संविदा के आधार पर रखे गये तो या तो संविदा के आधार पर क्यों रखे गये थे और रखे गये हैं तो उनको पर्याप्त वेतन देते या फिर उनको नियमित करें। उन्होंने क्या अपराध किया है जो आप इनके साथ इनको शामिल नहीं कर रहे हो, यह उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें आरक्षण का ध्यान रखा जायेगा या नहीं रखा जायेगा। इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., ई.बी.सी., एम.बी.सी. जो भी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यदि एस.सी., एस.टी. के उसमें नहीं मिलेंगे तो क्या वे स्थान रिक्त रखे जायेंगे, रिजर्व रखे जायेंगे? इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख करना इसमें जरूरी था, परन्तु पता नहीं किन कारणों से या इनके कुछ लोग लगाये हुए होंगे पैसे लेकर, क्योंकि बिना पैसे तो ये लोग काम करते ही नहीं, कुछ न कुछ मोटी रकम लेकर इन्होंने लगाये होंगे। उन्हीं लोगों को नियमित करने का एक उपक्रम कर रहे हैं ये और ईमानदारी से जो लोग संविदा पर लगे थे, उनकी बंधी या पैसा नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं तीन महीने के लिए इसको परिचालित कर देंगे तो तीन महीने के अन्दर वे संविदा वाले भी व्यवस्था करके इनके यहां पर पैसा पहुंचा देंगे। वैसे तो तीन महीने के बाद इनको समय मिलेगा भी नहीं, पर एक महीने के लिए भी यदि इनको कर देंगे तो शायद, इनका भी जो पैसा उगाहने का जो उपक्रम चल रहा है वह पूरा हो सकता है, क्योंकि बिना पैसे ये काम नहीं करते हैं। इनके लोग तो 18 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 50 लाख रुपये लेकर पेपर को बेच देते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, और वे कहते हैं, ओ.आर.एम. शीट को भी चेंज करने की बात करते हैं तो ये तो बिलकुल एक तरह से वह अली बाबा चालीस चोरों का समूह हो गया है जो कुछ भी कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि

(श्री मदन दिलावर)

इसमें आरक्षण के प्रावधान को नियमानुसार रखा जाए और जो संविदा पर लगाये गये अध्यापक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 सरकार लायी है। मुझे यह लगता है कि इस सदन में अनेक विधेयक पिछली बार भी आये थे, राज्यपाल महोदय ने कुछ विधेयकों पर अपनी असहमति प्रकट करके सरकार के पास वापस भेजे हैं। सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए कि उन विधेयकों का क्या हुआ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह लगता है कि इस विधेयक में आपने तीन संशोधन दिये हैं। सरकार पिछले गेट से एंट्री करना चाह रही है और ऐसे लोगों की शिक्षक भर्ती करना चाह रही है जो उनके चहेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, कई दिनों से काम कर रहे हैं, कई महीनों से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने का प्रावधान नहीं है।

मैं सदन में एक शब्द का प्रयोग करता हूं 'शर्मिन्दगी'। हम सब शर्मिन्दा हैं। जब गुरुकुल विश्वविद्यालय का विधेयक आया, भला हो राठौड़ साहब का, वे उस समय उप नेता थे और अब विपक्ष के नेता हैं, वे स्वयं सीकर गये। क्या सरकार के पास जांच एजेंसी नहीं है? वे स्वयं सीकर गये, उसकी जांच की और जांच करने के बाद पता लगाया। वहां कुछ नहीं था। वहां पर 34 लैब बतायी गयी थीं। वहां पर कमरे बता दिये गये, बहुत सारे क्लास रूम बता दिये गये। वहां कुछ नहीं था। वहां पर जमीन का समतलीकरण चल रहा है। सरकार की क्या स्थिति है? एक जमीन यहां पर है और दूसरी जमीन 20 किलोमीटर दूर है। क्या सरकार जानबूझकर ऐसे काम कर रही है? क्या सरकार के मन में लोगों को ऑब्लाइज करने की इच्छा है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार इस प्रकार की गन्दगी फैलाने का काम कर रही है? सरकार के बारे में ऐसा सोच सकते हैं हम?

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बारे में निवेदन करूंगा। यू.जी.सी. का नियम है कि गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार

(श्री धर्मनारायण जोशी)

रुपये महीने से ज्यादा पेमेन्ट नहीं कर सकते और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 14-15 लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए 75 हजार, 80 हजार रुपये महीने का गेस्ट फैकल्टी को पेमेन्ट किया गया है।

अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में स्टाफ नहीं है। बिना स्टाफ के लॉ यूनिवर्सिटी चल रही है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पिछले सैशन में 114 विद्यार्थी थे और 30 लाख रुपये महीने का वहां का खर्चा था, स्टाफ का पता नहीं। गेस्ट फैकल्टी आप ले रहे हैं।

मैं एक और निवेदन करता हूं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उदयपुर में स्टाफ की पेंशन नहीं चुक रही है। सरकार ने निर्णय करके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन बेच दी यू.आई.टी. के थ्रू। सरकार के पास पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटी खुद पेमेन्ट करे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज वहां की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि वहां के शिक्षकों के पेंशन के पेमेन्ट नहीं हुए हैं। पेमेन्ट कब होंगे उनके? यू.आई.टी. ने जमीन ले ली और सरकार यूनिवर्सिटी को कह रही है कि जमीन जैसे-जैसे बिकेगी वैसे-वैसे हम कर्मचारियों को पेमेन्ट करेंगे। सरकार को दोहरी मार लग रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार भला चाहती है, सरकार का पैसा बचाना चाहती है तो यू.आई.टी. एकमुश्त पैसा तय करके जमीन का पैसा यूनिवर्सिटी को भुगतान कर दे, क्योंकि दो प्रकार का नुकसान हो रहा है। एक तो जिस कर्मचारी को आप भुगतान कर रहे हैं, उस कर्मचारी को जब से वह रिटायर हुआ है, तब से आपको ब्याज का पैसा भी देना पड़ेगा। यू.आई.टी. से एकमुश्त ले लें और सरकार उसका पैसा दे दे।

उदयपुर यूनिवर्सिटी की हालत यह है कि वहां के वी.सी. की जांच चल रही है और उन्होंने अभी-अभी, 3 महीने का भुगतान, जो आये ही नहीं, उन पर जांच हुई, उनको भुगतान के आदेश हो गये। वह तो कोर्ट से स्टे आ गया इसलिए वे रुक गये। ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सरकार इस विधेयक में उसको जोड़े कि जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को परमानेंट करने की व्यवस्था करे और जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको भी परमानेंट करने की व्यवस्था करे।

मैं समझता हूं कि यह आपका विधेयक अपूर्ण है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस विधेयक को रोका जाए और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अधिनियम, 2008 की कुल दो धाराओं में संशोधन किया गया है। पहला राजस्थान अधिनियम संख्या 22 की धारा 2 में संशोधन और राजस्थान अधिनियम 22 की धारा 6 में संशोधन है।

सभापति महोदय, जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो लगा कि इसमें ज्यादा लम्बा-चौड़ा तो नहीं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें यह लिखा है कि राजस्थान में स्थापित विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत अस्थायी अध्यापकों के आमेलन का उपबंध करने के लिए इस प्रकार का, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चयों में माना है कि कुछ राजकीय विभागों या परिकरणों ने अनेक कर्मचारियों को या तो उनके मामले न्यायालयों में लम्बित होने के आधार पर या सर्वथा अन्वेक्षा के कारण विचार में लिए जाने से अपवर्जित करते हुए, एक बारगी कवायद की थी।

मैं समझता हूं यह इसलिए आया है कि उमा देवी का एक प्रकरण, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला था, उसके अनुसार जो लोग इसकी पात्रता रखते थे, उसके निबंधनानुसार विचार में लिये जाने के हकदार थे, लेकिन सिर्फ इसी कारण से नियमितीकरण या आमेलन के लिए विचार में लाये जाने का अपना अधिकार नहीं गंवा दें, उनके मामलों पर विचार किये बिना एक बारगी कवायद पूरी कर ली गयी थी।

सभापति महोदय, विधेयक की धारा 6 में एक परन्तुक यह जोड़ा गया कि शेष रहे अस्थायी अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् नियमित करने की कवायद की जा सकेगी और अन्त में पढ़ा तो इसमें लिखा पाया कि अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (4) में अपवाद यह ध्यान में रखते इंगित किया गया कि छात्रों के स्वस्थ शरीर और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबन्धन के लिए योग अनुदेशक लाभदायक शिक्षा प्रदान करते हैं और वे स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यू.जी.सी. के द्वारा आरम्भ

(श्री अविनाश)

की गयी विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा की प्रोन्नति के लिए स्कीम पूर्वोक्त संशोधनों के पश्चात् गति प्राप्त करेगी।

सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने 2015 के अन्दर विश्व को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारत के नाम से गति दी थी और आज पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसके अन्दर यह भी लिखा है कि तनाव प्रबन्धन के लिए योग अनुदेशक लाभदायक शिक्षा प्रदान करते हैं। यह हमारे भारत की प्राचीन परम्परा और संस्कृति रही है। योग शिक्षा को भी हम लोग दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह सरकार जो बिल लेकर आती है, मैं समझता हूं कि पिछले पांच सालों में इस सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है, एक ही लाइन में बात कहूंगा कि सरकार इस प्रकार से काम करती है, 'बोली बोले मोर की और चाल चले चोर की'। सरकार का अभी तक साढ़े चार साल का जो कार्यकाल रहा है, मैं समझता हूं कि जब सरकार चुनाव के अन्दर जायेगी, जिस प्रकार के कृत्य आपने किये हैं, जनता को जवाब देना इनके लिए मुश्किल होगा। मैं इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापतिजी, पुराने एक्ट, 2008 में सरकार 15 वर्ष बाद यह सरकार संशोधन लेकर आयी है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि यू.एन.ओ. में भारत की पुरानी विधा योग को पूरी दुनिया ने माना और 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि योग हमारी प्राचीन विधा है। इसके लिए हम सबको गौरवशाली अनुभव होता है।

माननीय सभापतिजी, 15 वर्ष बाद इस विधेयक में संशोधन आया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में सभी संविदाकर्मियों का नियमितीकरण करने की बात की थी,

(श्री बिहारीलाल)

लेकिन वह सारा कुछ अधूरा पड़ा है। इस बिल में केवल योगा टीचर्स को एड करने की बात लेकर आयी है, तो हम सबको और हजारों संविदाकर्मियों को सरकार से उम्मीद थी कि इस बिल में वह सभी संविदाकर्मियों को नियमित करने की बात लेकर आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के पुराने अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में अपनी चिंता और आपत्ति व्यक्त करता हूं। मेरा यह मानना है हालांकि लम्बे समय से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को सम्मिलित करने का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन संशोधन के विशिष्ट प्रावधानों पर आपत्ति है। विराम चिह्न के प्रतिस्थापन और परन्तुक को जोड़ने से संशोधन की स्पष्ट तौर पर प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं, संदेह पैदा करते हैं। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। इसके अलावा, बिल के साथ प्रदान किये गये उद्देश्यों और कारणों का विवरण निष्पक्षता और समता के मुददों को उठाता है। यह स्वीकार करता है कि योग प्रशिक्षकों से कुछ शिक्षकों से अनजान एवं शोषण के लिए पिछली बार बाहर कर दिया गया था। हालांकि इसको सुधारना महत्वपूर्ण है। हम सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सभी पात्र शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता की परवाह किये बिना नियमितीकरण के लिए उचित तौर पर समान अवसर दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त अस्थायी शिक्षकों की परिभाषा में योग प्रशिक्षकों के लिए अपवाद को शामिल करना, उनके मूल्यवान योग को मान्यता देते हुए विषयवस्तु विशेषज्ञता के आधार पर अधिमान्य उपचार के बारे में चिन्ता पैदा करता है।

माननीय सभापति महोदय, निष्कर्ष में मेरा यह कहना है अस्थायी शिक्षकों के मुददे को सम्बोधित करने का इरादा महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित संशोधन निष्पक्षता और समानता, स्पष्ट के बारे में चिंताएं पैदा करता है। हम सरकार से संशोधन के विशिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सभी पात्र शिक्षकों को विषय विशेषज्ञता के आधार पर किसी भी अध्यमान उपचार के बिना नियमितीकरण करने के अवसर प्रदान किये जाएं और इन संशोधनों को माना जाए। तब तक इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के मुख से योग शब्द सुनकर बड़ा अच्छा लगा और राजस्थान विश्वविद्यालयों में अस्थायी तौर पर ही सही, पर योग शिक्षकों की भर्ती के बारे में आपने सोचा। यहां तक तो बात अच्छी है, सही है, लेकिन जिस तरह से इन पिछले चार-साढ़े चार सालों में आप लोग विधेयक लाये हैं या नियम बनाये हैं, आदेश निकाले हैं, उनको देखते हुए इस पर भी शक होता है कि इसमें भी कुछ होगा कि नहीं होगा। होगा, तो भी क्या होगा? क्योंकि आधी-अधूरी तैयारी के साथ में सरकार सदन में आती है और फिर उसमें बार-बार संशोधन करने पड़ते हैं। इसमें भी जितना गहन विचार होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है। मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने बोलते समय उन कमियों की तरफ ध्यान दिलाया है, उन पर ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक विभाग की कार्य-शैली का सवाल है, बाकी विभाग का जो हाल हुआ है, वही हाल इसका भी होना है। गुणवत्ता सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं है। मैं मेरे जालौर का उदाहरण दूं। वहां पर लड़कों का पी.जी. कालेज अलग है, लड़कियों का पी.जी. कालेज अलग है। लड़कों का पी.जी. कालेज बना था 41 साल पहले और उस समय वहां पर जो तीन विषय खोले थे, आर्ट्स में तीन और कामर्स में एक विषय खोला था, आज तक उसमें कोई विषय नहीं बढ़ा है। आवश्यकता है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही गर्ल्स पी.जी. कालेज में है। सिर्फ एक सब्जैक्ट खोला है, बाकी विषयों के लिए बच्चियों की डिमांड आ रही है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। पढ़ाने वालों की संख्या का तो जिक्र नहीं करूं, वह अच्छा रहेगा। अभी कुछ गिनती के लोग आपने भेजे हैं, वह होने के बाद भी आधे से ज्यादा पद दोनों कालेजों में खाली हैं। यही हालत इसमें भी होनी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली की बात कहूंगा। जितने भी टैक्निकल शिक्षा वाले कालेज होते हैं, उन सबके पेरेंटल डिपार्टमेंट, मूल विभाग अपनी-अपनी तकनीकी विशेषता वाले होते हैं। जैसे कि चिकित्सा शिक्षा है तो पहले चिकित्सा विभाग होता था, बाद में हमने चिकित्सा शिक्षा विभाग खोल दिया, वह हो गया। पशु चिकित्सा सम्बन्धी जितने कालेज हैं, वे सारे पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं, पशु चिकित्सा उनका मूल विभाग है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में है, लेकिन जालौर में दो साल पहले कृषि महाविद्यालय खोला,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दूसरा सत्र उसका पूरा हो गया, उस कालेज का मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग है। ऐसा क्यों है? एग्रीकल्चर विभाग क्यों नहीं है? सारा कुछ उसमें जो होना है, तकनीकी जो कुछ होना है, कृषि विज्ञान केन्द्र हमारे वहां बना हुआ है, उसके साथ क्या इसको आपकी जोड़ने की योजना है? वह अलग विभाग में है, और यूनिवर्सिटी, पहले जोधपुर में जोड़ दिया था, अब जैसे-तैसे करके उसको संशोधन किया तो बीकानेर की कृषि यूनिवर्सिटी से जोड़ा है। यह बार-बार आपको संशोधन क्यों करने पड़ रहे हैं? एक ही बार में समग्रता से विचार क्यों नहीं हो रहा? एग्रीकल्चर कालेज है तो पहले से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिये था। यह स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिये थी और गहन सोच के अभाव में और समग्र सोच के अभाव में सरकार उल्टे-सीधे, आधे-अधूरे प्रस्ताव लाती है। फिर उनमें बार-बार संशोधन करके सदन का समय भी जाया करते हैं और सरकारी मशीनरी का समय भी जाया होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी जितना पूरा विचार होना चाहिये था, इस बिल में भी उतना हुआ नहीं है, वह हो जाए। पूरी प्रक्रिया निर्धारित हो जाए उसके बाद इस बिल को दुबारा लाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के लिए जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं इस बात के साथ वापस लेना चाहता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही सही, सरकार ने उन अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने का मन तो बनाया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन तमाम विभागों में, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आये हुए हैं आप उन तमाम अस्थायी लोगों को स्थायी करने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे यह उम्मीद है कि जो आपने महाविद्यालय खोले, उनसे आज उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के छात्र-छात्राओं को जो हौसला मिला है सरकारी स्कूलों और कालेजों में पढ़ने का, उसको बढ़ावा देने के लिए आपने विद्या सम्बल योजना में जिन टीचर्स को लगाया है, आप उनको स्थायी करो और अब सत्र शुरू हो गया तो विद्या सम्बल में तुरन्त प्रभाव से उनको लेकर पूरे सेशन में उनको लेओ।

(श्री बलवान पूनियां)

जहां तक 180 दिन की बात है, जिनके भी 180 दिन पूरे हो गये और उनको भी स्थायी करो, ताकि उच्च शिक्षा में आपने जिस मंशा के साथ में एग्रीकल्चर कालेज खोले, आपने आर्ट्स कालेज खोले, आपने साइन्स के कालेज खोले, आपने छात्राओं के अलग से कालेज खोले हैं, सब में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल बने और लोग पी.जी. तक उच्च अध्ययन कर पाएं। राजस्थान का युवा छात्र सरकार की इस बात का धन्यवाद करेगा कि आपने उन्हें उच्च शिक्षा तक जाने का मौका दिया है और वह भी थोड़ी-सी फीस में, और इससे सरकारी योजनाओं का फायदा भी उसको मिलता रहेगा। इसलिये मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित), श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में न केवल प्रचारित किया, बल्कि विश्व योग दिवस मनाने के लिए भी पूरे विश्व को एक दिशा-निर्देश दिया। आज हम सब लोग योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में इस विधेयक में दो छोटे-छोटे संशोधन हैं या दो कार्य लिये गये हैं। मेरे से पूर्व कुछ वक्ताओं ने बात कही है।

मैं मेरी बात को शुरू करूं कि संविदाकर्मियों को नियुक्त करने के बारे में भी आपको विचार करना चाहिये था। जो अस्थायी शिक्षक हैं, उनको स्थायी करो, यह तो निश्चित रूप से हम आपकी बात को मानते हैं। लम्बे समय से इस बात की मांग थी कि इस राजस्थान राज्य के नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में कुठाराघात होता आ रहा था और जो 19-19 बार पेपर लीक होने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया था और जो लम्बे समय से अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको थोड़ा सहारा मिलने की बात तो इस बिल के माध्यम से होगी, लेकिन वह भी आपने नहीं किया। वह सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार आपको करने पर मजबूर होना पड़ा है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि सारे संविदाकर्मियों ने जो इस राजस्थान राज्य के नौजवान हैं, उन्होंने आपके अन्दर विश्वास करके संविदाकर्मी के रूप में काम करना स्वीकार किया, उन लोगों के परिवार हैं। आज वर्षों से काम करते-करते उनका परिवार इस बात का इंतजार कर रहा है कि कभी सरकार हमारे ऊपर भी ध्यान देगी। मैं राजस्थान के तमाम संविदाकर्मियों की तरफ से आपसे यह मांग करता हूं कि आप एक ऐसा बिल, यह जो बिल आप लेकर आये हैं, नियमितीकरण करने का, स्थायीकरण करने का, इसके अन्दर सारे संविदाकर्मियों को भी जोड़कर यदि इस बिल को लेकर आते तो नौजवानों के साथ में आप न्याय करते। नौजवानों के साथ में, सरकार ने असत्य वादे करके उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसी स्थिति के अन्दर सरकार को अपना प्रायश्चित करना चाहिये था कि उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हो। उन नौजवानों के लिए, जो संविदाकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। उन संविदाकर्मियों के लिए आपको नियमितीकरण की तरफ काम करना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आऊंगा विद्या सम्बल योजना के ऊपर। माननीय सभापति महोदय, विद्या सम्बल के अन्दर उन लोगों को काम दिया जाता है जो योग्य समझे जाते हैं। योग्य यदि नहीं समझे जाते तो महाविद्यालयों के अन्दर उनको पढ़ाने के लिए, उन छात्रों का भविष्य खराब करने के लिए उनको नहीं भेजा जाता, लेकिन राजस्थान की सरकार यह मानती है कि वे योग्य शिक्षक हो सकते हैं और उनको विद्या सम्बल योजना के तहत काम करने के लिए दिया गया। कइयों को 180 दिन हो गये। यह अलग बात है, यह दीगर बात है कि राजस्थान की सरकार उन लोगों के भविष्य को खराब करने के लिए बीच में ब्रेक देकर के उनके 180 दिन पूरे नहीं होने दे। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि विद्या सम्बल के तहत जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आप उन लोगों को योग्य मानकर के महाविद्यालयों के अन्दर पढ़ाने के लिए कालांश दे रहे हैं। इसलिए उन नौजवानों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ मत करिए। उनको भी आप स्थायी करते। ऐसा इस बिल के अन्दर यदि विद्या सम्बल के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता तो निश्चित रूप से उनके भविष्य के साथ में न्याय होता। बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है। मैं बाकी बातें कर चुका हूं। महाविद्यालय शिक्षा, स्कूल शिक्षा, राजस्थान के

(श्री अभिनेश महर्षि)

अन्दर शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के अन्दर हमारा स्टेट पिछड़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति के अन्दर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि राजस्थान सरकार को, मंत्री महोदय को डायरेक्शंस दें कि इस बिल के अन्दर यह बाकी चीजें भी शामिल करें और इसको जनमत के लिए भेजें। यह शिक्षा का मामला है। नौजवानों के भविष्य के लिए हम काम करने के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए यह आनन-फानन में आधा-अधूरा संशोधन लेकर नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का खेल इस राजस्थान की सरकार को नहीं करना चाहिए। इसको 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैं आपको निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा (हाथ के इशारे से बोलने के लिए मना किया)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी अध्यापकों का आमेलन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार कर रहा है।

सभापति महोदय, मूल रूप से जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी अध्यापकों का आमेलन विधेयक, 2008 बना था, उसकी मूल धारा में, धारा 2 (1) के खण्ड 4 में और सैक्शन 6 के एक परन्तुक के माध्यम से सरकार संशोधन लेकर आयी है। मूल विधेयक 2008 की धारा 2 की उप धारा 1 में जो संशोधन लेकर आयी है, उसमें संशोधन के माध्यम से शेष रहे अस्थायी अध्यापकों में योगा इंस्ट्रक्टर को सम्मिलित करने का संशोधन, वहीं धारा 2 (1) के खण्ड 4 में, अभिव्यक्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में कार्यरत योगा शिक्षकों और संविदा या प्रतिनियुक्ति पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों की परिभाषा में इसको शामिल किया गया है। सैक्शन 6 में एक परन्तुक जोड़कर अस्थायी शिक्षकों के अधिनियम लागू होने के पश्चात् जो पूर्व में 180 दिन की लिमिटेशन थी, उसके अन्दर रिलेक्सेशन लेने का प्रस्ताव सरकार लेकर आयी है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के कारणों और कथन में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को उद्धृत किया है। यह निर्णय है उमा देवी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्सेज स्टेट आफ कर्नाटक, इसमें मूल रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया था कि अगर कोई कर्मी लगातार 10 वर्ष तक किसी सरकारी विभाग में नियमित सेवा दे दे तो समान कार्य समान वेतन के आधार पर उनको नियमित करने का उसका अधिकार बन जाता है। योगा टीचर्स, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए सरकार यह रिलेक्सेशन लेकर आयी है। इस बार यू.एन.ओ. के अन्दर प्रधान मंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब योगा कर रहे थे तो 126 देशों के प्रतिनिधि उनके पीछे आकर बैठे और गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में वह नाम गया।

सभापति महोदय, सरकार का एक बड़ा वाइड स्कोप है। सरकार नियमित करने के लिए योगा टीचर्स और योगा इंस्ट्रक्टर के लिए रिलेक्सेशन लेकर आयी है। लेकिन वे सेवा कर्मी, जो उमा देवी प्रकरण के अन्दर नियमित होने के लिए अपनी पात्रता रखते हैं, लॉ आफ नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि सरकार के सामने, जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं, उमा देवी के प्रकरण के अनुसार जिन्होंने अर्हताएं पूरी कर ली हैं, उनका नियमितीकरण करने के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। यह इसलिए भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस बात का जिक्र रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि सरकार जब अपने नीति दस्तावेज, जिसको पहले जन घोषणा-पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव के हाथ में दिया था, उसके भी पृष्ठ 15 के पैरा 3 में इन्होंने कहा था कि संविदा कर्मियों, एन.आर.एच.एम.-एन.यू.एच.एम. कर्मियों, पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश-आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायती सहायकों को हम नियमित करेंगे।

सभापति महोदय, यह जो 2008 के बाद की अधिकांश नियुक्तियां हैं, यह उमा देवी प्रकरण की परिधि में वे सारी की सारी बातें, जिस सिद्धांत के आधार पर यह सरकार बिल लेकर आयी है, उसको पूरा करते हैं? इसके साथ ही इसी सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए जनवरी, 2019 में कल्ला जी की कमेटी बनायी थी और 3 साल बाद इस कल्ला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी और संविदा सेवा नियम, 2022 बनाये। यानी संविदा कर्मियों को फिर संविदा में रखने का काम कर लिया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो 2008 का मूल बिल आया था, Rajasthan Universities' Teachers (Absorption of Temporary Teachers) Act,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2008, इसके पीछे मूल भावना यह थी कि उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में 20 वर्ष से ज्यादा अध्यापक, जो अलग-अलग समय में भर्ती हुए, जो पढ़ाई करा रहे थे, वे नियमितीकरण करने की बात कर रहे थे। इसलिए सरकार यह मूल एक्ट लेकर के आई और उसमें कहा कि इस विधेयक के पारित होने के 180 दिन में यह नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और इसके बाद किसी का नियमितीकरण नहीं किया जायेगा। इसी मूल एक्ट के सैक्शन 7 में स्क्रीनिंग कमेटी बनी। उस स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय टीचर्स थे, जो अर्हताएं रखते थे, उन सबको नियमित किया गया।

अब 2008 के बाद, लम्बे अंतराल के बाद सरकार यह अमेंडमेंट लेकर आयी है। मुझे इस अमेंडमेंट से कोई विरोध नहीं है। मुझे योगा टीचर्स, इंस्ट्रक्टर के नाम पर नियमितीकरण का भी विरोध नहीं है। सभापति महोदय, सरकार दो लाठियों से लोगों को नहीं हांक सकती। दो नजर सरकार की नहीं हो सकती। सरकार, सरकार है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर इनको आप नियमित करते हो तो वे लोग जिनसे आपने वादा किया था, जो उमा देवी प्रकरण के लिए, जिसका उद्धृत आपने उद्देश्य के कारणों के कथन में किया, उस परिधि में आते हैं, उसके बारे में निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि 2008 में जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, इसके पीछे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यह जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के टीचर्स, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था, जिनको दशौरा कमेटी ने अवैधानिक किया, बी.एम. शर्मा ने रेगुलाइज किया, उन सबको इसी परिधि में लाकर, आप देख लेना, जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आर्डिनेंस जारी करके सरकार इस प्रकार का काम करेगी।

सभापति महोदय, मुझसे पहले उच्च शिक्षा की बहुत बातें हुईं। मैं उन पर लम्बी बात नहीं कहूंगा। मैं इस बिल के आर्बिट में ही बोलना चाहता हूं लेकिन मैं सदन को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे यहां आज के इस बिल पारण के बाद 29 सरकारी विश्वविद्यालय हो गये। हमारे 27 सरकारी विश्वविद्यालयों ने 'नैक' में एप्लाई नहीं किया। यह 'नैक' है, National Assessment and Accredititation Council, अब हमारा क्या स्तर है? हमारा कोई विश्वविद्यालय 'नैक' के अन्दर रिकोग्नाइज्ड नहीं है, उसकी डिग्री, हम कितनी ही बातें कर लें कि हम ग्लोबल तौर पर संस्थाएं लेकर आ रहे हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज विश्वविद्यालयों में 60 परसेंट फैकल्टी नहीं हैं, अशैक्षणिक कर्मचारियों के पद खाली हैं।

मंत्री महोदय, आपने 15 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक बैठक की थी। मैं क्या यह असत्य बोल रहा हूं तो आप कहना, चार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने खड़े होकर कहा कि हम ही तो विश्वविद्यालय हैं, हम ही विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं, न हमारे विश्वविद्यालय में कोई छात्र है, न फैकल्टी हैं। हम ही हैं। हमें मनोनीत कर दिया आपने। सरकार ने रेवड़ी बांट दी, उसके लिए तो धन्यवाद। आप यह खिलवाड़ मत करो। आने वाला समय इन सारी चीजों का मूल्यांकन कर रहा है। इसलिए अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप सरकार हो, आप गवर्नमेंट बनो, मिनट-मिनट में गौर करो। सरकार होती है जो सरक-सरक कर चलती है, माननीय मंत्रीजी, आप गवर्नमेंट बनो और गौर करो इस बात को कि उमा देवी के प्रकरण से जो समानता रखते हैं आज राजस्थान में, जो भी कर्मी इस एजुकेशन और हायर एजुकेशन की परिधि में, आयू.यू.एच.एस. के अन्दर आप देख लीजिए, कोरोना के अन्दर कितना उन्होंने इस प्रकार का काम किया? दस-दस सालों से उन्होंने नौकरी की है। माननीय सभापति महोदय, दस साल से ज्यादा नौकरी हो गई है उनकी, जो आर.यू.एच.एस. के अन्दर नौकरी कर रहे हैं, इस हैल्थ यूनिवर्सिटी के अन्दर। उनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए जब आपने इस पैंडोरा बाक्स को खोला है तो इस पैंडोरा बाक्स में उन सब लोगों को, या तो आपको उमा देवी प्रकरण का नाम नहीं लिखना चाहिए था, अगर नाम लिखा है तो उसकी परिधि में जितने भी संविदा कर्मी आते हैं, वे मांग करेंगे आपसे, जनता के बीच में हम जाएंगे, आप योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर को नियमित करने का प्रस्ताव लाए हो, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज हमारी ताकत इतनी तो हो गई कि योगा और हमारी संस्कृति के बारे में आप जैसे लोग भी सोचने लग गये, लेकिन इसके साथ बाकी सब लोगों के साथ आप इस प्रकार का भेदभाव मत करो। आप इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करो और हम लोग जब आएंगे तो वह समय आ जाएगा, उधर से हम इसको पारित करेंगे, इसमें सारे समानता वाले अन्य कर्मी हैं, उनको नियमित करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, सदन में आज, THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) (AMENDEMENT) BILL, 2023 विचार एवं पारण हेतु पेश किया गया। सभी माननीय सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से इस पर चर्चा में भाग लिया। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाये गये बिन्दुओं का यथा सम्भव समाधान करने का प्रयास करता हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये देखकर पढ़ रहे हैं, इसको टेबल करवा दो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आप भी पढ़ रहे थे जब मैं देख रहा था, पर आप में कला आ गई है थोड़ी-सी बातें बोलने की।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अंतर्गत स्टाफ अरेंजमेंट के तहत स्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 2008

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

में राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक अस्थायी का आमलेन अध्यादेश, 2008 लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधान सभा में लाया जाकर विधेयक पारित करने के उपरांत इसे विधेयक के रूप में जारी किया गया। इस अध्यादेश के अधिनियम के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाये जाने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में सेवा के लिए स्थायी किया गया। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली और विभिन्न एजेंसियों के बीच हुए एम.ओ.यू. के माध्यम से 2008 से पहले के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुछ अस्थायी शिक्षक, योग प्रशिक्षक 2008 के आमेलन अध्यादेश में कतिपय कारणों से कवर होने से रह गये। अत: राज्य सरकार ने ऐसे लेफ्ट आउट अस्थायी शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों को भी 2008 के मूल अधिनियम के मूल प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाये जाने पर विश्वविद्यालय सेवा में स्थायी करने का निर्णय लिया। इस हेतु 2008 के आमेलन अधिनियम में स्थायी शिक्षकों की परिभाषा को संशोधित करने व मूल अधिनियम के द्वारा आमेलन हेतु निर्धारित 180 दिवस की अवधि में छूट दिए जाने हेतु संशोधन विधेयक लाया गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह 'कतिपय' क्या होता है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सदस्य, थोड़ा कम उछलो।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी सदस्यों ने अपने अलग-अलग विचार रखे। उन सभी ने कहा कि बिल्डिंग्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये सब हैं तो फिर राज्य में सकल नामांकन अनुपात जी.आर. वर्ष 2018-19 में 22.7 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 26.1 प्रतिशत हो गया। सकल नामांकन अनुपात में यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से ज्यादा है। इसके साथ-साथ बार-बार यह कहा गया कि यूनिवर्सिटीज में पैसा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपको कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विगत वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा 516 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के अधीन संचालित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों हेतु 455 करोड़

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए 132 करोड़ रुपये, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए 115 करोड़ रुपये और सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के लिए 161 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

बार-बार यह कहा गया कि राजस्थान उच्च शिक्षा में पिछड़ रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में राजस्थान हायर एजुकेशन में आगे है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम लागू कर 50 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय कामर्स एवं राजस्थान कालेज अपग्रेडेशन हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर स्पोर्ट्स के लिए ट्रैक के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन के अपग्रेड करने के लिए 500 शिक्षकों को देश के प्रथम 100 एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग के एवं विदेश के 100 क्यू.एस. रैंकिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग कराये जाने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विद्या सम्बल योजना के लिए आप बार-बार, विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य सम्पादित कराने हेतु विद्या सम्बल योजना लागू की गई है। माननीय विधायक, रामगंज मण्डी ने संविदा के तहत शिक्षक रखने की बात कही है। इसमें मेरा निवेदन है कि मूल विधेयक 2008 में आपके कार्यकाल में लाया गया था और इस विधेयक में 2008 के विधेयक में छूट गये शिक्षकों को आमेलित करने का प्रावधान किया है। यह विधेयक नई भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि पहले से, वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों को राहत देने के लिए है। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मोट्स रोस्टर रजिस्टर विश्वविद्यालयों को भेजा है। अभी 1913 पदों पर भर्ती कालेजों में होगी, इसमें नियमानुसार आरक्षण दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS (ABSORPTION OF TEMPORARY TEACHERS) (AMENDMENT) BILL, 2023 को पारित किया जाए, ताकि विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत तथा वर्ष 2008 के आमेलन अधिनियम के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

स्थायी होने से वंचित रहे, लेफ्ट आउट शिक्षकों, योग शिक्षकों को स्क्रीनिंग के माध्यम से पात्र पाये जाने पर विश्वविद्यालय सेवा में नियमित किया जा सके।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(समय: 17.00 बजे)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र जी यादव।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश हुआ है अभी। माननीय सभापति महोदय, जो एक्ट है 1974 का, उसमें समस्त विश्वविद्यालय, उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी इन्क्लूड होती हैं, वह सब 1974 के एक्ट के अनुरूप ही चलता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो अभी एक्ट आ रहा है, मैं समर्थन करता हूं उसका, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज रहे हैं, उन्हें भी इसमें इन्क्लूड किया जाए। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि Act is similar और उसमें मैं बात करना चाहूंगा आरयू.एच.एस. की। यह यूनिवर्सिटी 2008 में बनी थी और वह वर्क कर रही है, उसमें डाक्टर्स काम कर रहे हैं। अस्थायी शिक्षक हैं, 10-12 वर्ष हो गये उन्हें और कोरोना में उनका बेहतरीन काम रहा, वे एम.सी.आई. से रैकग्नाइज्ड हैं। जो हमारे टीचर्स और लैक्चरर्स हैं, उन्हें मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया से रैकग्निशन मिला हुआ है। कोरोना में नोर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हास्पिटल बन गया था यह आर.यू.एच.एस.। एक हजार पेशेंट्स पर-डे मैनेज कर रहे थे वे लोग। सौभाग्य से मेरा बच्चा भी उसमें था। वह तो इसमें नहीं है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वह तो परमानेंट टीचर है, लेकिन रैस्पिरेटरी मेडिसिन का होने के नाते उसकी भी ड्यूटी लगती थी। इन डाक्टर्स ने जान हथेली पर रखकर कार्य किया। बहुत प्रॉमिनेंट डाक्टर्स ने, नर्सेज ने जानें दीं।

सभापति महोदय, 2009 में आप भी मंत्री थे। उस समय जो यूनिवर्सिटीज थीं, उनके अन्दर 700 से 800 प्राइवेट मेडिकल टीचर्स थे हमारे कालेजों के। हमारे पास आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन नहीं होता था। उस समय प्राइवेट टीचर्स थे कालेजों के, जिनको हम मदद करते थे। उन सबको हमने राजस्थान की गवर्नमेंट सर्विसेज में एब्जोर्ब किया था। वे सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आर.यू.एच.एस. में अभी भी 10-12 ऐसे हैं, जो ओवर-एज होने की स्थिति में हैं। उन सबको रैकग्नाइज्ड नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, जो एक्ट है यूनिवर्सिटी का, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, वह एन.ओ.सी. देता है इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को रैकग्निशन की। जब मैं 2009 में था, मैंने इनको रैकग्निशन दी है।

इसके अन्दर अलग-अलग रूल्स नहीं बनते यूनिवर्सिटी के कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूल तो अलग बनेगा और राजस्थान विश्वविद्यालय का नियम

(श्री जितेन्द्र सिंह)

अलग बनेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो हमारे 10-12 टीचर्स हैं, जो ओवर-एज होने जा रहे हैं, वे कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कौन उन्हें सरकारी नौकरी देगा? 5-6 लड़कियां हैं, 5-6 डाक्टर्स हैं, 12 डाक्टर्स बचे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह आपका काम है। जिन्होंने अपनी लाइव्ज सैक्रिफाइस कर दीं कोरोना में, उनको रैकग्निशन के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो एक्ट है 1974 का, उसके अन्तर्गत उन्हें एब्जोर्ब करें। आप इनके अन्दर योग टीचर्स को तो एब्जोर्ब कर रहे हैं जो क्यू में नहीं थे और वे 10-12 डाक्टर्स जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख दी, उनको कोई रैकग्निशन नहीं है।

सभापति महोदय, आपसे आग्रह है, It will be injustice. आर.यू.एच.एस. के उन डाक्टर्स को रैकग्निशन दें। भले ही आज आप बिल को पारित कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि आप कोई सब्सिट्यूट बिल लाकर इसमें इसको एड करें। इसको टालें नहीं, वरना उनका भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा। सभापति महोदय, कोई डाक्टर सरकार की नौकरियों में सर्विस करने के लिए नहीं आयेगा। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जो आर.यू.एच.एस. के डाक्टर्स हैं, जिन्हें रैकग्निशन में नहीं लिया जा रहा है, उन्हें आप रैकग्नाइज करें। मैं सरकार द्वारा रखे जा रहे इस बिल के पक्ष में हूं, लेकिन मेरा आग्रह है कि उन 10-12 डाक्टर्स के भविष्य के लिए तुरन्त निर्णय लें। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023, यह 2008 के विधेयक का संशोधन ला रहे हैं। 2008 में मैं भी मंत्री था। डिस्कशन के समय ये One Time Act ला रहे थे, ताकि 20 वर्ष या उससे अधिक के समय में जो टीचर्स थे, उनको अकोमोडेट करके करें। क्या यह सरकार इतनी भी कोशिश नहीं कर सकती कि जिस भी पीरियड में डिमांड है कि ये टीचर्स अस्थायी हैं, अस्थायी की परमिशन ही क्यों दें, पहले स्थायी करें न। वित्त विभाग क्यों नहीं परमिशन देता? पर वित्त विभाग की परमिशन नहीं लेकर अस्थायी करेंगे, उसके बाद में 20 साल, उसमें रोस्टर प्रणाली भी आपको मेंटेन करनी है, तो एम्प्लायमेंट के टाइम करते। क्या

(श्री नरपत सिंह राजवी)

शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. के लोग इसमें जाना नहीं चाहते? बैक डोर एंट्री का हम विरोध करते हैं। अब फिर आप बैक डोर एंट्री से, सिर्फ योग के नाम से, और होगा कौन? मैं कहता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर यह बिल लाया गया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो प्लेसमेंट एजेंसी का है, वह एडहॉक पर नहीं है, वह आन कान्ट्रैक्ट भी नहीं है, उसे अकोमोडेट करने के लिए। वह एक्सरसाइज कराते हैं, हमारे एक सदन के नेता को एक्सरसाइज कराते हैं और उसके लिए उसको अकोमोडेट करने के लिए, अगर आप कहेंगे तो मैं तो नाम भी घोषित कर दूंगा। +++ है उनका नाम। उसका विरोध हम करते हैं। इस प्रकार के एक्ट को एक आदमी के बैनिफिट के लिए लाना, यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालूराम।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आप राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 लाये हैं...

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह जो अभी पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, यह सीधा-सीधा आरोप है। बिना किसी नोटिस के इस तरह का आरोप लगाना, यह आरोप सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

श्री सभापति: विलोपित किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह कोई आरोप नहीं है। कई बार सदन में बिल जब किसी एक व्यक्ति या समूह को लाभ देने के लिए लाये जाते हैं तो उसके बारे में ही तो माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है। यदि ऐसा नहीं है तो आप खण्डन कर दें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने सदन के नेता का नाम लिया। सदन के नेता दो नहीं होते। राठौड़ साहब, माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता दो नहीं होते।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा किसी का भी। कोई अंकित नहीं होगा। विराजिये। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): 000 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, क्या हो रहा है यह? (व्यवधान)

श्री कालूराम (डग): 2008 के एक्ट में आप जो संशोधन लेकर आये, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये संशोधन लाये हैं इसमें अस्थायी अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात् आप नियमित करने का संशोधन बिल लेकर आये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बच्चे, कई युवा ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थी मित्र बने 6-6 साल हो गये, 5-5 साल हो गये, उन्हें आज भी पंचायत सहायक के रूप में आप 6 हजार रुपये, 7 हजार रुपये दे रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप 180 दिन में उन अध्यापकों को नियमित करने का काम करें। उन युवाओं का भी आप ध्यान रखें। उनका भी ख्याल करें कि कितने शिक्षित बेरोजगार राजस्थान में आज घूम रहे हैं।

इस सरकार ने वादा किया था कि जो शिक्षित बेराजेगार हैं, हम उनको रोजगार देंगे और सबको नियमित करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, चाहे पंचायत सहायक हों, चाहे पंचायतकर्मी हों, शिक्षाकर्मी हों और एन.आर.एच.एम. में हैं, इन सबको स्थायी करें। इस बिल को जनमत जानने हेतु 3 महीने के लिए परिचालित करने के लिए कहता हूं और इस बिल को वापस लिया जाए।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री, पारित करवाएं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.12 बजे मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ के तालाब व एनिकट हेतु स्वीकृत बजट

449. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जिला प्रतापगढ़ में मजेसरिया, जाम्बुखेड़ा, दांतलाकुण्ड खोरा, रतनपुरिया, मोटाधामनिया, कानगढ़, आम्बीरामा, रायपुर जंगल, भुगरीफला, बिलेश्री, बागलिया, मांडवी, कान्या डाबरा, बिलड़ी, सिंगाड़ों का खेड़ा, बोरी, लिलिया, बुध्या कुण्ड चौकलीपिपली, टांडा खेड़ा एनिकट तथा ढोबड़, चौरायता, बनेड़िया, लुहारिया, पीपलीखेड़ा, देवपुरा रानपुर तथा फूलदा तालाब हेतु बजट स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले में वर्णित 25 स्थानों पर एनिकट/तालाब निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण एवं जल उपलब्धता का आंकलन कर तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) के अनुमोदन उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है एवं मोटाधामनिया एनिकट का कार्य बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, परन्तु एनिकट निर्माण में निजी एवं वन भूमि आने से कार्य एनिकट निर्माण हेतु विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं हैं।

अधूरे तारांकित प्रश्नों का पूर्ण विवरण

ग्रीन टैक्स से प्राप्त आय

455. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को विगत पांच वर्षों में ग्रीन टैक्स से कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट अनुसार जयपुर, जोधपुर दुनिया के सबसे प्रदूषित पन्द्रह शहरों की सूची में शामिल हैं? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों से ग्रीन टैक्स की प्राप्त राशि किस-किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स से वसूली गई राशि अन्य कार्यों पर व्यय की गई है? यदि हां, तो किन-किन कार्यों पर, किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महालेखाकार से प्राप्त आंकडों से अंक मिलान के पश्चात् तैयार लेखों के अनुसार विगत 5 वर्षों में सरकार को 2018-19 से 2022-23 तक ग्रीन टैक्स से प्राप्त हुई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ में)
1	2018-19	173.15
2	2019-20	218.47
3	2020-21	173.84
4	2021-22	222.72
5	2022-23	236.22
योग		**1,024.4**

(2) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाईजेशन की रिपोर्ट अनुसार जयपुर, जोधपुर दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों की सूची में शामिल हैं, के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की

(राज्य मंत्री, परिवहन)

जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एक मुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है।) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि. अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुर्नभरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आर.ओ.बी./आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष/जिले में प्राप्त ग्रीन टैक्स की राशि अथवा विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की कुल प्राप्त राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) का विवरण निम्न प्रकार है-

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार	969.79 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	1,024.40 करोड़
3.	स्टाम्पप अधिनियम के तहत अधिभार (माह 12/2022 तक)	1,702.03
	कुल	**3,696.22 करोड़**

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार की उपलब्ध समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं/कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	RSRTC को अनुदान	1,401.13 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	212.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	11.30 करोड
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	9.03 करोड़

(राज्य मंत्री, परिवहन)

6.	APCBL को अनुदान	9.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	400.60 करोड़
8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु, RUIRP I,II Works (सड़क, पार्क, अम्बेडकर भवन, श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक, शौचालय, ड्रेनेज इत्यादि के निर्माण पुनरुद्धार हेतु करवाये गये कार्यों के पेटे जारी)	501.06 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी	76.67 करोड़
10.	MJSA मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जारी	17.20 करोड़
11.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी	22.18 करोड़
	कुल	**2,679.23 करोड़**

(3) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एक मुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है।) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि., अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आर.ओ.बी./आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष/जिले में प्राप्त ग्रीन टैक्स की राशि अथवा विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की कुल प्राप्त राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) का विवरण निम्न प्रकार है-

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार	969.79 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	1,024.40 करोड़
3.	स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार (माह 12/2022 तक)	1,702.03 करोड़
	कुल	**3,696.22 करोड़**

गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार की उपलब्ध समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं/कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	RSRTC को अनुदान	1,401.13 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	212.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	11.30 करोड़
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	9.03 करोड़
6.	APCBL को अनुदान	9.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	400.60 करोड़
8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु, RUIRP I, II Works (सड़क, पार्क, अंबेडकर भवन श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक शौचालय, ड्रेनेज इत्यादि के निर्माण पुनरुद्धार हेतु करवाये गये कार्यों के पेटे जारी)	501.06 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी	76.67 करोड़
10.	MJSA मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जारी	17.20 करोड़
11.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी	22.18 करोड़
	कुल	**2,679.23 करोड़**

मां-बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगी

456. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार मां-बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को संविदाकर्मी के रूप में नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मां-बाड़ी/डे-केयर योजना में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को संविदा कार्मिक का दर्जा देने हेतु योजना मार्गदर्शिका में कोई प्रावधान नहीं है। इनको योजना मार्गदर्शिका अनुसार जनजाति ग्राम विकास समिति के माध्यम से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा सहयोगियों को संविदाकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। शिक्षा सहयोगियों की सेवा योजना में मानदेय आधारित होने से संविदाकर्मी का दर्जा देने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

रायसिंहनगर में लम्बित विद्युत कनेक्शन

457. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माह दिसम्बर, 2022 तक डिमांड नोटिस की राशि जमा करवाने के उपरांत भी बी.पी.एल., सामान्य, कृषि व स्पेशल विद्युत कनेक्शन लम्बित हैं? यदि हां, तो संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त को कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे व सरकार अब कब तक विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माह दिसम्बर, 2022 के अंत तक बी.पी.एल. घरेलू श्रेणी में कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। कृषि श्रेणी में मांग पत्र जमा वाले सामान्य योजना में सामान्य वर्ग श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी एवं बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना श्रेणी के लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) रूट विवाद व कोर्ट केस में लम्बित आवेदकों को छोड़कर अन्य लम्बित आवेदकों को वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का कार्य

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)
प्रगति पर है जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। लम्बित आवेदनों का लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहर थाना में संचालित अवैध शराब की दुकानें

459. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अनुज्ञाधारी दुकानों के अलावा गांव-गांव में अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में रात्रि आठ बजे पश्चात् भी शराब की दुकान संचालित होती हैं? यदि हां, तो कितनी अनुज्ञाधारी दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में अनुज्ञाधारी मदिरा दुकानें ही संचालित हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में मदिरा की दुकानें रात्रि आठ बजे तक ही संचालित होती हैं।

सिवाना में नवगठित पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा सुविधा

460. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अब तक कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अब तक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त में कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि पशु चिकित्सा सुविधायुक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों में भवन नहीं होने व रिक्त पद नहीं भरने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 50 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल 87 ग्राम पंचायतों में से 50 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं तथा 37 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन हैं।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पशु चिकित्सा संस्थांओं के राजकीय भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्धत में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नसीराबाद में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

463. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितनी सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियों के भवन, गोदाम विद्यमान हैं? माह दिसम्बर, 2022 तक कितनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण व कितने अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में सहकारी समितियों को कितना-कितना खाद प्राप्त हुआ? समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 11 अन्य सहकारी समितियों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एवं 01 क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गोदाम विद्यमान हैं। सूची परिशिष्ट-2

(सहकारिता मंत्री)

पर संलग्न है। दिसम्बर, 2022 तक 01 ग्राम सेवा सहकारी समिति (साम्प्रोदा) में गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो अभी निर्माणाधीन है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में सहकारी समितियों को 4,593.95 मै.टन डी.ए.पी. व 3,480.73 मै.टन यूरिया खाद प्रदान की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सूरतगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लाभार्थी

464. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए पात्रता के आधार पर निर्धारण किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पंजीयन के उपरांत सभी आवेदकों को खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदक अब तक वंचित हैं? उक्त वंचितों को कब तक योजना में जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक 11,398 परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 6,005 अपीलें लम्बित हैं, जिनके नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर के परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

466. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) विगत दो वर्षों में बीकानेर सम्भाग में कितनी नई बसें संचालित की गईं तथा कितने मार्गों पर बसों का संचालन बंद किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को परिवहन सेवा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 41 ग्राम पंचायत मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत 2 वर्षों में बीकानेर सम्भाग में निजी बसों को 872 नये परमिट जारी किये गये तथा बसों का संचालन बंद नहीं किया गया।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बीकानेर सम्भाग में विगत 2 वर्षों में 35 नई बसें संचालित की गईं तथा 7 मार्गों पर बसों का संचालन बंद किया गया, जिनका विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में परिवहन सेवा से वंचित रही लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़े जाने हेतु ग्रामीण परिवहन सेवा का संचालन किये जाने सम्बन्धी घोषणा के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी अद्यतन वस्तुस्थिति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

निजी बस संचालकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत मार्गों पर आवेदन करने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सौर ऊर्जा से सिंचाई की योजना

467. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा बजट घोषणा में टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजाति कृषकों को सौर ऊर्जा से सिंचाई हेतु योजना की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला उदयपुर में उक्त योजना से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा TSP क्षेत्र में जनजाति कृषकों को सौर ऊर्जा से सिंचाई हेतु योजना की घोषणा की गई है।

वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा संख्या 304 अन्तर्गत उदयपुर जिले में 3 कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर, कार्य प्रगतिरत है। कार्य पूर्ण होने पर कुल 253 कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा।

पाली में लम्बित कृषि कनेक्शन

468. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड निर्धारण किन नियमों के तहत किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डिमांड राशि भरने के उपरांत कितने समय में कनेक्शन जारी किया जाता है?

(3) जिला पाली में कृषि कनेक्शन हेतु विगत तीन वर्ष पूर्व डिमांड राशि जमा कराने वाले कितने किसान अब भी कनेक्शन से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र राशि का निर्धारण वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति-2017 में वर्णित प्रावधानानुसार किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) कृषि कनेक्शन नीति-2017 एवं वितरण निगमों से जारी आर.ई. आदेशों में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात् बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति श्रेणी व सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर एवं सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जमा होने पर वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है।

(3) पाली जिले में माह जुलाई, 2020 से पूर्व मांगपत्र राशि जमा वाले वर्तमान में लम्बित कृषि आवेदकों का लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पिण्डवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद

469. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थायी आयुर्वेद अस्पताल खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के कुल 31 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21 कार्यरत हैं एवं 10 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद निम्न कार्यवाही कर भरे जाने हैं:-

विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 652 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया जा चुका है, अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में 01 चिकित्सालय एवं 27 औषधालय, कुल 28 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में शराब की अधिकृत दुकानें

399. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में माह जनवरी, 2018 से माह जनवरी, 2023 के मध्य शराब की दुकानों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी वृद्धि की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शराब की बिक्री रात्रि आठ बजे के पश्चात् निषेध है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समय के पश्चात् बिक्री को रोकने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला जयपुर में अधिकृत दुकानों के अतिरिक्त भी ब्रांच खोलकर शराब की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो अब तक कितनी ब्रांचों पर कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला जयपुर में वर्ष 2018-19 से 2023 के मध्य शराब की दुकानों में वृद्धि नहीं की गयी है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निर्धारित समय के बाद स्वीकृतशुदा दुकानों से मदिरा की बिक्री को रोकने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से रेड गश्त करायी जा कर सतत निगरानी रखी जाती है। वर्ष 2022-23 में माह जनवरी, 2023 तक निर्धारित समय रात्रि 8.00 बजे पश्चात् मदिरा विक्रय पाये जाने पर जिला जयपुर में मदिरा अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध कुल 26 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। जयपुर जिले में सरकार द्वारा स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मदिरा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है।

स्वीकृतशुदा मदिरा दुकानों के अतिरिक्त कहीं पर भी मदिरा का अवैध विक्रय/संग्रहण/निर्माण/परिवहन आदि पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

अवैध मदिरा के संग्रहण, निर्माण, विक्रय, भण्डारण के वर्ष 2022-23

(आबकारी मंत्री)

के दौरान माह जनवरी, 2023 तक आबकारी जिला जयपुर के आबकारी वृत्तों/ थानों में कुल 1,245 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

400. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है? यदि हां, तो किन-किन उपकरणों पर कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला हनुमानगढ़ में विगत तीन वर्षों में कितने किसानों को किन-किन यंत्रों पर कितना-कितना अनुदान दिया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में किसानों के कृषि यंत्रों पर देय अनुदान के अनेक प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों तथा विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है, जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में विगत 3 वर्षो में विधान सभा क्षेत्रवार विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषकों को दी गई अनुदान राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में किसानों के कृषि यंत्रों के 10,650 ऑनलाइन आवेदन अनुदान हेतु लम्बित हैं जिनमें से पात्र किसानों के 7,120 आवेदन इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के आबंटित लक्ष्यों से निस्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कृषकों को पशुधन खरीद हेतु ऋण

401. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशुधन की खरीद के लिए किसानों को ऋण दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत जिला अजमेर में विगत चार वर्षों में किस दर पर कितना ऋण पशुपालकों को उपलब्ध कराया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरकार द्वारा जन घोषणा के बिन्दु संख्या 2.2 में किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से डेयरी उद्यमिता विकास योजना तथा उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक पशुपालन के लिए ऋण पर दिये गये अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) के तहत प्रदेश के 5,312 किसानों को कुल राशि रुपये 34,29,18,400 का अनुदान दिया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन- उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजना (NLM-EDEG) के तहत प्रदेश के 365 किसानों को कुल राशि रुपये 06 करोड़ 03 लाख 09 हजार 300 का अनुदान दिया गया है।

(2) अजमेर जिले में विगत चार सालों में पशुपालकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से दिये गये ऋण का विवरण निम्नानुसार है:-

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS) के तहत अजमेर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक 1,140 किसानों को कुल राशि रुपये 5 करोड़ 65 लाख 89 हजार 200 का अनुदान दिया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास एवं रोजगार सृजन योजना (NLM-EDEG) के तहत अजमेर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर,

(पशुपालन मंत्री)

2022 तक 13 किसानों को कुल राशि रुपये 1 करोड़ 22 लाख 38 हजार 600 का अनुदान नाबार्ड द्वारा दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त सूचना अनुसार ऋण दर विभिन्न बैंकों द्वारा एवं भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए भिन्न-भिन्न निर्धारित होती है, जो लगभग 6 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक हो सकती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पशुपालकों को ऋण एवं अनुदान दिये जाने की सूचना विधान सभावार संधारित नहीं की जाती है।

बड़ी सादड़ी में बांधों, एनिकटों की मरम्मत

402. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बांधों, एनिकटों की मरम्मत व नहरों को पक्का निर्माण कराने की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किन-किन बांधों, नहरों व एनिकटों की? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बांधों एवं एनिकटों की मरम्मत हेतु एवं नहरों को पक्का करने हेतु आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्ययोजना अन्तर्गत प्रस्तावित/करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कनिष्ठ अभियन्ताओं का मूल कार्यालयों में पदस्थापन

403. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर जोन के अधीन कितने कनिष्ठ अभियन्ता कहां-कहां पर कार्यरत हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय द्वारा माह जनवरी, 2020 से माह जनवरी, 2023 तक कौन-कौनसे कनिष्ठ अभियन्ताओं को किन कारणों से मूल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)
कार्यालय के स्थान पर अन्य कार्यालयों में व्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के मूल पदस्थापन कार्यालयों में कार्य नहीं होने के कारण अन्य कार्यालयों में कार्य व्यवस्थार्थ व प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त को मूल कार्यालयों में लगाने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन सम्भाग जयपुर के अधीन जिलेवार वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग जयपुर के अंतर्गत जनवरी, 2020 से 2023 तक कार्यकारी व्यवस्था अंतर्गत मूल कार्यालय के स्थान पर अन्य कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) कार्यकारी व्यवस्था अंतर्गत मूल कार्यालय के स्थान पर अन्य कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को कार्यभार के कम होने/मूल कार्यालय में कार्यभार बढ़ने पर आवश्यकता अनुसार लगाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जैतारण में सौर ऊर्जा हैण्ड पम्प

404. श्री अविनाश (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने सौर ऊर्जा हैण्ड पम्प किस-किस योजना से कहां-कहां स्वीकृत हुए? क्या सभी हैण्ड पम्पों पर सोलर पम्प लगाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है? यदि हां, तो सौर ऊर्जा हैण्ड पम्पों का ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आर.ओ. स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने चालू व कितने बंद हैं? ग्रामवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

तक की अवधि में 10 सौर ऊर्जा आधारित बोरवेलों के निर्माण की स्वीकृतियां राज्य मद के अंतर्गत जारी की गयी थीं। सभी बोरवेल निर्मित किये जाकर उन पर सोलर पम्प लगाये जा चुके हैं। वर्तमान में सभी सौर ऊर्जा आधारित बोरवेलों से जलापूर्ति की जा रही है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में 09 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट के निर्माण की स्वीकृतियां राज्य मद के अंतर्गत जारी की गयी थीं, जिसके अंतर्गत 08 बोरवेल निर्मित कर उन पर सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित कर चालू की जा चुकी है। 01 स्थान पर बोरवेल वेधन के दौरान सूखा पाये जाने के कारण सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन यूनिट की स्थापना नहीं की गयी है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा 61 आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये जाने की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। इन सभी आर.ओ. संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में इन 61 आर.ओ. संयंत्रों में से 34 आर.ओ. संयंत्र चालू स्थिति में हैं तथा शेष 27 आर.ओ. संयंत्र बंद हैं। ग्राम वार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर में पेयजल के खराब मीटरों को बदलने की कार्ययोजना

405. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अधिकांश पेयजल उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने के कारण अनुमानित राशि के बिल बनाकर भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त खराब मीटरों को बदलकर नये मीटर लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 4,60,046 मीटर युक्त जल सम्बन्ध हैं। इनमें से वर्तमान में 1,50,761 मीटर ख़राब/बंद हैं। इन ख़राब/बंद मीटर वाले पेयजल उपभोक्ताओं से जल राजस्व बिल विभागीय नियमानुसार गत माह के जल उपभोग, गत तीन महीनों का औसत मासिक उपभोग एवं गत वर्ष की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

तदानुसार अवधि के जल उपभोग में से अधिकतम जल उपभोग के आधार पर जारी किया जाता है।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की अनुपालना में लागू मुख्यमंत्री राजनीर योजना के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर एवं कोटा शहरों में कुल 30,000 घरेलू जल सम्बन्धों पर स्थापित ख़राब/बंद मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदले जाने हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इस योजना के अंतर्गत जयपुर शहर में 15,000 ख़राब/बंद मीटरों को बदला जाना प्रस्तावित है। शेष ख़राब/बंद मीटरों को अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत बदला जाना प्रस्तावित है।

अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जयपुर हेरिटेज जलापूर्ति योजना एवं जयपुर ग्रेटर जलापूर्ति योजना की क्रमशः राशि रुपये 253.37 करोड़ एवं 731.00 करोड़ के प्रस्तावों का राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) की अभिशंषा पर आवासन एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना की एपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2023 में अनुमोदन उपरांत रूडसिको के पत्रांक 1078 दिनांक 06.02.2023 द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। वर्तमान में योजनाओं के तकनीकी प्रस्ताव बनाने का प्रगति पर है।

लूणकरणसर में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन

406. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में विगत चार वर्षों में कौन-कौन सी नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई ग्राम पंचायतें अब तक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनका गठन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में विगत चार वर्षों में 22 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम सदस्य संख्या	- 300
2. हिस्सा राशि	- 3 लाख रुपये
3. अमानत	- 1 लाख रुपये

उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में किसानों को फसली ऋण

407. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण दिया जाता है व फसल का बीमा भी किया जाता है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जायल के कितने कृषकों का फसल बीमा किया गया तथा कितना बीमा क्लेम दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर कृषकों को फसल का बीमा करवाये जाने तथा फसल नष्ट हो जाने के उपरान्त भी क्लेम राशि नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में को-आपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल का बीमा होता है। कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार रबी 2018-19 से खरीफ 2022 तक जायल विधान सभा क्षेत्र में 2.48 लाख फसल बीमा पालिसियां राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सृजित हुई हैं। उक्त अवधि में योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर बीमित फसल के किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा 173.09 करोड़ रु. के बीमा क्लेम जारी किये गये हैं।

(2) जी नहीं। योजना प्रावधानों एवं दर्ज की गई उपज क्षति के आधार पर बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा क्लेम जारी किये गये हैं।

जोधपुर में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष से व्यय राशि

408. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या उपभोक्ता मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष में से माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक किन-किन प्रयोजनों में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कोष में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है? विगत चार वर्षों का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष में से जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक किन-किन प्रयोजनों में कितनी राशि व्यय की गई, का विवरण निम्न है:-

वर्ष	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर प्रेषित राशि	विश्व उपभोक्ता दिवस पर प्रेषित राशि
जनवरी, 2019 से 31.12.2019 तक	00	00
जनवरी, 2020 से 31.12.2020 तक	00	00
जनवरी, 2021 से 31.12.2021 तक	00	10,000/-
जनवरी, 2022 से जनवरी 2023 तक	00	00

(2) राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों से प्राप्त परिवाद फीस/नकल फीस एवं अध्यक्ष/सदस्यों के पद हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन शुल्क के माध्यम से राशि प्राप्त होती है। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष में विगत 4 वित्तीय वर्षों में प्राप्त आय निम्न है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आय राशि
2018-19	45,21,720/-
2019-20	31,03,799/-
2020-21	21,91,674/-
2021-22	10,37,71,040/-

(उपभोक्ता मामलात मंत्री)

नोट:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि 10,37,71,040/- में खाद्य निगम को वर्ष 2010-11 में उधार दी गई राशि रुपये 9.78 करोड़ पुनः प्राप्त हुई सम्मिलित है। राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष का एक ही बजट मद 8443-00-106-00-00 है, जिसको उपयोग में लिया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

409. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विगत पांच वर्षों में कितनों को लाभान्वित कर कितनी राशि व्यय की गई? लाभान्वितों का योजनावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गत पांच वर्षों में योजनावार लाभान्वितों की संख्यात्मक सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग

410. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स वसूला जाता है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के वाहनों से कितना-कितना ग्रीन टैक्स वसूला जाता है? विगत चार वर्षों में सरकार को ग्रीन टैक्स से कितनी आय प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदूषण के नाम पर ग्रीन टैक्स के रूप में वसूली गई राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण ग्रीन एनर्जी और प्रदूषण रहित वाहनों को प्रोत्साहन देने पर व्यय की जानी चाहिए थी? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में उक्त टैक्स के रूप में वसूली गई राशि में से कितनी राशि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यय की गई?

(श्री संदीप शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त टैक्स की राशि को ऋण के चुकारे, वेतन, परिवहन व इन्फ्रास्ट्रक्चर पर व्यय किया गया है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त किन-किन कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वाहनों से ग्रीन टैक्स का संग्रहण विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10.07.2019 के अनुसार किया जाता है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

महालेखाकार से प्राप्त आंकड़ों से अंक मिलान के पश्चात् तैयार लेखों के अनुसार विगत चार वर्षों में 2019-20 से 2022-23 तक की ग्रीन टैक्स से हुई आय की सूचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि (करोड़ों में)**
1.	2019-20	218.47
2.	2020-21	173.84
3.	2021-22	222.72
4.	2022-23	236.22
कुल		**851.25**

(2) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा संग्रहित किये जाने वाले ग्रीन टैक्स की राशि का उपयोग राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) के माध्यम से किया जाता है। बजट घोषणा 2011-12 के क्रम में राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित द्रुतगामी प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था के विकास एवं प्रबन्धन, नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों, संरचनात्मक कार्य एवं सड़कों, पार्क, पार्किंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराने हेतु निधि का गठन किया गया।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एक मुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एक मुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक

(राज्य मंत्री, परिवहन)

11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि. अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, प्रदूषण रहित ई-बसों के क्रय/बी.जी.एफ. इत्यादि हेतु आर.ओ.बी./ आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्क, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की राशि में से किस मद में व्यय हुआ इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 4 वर्षों में निधि में संग्रहित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार	900.00 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	851.25 करोड़
3.	स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार	1,445.88 करोड़
	कुल	**3,197.13 करोड़**

गत 4 वर्षों में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं को जारी/ विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	RSRTC को अनुदान	1,222.32 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	182.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	10.20 करोड
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	09.03 करोड़
6.	APCBL को अनुदान	09.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	327.77 करोड़

(राज्य मंत्री, परिवहन)

8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु, RUIRP Phase I, II के तहत सड़क, पार्क, अम्बेडकर भवन, श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक शौचालय, ड्रैनेज इत्यादि निर्माण कार्यों के पेटे जारी	463.04 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी (नाला/सड़क)	26.91 करोड़
10.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी	16.18 करोड़
	कुल	**2,285.51 करोड़**

(3) परिवहन विभाग द्वारा संग्रहित किये जाने वाले ग्रीन टैक्स की राशि का उपयोग राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) के माध्यम से किया जाता है। बजट घोषणा 2011-12 के क्रम में राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित द्रुतगामी प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था के विकास एवं प्रबन्धन, नगरीय निकायों को आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों, संरचनात्मक कार्य एवं सड़कों, पार्क, पार्किंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराने हेतु निधि का गठन किया गया।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 के तहत एक मुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एक मुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लि., अजमेर बस सर्विस लि. व अन्य सम्भागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, प्रदूषण रहित ई-बसों के क्रय/बी.जी.एफ. इत्यादि हेतु आर.ओ.बी./आर.यू.बी., शहरी गौरव पथ, पार्क,पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः

(राज्य मंत्री, परिवहन)

विशेषत: (Particularly) ग्रीन टैक्स की राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 4 वर्षों में निधि में संग्रहित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

1.	वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार	900.00 करोड़
2.	वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स	851.25 करोड़
3.	स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार	1,445.88 करोड़
	कुल	**3,197.13 करोड़**

गत 4 वर्षों में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं को जारी/विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	RSRTC को अनुदान	1,222.32 करोड़
2.	JCTSL को अनुदान	182.20 करोड़
3.	JBSL को अनुदान	10.20 करोड़
4.	KBSL को अनुदान	18.86 करोड़
5.	UCTSL को अनुदान	09.03 करोड़
6.	APCBL को अनुदान	09.00 करोड़
7.	JMRC को अनुदान	327.77 करोड़
8.	ROB/RUB/निर्माण हेतु, RUIRP Phase I, II के तहत सड़क, पार्क, अम्बेडकर भवन, श्मशान/कब्रिस्तान, आधुनिक शौचालय, ड्रैनेज इत्यादि निर्माण कार्यों के पेटे जारी	463.04 करोड़
9.	गौरव पथों के निर्माण हेतु सा.नि.वि. को जारी	26.91 करोड़
10.	नगरीय निकायों में विकास कार्यों हेतु जारी (नाला/सड़क)	16.18 करोड़
	कुल	**2,285.51 करोड़**

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बून्दी जिला मुख्यालय के रोडवेज बस स्टैण्ड का नवीनीकरण

411. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बून्दी जिला मुख्यालय के जर्जर रोडवेज बस

(श्री अशोक डोगरा)

स्टैण्ड के नवनिर्माण, नवीनीकरण व स्थानान्तरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो उक्त पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बूंदी जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड के नवनिर्माण एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निगम स्तर पर फिलहाल कोई विचार नहीं है किन्तु राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में बस स्टैण्ड के उन्नयन एवं रिपेयर के सम्बन्ध में निम्न घोषणा की गई है:

"...Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के stands के उन्नयन व Repair सम्बन्धी कार्य लगभग 125 करोड़ रुपये की राशि से कराये जाने प्रस्तावित हैं।"

उक्त घोषणा के क्रम में निगम के बूंदी बस स्टैण्ड पर उन्नयन एवं रिपेयर सम्बन्धी कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार बूंदी जिला मुख्यालय के जर्जर हो चुके रोडवेज बस स्टैण्ड के नवनिर्माण/नवीनीकरण/स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव इस विभाग के अधीनस्थ निकाय नगर परिषद्, बूंदी में विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में रोडवेज बस स्टैण्ड पर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण

413. **श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उपयोजना टी.एस.पी. क्षेत्र में कुल कितने कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने कार्मिकों के पद रिक्त हैं तथा टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों में से कितने गैर टी.एस.पी. क्षेत्र के मूल निवासी हैं? क्या सरकार भर्ती से पहले उक्त कार्मिकों को टी.एस.पी. क्षेत्र से स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि टी.एस.पी. क्षेत्र में विगत पांच वर्ष से पुराने कार्मिक लगे हुए हैं? क्या सरकार उक्त का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

बामनवास में घरेलू सिंगल फेज बिजली की आपूर्ति

413. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किसानों को थ्री फेज बिजली कितने सप्ताह दिन में तथा कितने सप्ताह रात्रि को दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार सर्दी के मौसम में किसानों को पूरे समय दिन में बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेज घरेलू विद्युत कनेक्शनों की रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली कटौती की जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार 24 घण्टे सिंगल फेज बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में रबी सीजन वर्ष 2022 में किसानों को थ्री फेज बिजली दिन के दो ब्लाक (08:30 AM से 2:30 PM एवं 10:30 AM से 04:30 PM) तथा रात के एक ब्लाक (10:00 PM से 05:00 AM) में साप्ताहिक रोटेशन में बदलकर दी गई थी। वर्तमान में बामनवास विधान सभा क्षेत्र में निगम के आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार दिन के दो ब्लाक में ही किसानों को थ्री फेज विद्युत आपूर्ति दी जा रही है।

(2) जी हां। प्रदेश के 18 जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में रबी सीजन वर्ष 2022 में कृषि कार्य हेतु दिन के 6-6 घण्टे के दो ब्लाक में विद्युत सप्लाई देना शुरू कर दिया था। शेष क्षेत्रों में विद्युत प्रसारण व वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन होने व विद्युत उपलब्धता एवं आपूर्ति में अन्तर होने के कारण कृषि कार्य हेतु दिन व रात्रि के ब्लाक में क्रमशः 7/6 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। शेष 15 जिलों में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन हैं, जिन्हें शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जाना लक्षित है। तत्पश्चात् विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुसार सभी क्षेत्रों में दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। आंधी, तूफान, प्राकृतिक आपदा, तकनीकी व्यवधान को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को औसतन 22-24 घण्टे सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन

414. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों व घरेलू उपभोक्ताओं के घरेलू विद्युत सम्बन्ध दिये जाने के लिए सौभाग्य-2 योजना संचालित है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 व 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के लम्बित आवेदन पत्रों के पात्र उपभोक्ताओं को विद्युत सम्बन्ध दिये जाने की प्राथमिकता तय की गई थी? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने कनेक्शन दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व सौभाग्य योजना से वंचित परिवारों के विद्युतीकरण के लिए 20 या 20 से अधिक घरों वाली ढाणियों के परिवारों को ग्रिड से व सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने हेतु आर.ई.सी. भारत सरकार द्वारा योजना 26.07.2021 को स्वीकृत की गई थी, परन्तु आर.ई.सी. भारत सरकार द्वारा उक्त योजना की अवधि 15.03.2022 से आगे नहीं बढ़ाने के कारण यह योजना यथास्थिति में बंद कर दी गई थी।

यद्यपि किसी भी आवेदक द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन टी.सी.ओ.एस.- 2021 के उपबन्धों 4 व 6 के अनुसार जारी किये जाने का प्रावधान है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है।

वर्तमान में अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के अन्तर्गत 1,90,959 अविद्युतीकृत घरों को आर.डी.एस.एस. योजना के तहत विद्युतीकृत करने के लिए आर.ई.सी. द्वारा दिनांक 05.06.2023 को स्वीकृति दी गई है, जिसकी पालना में स्वीकृति अनुसार कार्यादेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में उक्त सौभाग्य योजनान्तर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सौभाग्य-2 (पोस्ट सौभाग्य)

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

योजनान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय विद्‌युतीकरण योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने/लम्बित नहीं होने के कारण कोई भी घरेलू कनेक्शन नहीं दिया गया है।

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर टैक्स

415. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर टैक्स वसूली लागू की गई है एवं रूफटॉप सोलर पैनल पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है? यदि हां, तो कितना व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सौर एनर्जी पालिसी 2019 के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर टैक्स वसूली को बन्द करने एवं रूफटॉप सोलर पैनल पर दी जाने वाली सब्सिडी को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पालिसी 2019 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सौर ऊर्जा उत्पादन पर विद्‌युत कर की वसूली विद्‌युत बिलों के माध्यम से 01 अप्रैल, 2020 से रु. 0.60 प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्‌युत वितरण निगमों द्‌वारा की जा रही थी। वर्तमान में राज्य सरकार द्‌वारा आदेश दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से सौर ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर विद्‌युत कर की राशि को 60 पैसे प्रति यूनिट से कम करके 40 पैसे प्रति यूनिट किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। विद्‌युत वितरण निगम आदेशानुसार विद्‌युत कर की राशि का संग्रहण कर रही है।

भारत सरकार के संयोजन से प्रदेश में सोलर रूफटॉप योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत 55 मेगावाट (जयपुर डिस्कॉम-25 मेगावाट, अजमेर डिस्कॉम-15 मेगावाट व जोधपुर डिस्कॉम-15 मेगावाट) की निविदा संख्या टीएन-डीएसएम-02 के अन्तर्गत सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। घरेलू

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

उपभोक्ता द्वारा 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन संयंत्र लगाने पर 40 प्रतिशत तथा 3 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन संयंत्र लगाने पर 20 प्रतिशत एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आदि के लिए सामान्य सुविधाओं तथा प्रत्येक घर (10 किलोवाट) को शामिल करते हुए 500 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन संयंत्र लगाने पर 20 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।

(2) सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर टैक्स वसूली को बन्द करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।

(3) राज्य में सौर ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न योजनाओं के माध्यम से परियोजनाएं लगायी जा रही हैं:-

1. डिस्कॉम के RPO (Renewable Purchase Obligation) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बिडिंग के माध्यम से।

2. नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाएं तथा भारत सरकार की एजेन्सी NTPC, SECI, NHPC इत्यादि की बिडिंग में चयनित विकासकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली परियोजनाएं।

3. अन्य राज्यों की डिस्कॉम द्वारा चयनित विकासकर्ताओं के माध्यम से।

4. कुसुम स्कीम, रूफटॉप स्कीम इत्यादि में चयनित उपभोक्ता Captive Use एवं 3rd Party Sale हेतु उपभोक्ताओं या विकासकर्ता द्वारा।

5. राजकीय भवनों पर RESCO Mode में रूफटॉप प्लांट/संयंत्र स्थापित किये जा सकते है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर में जब्त ट्रांसफार्मर

416. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में माह जनवरी, 2019 से लेकर माह जनवरी, 2023 तक विभाग द्वारा कितने चोरी के ट्रांसफार्मर कहां-कहां से जब्त किये गये

(श्री नारायण बेनीवाल)

तथा जब्त करने के पश्चात् उनको कहां जमा करवाया गया तथा जब्त ट्रांसफार्मर्स की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला नागौर में माह जनवरी, 2019 से लेकर माह जनवरी, 2023 तक वितरण निगम द्वारा जब्त किये गये चोरी के ट्रांसफार्मर (अवैध ट्रांसफार्मर जो विद्युत चोरी उपयोग में लिये जा रहे थे) तथा जब्त करने के बाद जिस कार्यालय में ट्रांसफार्मर्स को जमा कराया गया, उस कार्यालय का नाम एवं जब्त ट्रांसफार्मर्स की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्धत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महवा में जी.एस.एस. के कार्य

417. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम हड़िया, बनावड-ऐदलपुर एवं शीशवाडा में स्वीकृत 33/11 के.वी.जी.एस.एस. का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जी.एस.एस. के कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम हड़िया, बनावड-ऐदलपुर एवं शीशवाडा में स्वीकृत 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

1. ग्राम रोत हड़िया-हड़िया में स्वीकृत 33/11 के.वी सब-स्टेशन के लिए 33 के.वी. लाइन एवं 33/11 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण हो गया हैं एवं इसे चालू करने के लिए टेस्टिंग कार्य प्रगति पर है। अतः शीघ्र ही चालू किया जाना लक्षित है।

2. ग्राम बनावड़-ऐदलपुर-बनावड़ में स्वीकृत 33/11 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण है। 33 के.वी. ओवरहैड लाइन का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य में विवाद होने के कारण लम्बित है। विवाद का समाधान कर शेष कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही चालू किया जाना लक्षित है।

3. ग्राम शीशवाडा-शीशवाडा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

हेतु कार्यादेश संख्या 3631 दिनांक 11.01.2022 जारी किया जा चुका हैं तथा वर्तमान में उक्त कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(2) उपरोक्तानुसार।

बीकानेर में आयुष निदेशालय की स्थापना

418. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बीकानेर में आयुष निदेशालय स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। आयुष विभागान्तर्गत बीकानेर में आयुष निदेशालय स्वीकृत करने सम्बन्धी कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।